Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

जून 2024

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- मरुस्थलीकरण दानव का मुकाबला 3
- भारत के पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार 5
- भारत हरित ऊर्जा की ओर की अग्रसर 10
- भारत का आर्थिक विकास परिदृश्य 15
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग 18
- भारत की स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव 22
- भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में संतुलन 25
- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली 28
- जल प्रबंधन: अभाव से स्थायित्व तक 31
- आतंकवाद का उन्मूलन 38
- भारत में संघवाद का भविष्य 41
- भारत में गिग वर्क का भविष्य 51
- भारत में वृद्धजनों का सशक्तीकरण 54
- भारतीय रेलवे प्रणाली की पुनर्कल्पना 58
- जीवंत ग्रामीण भारत की ओर 61
- भारत की इलेक्ट्रिक वाहन विकास यात्रा 65
- शरणार्थियों की सुरक्षा और भारत 69
- भारतीय कृषि का रूपांतरण 72
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत् विकास 76
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 80
- भारत में राजकोषीय संघवाद 83
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 87

दृष्टि The Vision

नोट :

मरुस्थलीकरण दानव का मुकाबला

मरुस्थलीकरण (Desertification) एक मूक संकट है जो धीरे-धीरे भारत को जकड़ रहा है, जहाँ चिंताजनक रूप से देश का 25% भूभाग इस प्रक्रिया से गुज़र रहा है। जबकि अत्यधिक गर्मी और उच्च रिकॉर्ड तापमान सुर्खियों में हैं, अंतर्निहित मुद्दा अनियंत्रित मरुस्थलीकरण का है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह चिंताजनक प्रक्रिया मूक तरीके से देश की उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल रही है।

मरुस्थलीकरण केवल एक पर्यावरणीय चिंता भर नहीं है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और इसकी कृषि क्षमता (agricultural prowess) की नींव के लिये भी एक बड़ा खतरा है। देश में आधे से अधिक अवक्रमित भूमि या तो वर्षा-सिंचित कृषि भूमि है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिये ज़िम्मेदार है, या यह वन भूमि है जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सर्वोत्तम बचाव प्रदान करती है। इस परिदृश्य में, भारत के भूमि संसाधनों की दीर्घकालिक संवहनीयता और इसकी आबादी की भलाई सुनिश्चित करने के लिये मरुस्थलीकरण को प्रभावी ढंग से संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है।

भारत में मरुस्थलीकरण की वर्तमान स्थिति:

- **स्थिति:** पिछले 15 वर्षों में लगभग सभी भारतीय राज्यों में **अवक्रमित या बंजर भूमि (degraded land)** में वृद्धि देखी गई है।
  - देश की लगभग 22-23% बंजर भूमि **राजस्थान** में है, जिसके बाद **महाराष्ट्र** और **गुजरात** का स्थान है।
  - **इसरो (ISRO) के वर्ष 2021** के अनुमान के अनुसार,
    - **मिज़ोरम** भारत में मरुस्थलीकरण की सबसे तीव्र दर का सामना कर रहा है।
  - वर्ष 2003-05 और **2018-19 के बीच 0.18** मिलियन हेक्टेयर भूमि अवक्रमित हुई, जो 188% से अधिक की वृद्धि है।
    - **अरुणाचल प्रदेश** में वर्ष 2003-05 और 2018-19 के बीच भूमि अवक्रमण या क्षरण में 46% की वृद्धि देखी गई।
    - **नगालैंड** के मरुस्थलीय क्षेत्र में 29.4% की वृद्धि हुई।
- **प्रभावित भूमि प्रकार:**
  - **वर्षा-सिंचित कृषि भूमि (Rainfed Farmland):** लगभग **37 मिलियन हेक्टेयर** अवक्रमित भूमि असिंचित कृषि भूमि है, जहाँ जल अपरदन (80%) और वायु अपरदन (17%) अवक्रमण के मुख्य कारण हैं।
  - **वन भूमि (Forest Land):** लगभग **21 मिलियन हेक्टेयर** वन भूमि (कुल वन क्षेत्र का 30%) अवक्रमित हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण वनों की कटाई एवं अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का क्षरण (96%) है।

भारत में मरुस्थलीकरण के लिये कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं ?

- **वनों की कटाई और वन अवक्रमण:** भारत में लकड़ी (timber) और कृषि कार्य एवं **बसावट के लिये भूमि की अत्यधिक मांग** ने वनों की कटाई को बढ़ावा दिया है। **IISc के ऊर्जा एवं आर्द्रभूमि अनुसंधान समूह** की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार **पश्चिमी घाटों में 5% सदाबहार वन क्षेत्र** नष्ट हो गया है।
- **भूजल का अत्यधिक दोहन:** सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन भूजल स्तर को कम कर देता है, जिससे भूमि अवतलन की स्थिति बनती है और मृदा की नमी कम हो जाती है।
  - **उदाहरण:** कृषि के लिये अत्यधिक दोहन के कारण **पंजाब और हरियाणा** में जलभृतों में जल स्तर में गिरावट ने इन क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की चिंता को बढ़ा दिया है।
    - केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (Central Ground Water Board) के एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि **वर्ष 2039** तक पंजाब का भूजल स्तर लगभग **1,000 फीट** नीचे गिर सकता है।
- **तटीय क्षेत्रों में लवणता का प्रवेश:** गुजरात और तमिलनाडु जैसे तटीय क्षेत्रों में, भूजल भंडारों और कृषि भूमि में समुद्री जल के प्रवेश के कारण **मृदा लवणीकरण की स्थिति बनी है तथा उत्पादकता** में कमी आई है।
  - एक अनुमान के अनुसार सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के **627 गाँव लवणता** के प्रवेश से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।
- **खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ:** अनियमित खनन और औद्योगिक परिचालन के परिणामस्वरूप मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आसपास की भूमि के क्षरण की स्थिति बनी है, जिससे मरुस्थलीकरण की वृद्धि हो रही है।
  - **उदाहरण:** झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण आसपास के क्षेत्रों में भूमि अवतलन, मृदा प्रदूषण और मरुस्थलीकरण की स्थिति बनी है।
- **भूमि क्षरण तटस्थता का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention to

नोट :

Combat Desertification- UNCCD) को अंगीकृत किया है और भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality- LDN) प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है, लेकिन संबंधित कार्यक्रमों एवं नीतियों का कार्यान्वयन कई क्षेत्रों में अपर्याप्त रहा है।

- **शहरीकरण और अवसंरचना का विकास:** तीव्र शहरीकरण और राजमार्गों, हवाई अड्डों एवं औद्योगिक गलियारों जैसी वृहत अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के कारण उत्पादक कृषि भूमि की हानि हुई है तथा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिससे मरुस्थलीकरण में वृद्धि हुई है।
  - **उदाहरण:** कई राज्यों में विस्तृत दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के परिणामस्वरूप उपजाऊ भूमि के विशाल खंडों का अधिग्रहण हुआ है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की वृद्धि हुई है।
- **विदेशी वनस्पति प्रजातियों का आक्रमण: विदेशी वनस्पति प्रजातियों के प्रवेश** और प्रसार ने (जो प्राय: मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण संभव हुआ है) स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित किया है तथा मरुस्थलीकरण में योगदान किया है।
  - **उदाहरण:** भारत के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में ***प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (Prosopis juliflora) या मेस्क्वाइट (mesquite)*** वनस्पति प्रजाति के बढ़ते प्रकोप के कारण **स्थानीय वनस्पति के विस्थापन, मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण** की स्थिति बनी है।

भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality- LDN) क्या है?

- **परिचय:** LDN वह स्थिति है, जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाओं एवं सेवाओं को समर्थन देने और खाद्य सुरक्षा की संवृद्धि के लिये आवश्यक **भूमि संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता**, निर्दिष्ट लौकिक एवं स्थानिक पैमानों और पारिस्थितिकी तंत्रों के भीतर स्थिर बनी रहती है या इसमें वृद्धि होती है।
- **उद्देश्य:** इस अवधारणा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वस्थ और उत्पादक भूमि की मात्रा स्थिर बनी रहे या संवहनीय भूमि प्रबंधन अभ्यासों के माध्यम से भूमि क्षरण को रोककर इसमें वृद्धि की जाए।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता:** LDN को **वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 15** का एक लक्ष्य बनाया गया और विश्व के विभिन्न देशों ने वर्ष 2030 तक भूमि की 'शुद्ध हानि नहीं' (no net loss) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **भारत का LDN लक्ष्य:** भारत ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण को रोकने तथा कम से कम **26 मिलियन हेक्टेयर** बंजर भूमि, वन एवं कृषि भूमि की पुनर्बहाली की प्रतिबद्धता जताई है।
  - भारत भूमि क्षरण से निपटने के लिये वन क्षेत्र की वृद्धि और बड़े पैमाने पर वनीकरण की योजना रखता है।
  - इसमें प्रतिपूरक वनीकरण कोष (Compensatory Afforestation Fund- CAF) और हरित भारत मिशन (Green India Mission) जैसी पहलें शामिल हैं।

मरुस्थलीकरण को रोकने के लिये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहलें:

- **मरुस्थलीकरण को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD):** इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। यह पर्यावरण और विकास को संवहनीय भूमि प्रबंधन से संबद्ध करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
  - भारत UNCCD का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
    - भारत में आयोजित UNCCD का कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP14) ***'Restore land, sustain future'*** के थीम पर केंद्रित था।
- **बड़े पैमाने पर पुनर्बहाली पहल:**
  - बॉन चैलेंज (Bonn Challenge) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वनविहीन और अवक्रमित भूमि को पुन: उपजाऊ बनाना है।
    - इस परिणाम को प्राप्त करने से **प्रति वर्ष 1.7 बिलियन टन कार्बन** संग्रहित किया जा सकेगा, जो वैश्विक उत्सर्जन के 14% के बराबर है।
  - **अफ्रीकी वन भूदृश्य पुनरुद्धार पहल (African Forest Landscape Restoration Initiative- AFR100)** का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अफ्रीका में 100 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूदृश्यों को पुनर्बहाल करना है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये भारत को क्या उपाय करने चाहिये?

- **देशी प्रजातियों के साथ कृषि वानिकी और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना:** बड़े पैमाने पर कृषि वानिकी पहलों को लागू करना, पेड़ों एवं झाड़ियों को कृषि प्रणालियों में एकीकृत करना, मृदा की उर्वरता को पुनर्बहाल करना, कटाव को कम करना और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों का निर्माण करना।

नोट :

- **नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, इथियोपिया और मलावी** में सफल सिद्ध हुई कृषि वानिकी पहल भारत के लिये एक प्रमुख मॉडल हो सकती है।

- **सीड बायोप्राइमिंग (Seed Biopriming) और सीड एनकैप्सुलेशन (Seed Encapsulation): सीड बायोप्राइमिंग तकनीकों के उपयोग** को विकसित करना एवं बढ़ावा देना, जिसमें मरुस्थली क्षेत्रों में बीज की व्यवहार्यता और जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिये लाभकारी सूक्ष्मजीवों के साथ बीजों का उपचार करना शामिल है।
- **कोहरा संग्रहण जाल (Fog Harvesting Nets): कोहरे से नमी** को इकट्ठा करने के लिये शुष्क क्षेत्रों में विशेष जाल लगाना। इस प्रकार संग्रहित जल का उपयोग सिंचाई के लिये या देशी वनस्पति को सहारा देने के लिये किया जा सकता है, जिससे पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति को व्युत्क्रमित किया जा सकता है।
- **जैव लवणीय कृषि (Biosaline Agriculture) और लवणमृदोद्भिद खेती (Halophyte Cultivation):** जैव लवणीय कृषि के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना, जिसमें लवणीय या अवक्रमित मृदा में लवण-सहिष्णु फसलों या हैलोफाइट की खेती करना शामिल है।
  - **सैलिकोर्निया (Salicornia)** और **एट्रिप्लेक्स (Atriplex)** जैसे लवणमृदोद्भिदों या हैलोफाइट्स को आहार, चारा एवं जैव ईंधन उत्पादन के लिये उगाया जा सकता है, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे।
- **मरुस्थलीकरण अनुकूलन क्षेत्रों की स्थापना:** विशिष्ट क्षेत्रों को **'मरुस्थलीकरण अनुकूलन क्षेत्र' (Desertification Adaptation Zones)** के रूप में चिह्नित एवं नामित करना, जहाँ संवहनीय कृषि पद्धतियों, मृदा संरक्षण उपायों और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली जैसे लक्षित हस्तक्षेपों को सख्ती से लागू किया जाए।
  - इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को मरुस्थलीकरण नियंत्रण प्रयासों में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये राशि प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना।
  - **चीन के निंगशिया (Ningxia)** प्रांत में स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए किये गए व्यापक उपाय प्रेरक हो सकते हैं।
- **मरुस्थलीकरण पूर्व-चेतावनी प्रणाली स्थापित करना:** उन्नत निगरानी और पूर्व-चेतावनी प्रणाली विकसित करना जो विभिन्न क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्तियों का पता लगाने तथा पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिये **रिमोट सेंसिंग, भू-आधारित सेंसर और पर्यावरणीय डेटा को एकीकृत** करती है।
  - निर्णय-निर्माण के मार्गदर्शन में प्राप्त सूचना का उपयोग और समयबद्ध हस्तक्षेप लागू करने से मरुस्थलीकरण के प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- **संरक्षण पर केंद्रित मरुस्थलीय पर्यटन: ज़िम्मेदार मरुस्थलीय पर्यटन** कार्यक्रमों को डिजाइन करना, जो मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ और स्थानीय समुदायों के लिये राजस्व उत्पन्न करें।
  - ये कार्यक्रम पर्यटन उद्योग में संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और **संवहनीय अभ्यासों** को बढ़ावा दे सकते हैं।

■■■

भारत के पर्यटन क्षेत्र का पुनरुद्धार

वर्ष 2009 में पर्यटन मंत्रालय ने द्वारा **'हुनर से रोज़गार तक' (Skill to Employment)** नामक योजना लागू की गई थी, जिसकी अधिक चर्चा नहीं होती है। यह पहल मुख्य रूप से **विद्यालयी शिक्षा छोड़ देने वालों** या **'स्कूल ड्रॉपआउट'** को लक्षित करती है, जहाँ उन्हें रोज़गार या स्व-रोज़गार के लिये प्रशिक्षण प्रदान करती है और लगभग **30 करोड़ रुपए** के वार्षिक बजट के साथ संचालित होती है।

हुनर से रोज़गार तक (HSRT) योजना का उद्देश्य **बाज़ार-प्रासंगिक प्रशिक्षण** प्रदान कर और शहरी गरीबों के बीच स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देकर कुशल कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करना है।

असंगठित क्षेत्र को आवश्यक **कौशल प्रशिक्षण** के माध्यम से मुख्यधारा के रोज़गार में शामिल करने के प्रयासों के बावजूद युवाओं के रोज़गार में उल्लेखनीय अंतराल बना हुआ है। यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि **भारत में** पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने से इस योजना की प्रभावशीलता बढ़ सकती है, जहाँ संभावित रूप से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया जा सकता है और इस महत्त्वपूर्ण उद्योग के भीतर रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

पर्यटन क्षेत्र देश के सबसे तेज़ गति से विकास करते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। भारत की G20 अध्यक्षता और इंडिया@75 आज़ादी का अमृत महोत्सव के परिदृश्य में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्देशीय यात्रा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2023 को **'भारत भ्रमण वर्ष' (Visit India Year)** घोषित किया गया था।

मार्क ट्वेन ने भारत के लिये कहा था कि *"यह एक ऐसी भूमि है जिसे सभी लोग देखना चाहते हैं और जिसने इसकी एक झलक भर भी देखी हो, वह शेष विश्व के अन्य सभी दृश्यों के लिये भी इसे भूल नहीं सकता।"*

नोट :

भारत के पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और संभावनाएँ

- **वर्तमान स्थिति:**
  - **आर्थिक विकास:**
    - विश्व आर्थिक मंच (WEF) के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बढ़कर 39 हो गई है और पर्यटन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7% का योगदान देता है।
    - अप्रैल 2000-दिसंबर 2023 की अवधि में **होटल एवं पर्यटन उद्योग** में संचयी **एफडीआई इक्विटी प्रवाह (Cumulative FDI equity inflow)** 17.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त कुल एफडीआई प्रवाह का **2.57%** था।
    - पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग के विकास पर **इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF)** की रिपोर्ट के अनुसार, यात्रा और पर्यटन भारत में दो सबसे बड़े उद्योग हैं जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं।
  - **रोज़गार सृजन:**
    - यात्रा और पर्यटन ने **32.1 मिलियन रोज़गार** अवसर सृजित किये, जो **वर्ष 2021** में **कुल रोज़गार** का **6.9%** था।
    - उदाहरण के लिये, आतिथ्य उद्योग (**होटल, रेस्तरां और ट्रैवल एजेंसियों सहित**) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।
  - **पर्यटकों का आगमन:**
    - घरेलू पर्यटन इस उद्योग के लिये एक प्रेरक शक्ति रहा है, जहाँ **वर्ष 2019 में 1.8 बिलियन** से अधिक घरेलू पर्यटकों ने यात्रा की, जिसने अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
    - **पर्यटन मंत्रालय** के अनुसार दिसंबर 2023 में विदेशी पर्यटक आगमन (Foreign Tourist Arrivals- FTAs) की संख्या 1,070,163 दर्ज की गई।
    - जनवरी-दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान FTAs की संख्या 9,236,108 दर्ज की गई, जो जनवरी-दिसंबर 2022 में 6,437,467 रही थी।
  - **प्रमुख गंतव्य:**
    - लोकप्रिय गंतव्यों में आगरा का ताजमहल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, गोवा के समुद्र तट, केरल के बैकवाटर और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के हिल स्टेशन शामिल रहे।
- **संभावना/क्षमता:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन:** देश की लंबी तटरेखा विभिन्न आकर्षक समुद्र तटों से संपन्न है। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2027 तक भारत में यात्रा बाज़ार के **125 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है, जबकि **वर्ष 2028** तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या **30.5 मिलियन** तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - **रोज़गार के अवसर: वर्ष 2029** तक इस क्षेत्र में लगभग **53 मिलियन रोज़गार** अवसर सृजित होने की उम्मीद है। उम्मीद की जाती है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस उद्योग का प्रत्यक्ष योगदान वर्ष 2019 और 2030 के बीच 7-9% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करेगा।
  - **कारोबार वृद्धि:** भारत में यात्रा बाज़ार वित्त वर्ष 2020 में अनुमानित 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर **वित्त वर्ष 2027 तक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच सकता है।
    - भारतीय एयरलाइन यात्रा बाज़ार के लगभग **20 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का होने का अनुमान किया गया जो **एयरपोर्ट अवसंरचना** में सुधार और पासपोर्ट तक बढ़ती पहुँच के कारण वित्त वर्ष 2027 तक लगभग दोगुने आकार का हो सकता है।
    - भारतीय **होटल बाज़ार** (घरेलू, इनबाउंड और आउटबाउंड सहित) के **वित्त वर्ष 2020 में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के होने का अनुमान किया गया, जिसके वित्त वर्ष 2027 तक 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो यात्रियों की बढ़ती मांग और बाज़ार को बढ़ावा देने के लिये ट्रैवल एजेंटों के निरंतर प्रयासों से प्रेरित होगा।

नोट: वर्ष 2012 में नेशनल जियोग्राफ़िक की 'ट्रैवलर' पत्रिका ने केरल को विश्व के दस स्वर्गों में से एक और जीवन में एक बार अवश्य देखे जाने वाले 50 गंतव्यों में से एक के रूप में चिह्नित किया था। 'ट्रैवल एंड लीज़र' ने भी केरल को 21वीं सदी के 100 बेहतरीन यात्रा गंतव्यों में से एक बताया था।

भारत में पर्यटन क्षेत्र का क्या महत्त्व है ?

- **विदेशी मुद्रा:**
  - पर्यटन क्षेत्र भारत के तीसरे सबसे बड़े मुद्रा अर्जक के रूप में भुगतान संतुलन (balance of payments) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, **आगरा में ताजमहल देखने के लिये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों** की आमद, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा राजस्व उत्पन्न होता है।

- **गुणक प्रभाव:**
  - पर्यटन का अन्य क्षेत्रों, जैसे खाद्य एवं खानपान, होटल एवं रेस्तरां, रियल एस्टेट और परिवहन पर भी सकारात्मक **'स्पिलओवर इफ़ेक्ट'** पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, **जयपुर जैसे** शहर में पर्यटन में वृद्धि के कारण स्थानीय शिल्प, रियल एस्टेट विकास और परिवहन सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है।
- **समावेशी विकास:**
  - पर्यटन उद्योग अपेक्षाकृत कमज़ोर अवसंरचना वाले नाजुक और दूरस्थ ग्रामीण, जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को उत्प्रेरित करता है, जहाँ **सांस्कृतिक विरासत स्थलों और पारिस्थितिक स्थलों का मूल्य उजागर** होता है।
    - उदाहरण के लिये, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पारिस्थितिकी पर्यटन (eco-tourism) पहलों ने रोज़गार के अवसर पैदा किये हैं और इन क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा दिया है।
- **अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान:**
  - यह नये विचारों को संवर्द्धित करता है, सहिष्णुता एवं विविधता की स्वीकृति को बढ़ावा देता है, इस प्रकार भारत में सामाजिक पूंजी के निर्माण में मदद करता है।
  - उदाहरण के लिये, **जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और गोवा कार्निवल** जैसे उत्सव पूरे भारत से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तथा राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- **रणनीतिक कूटनीति उपकरण:**
  - पर्यटन द्विपक्षीय संबंधों और लोगों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ाता है तथा स्थायी **'निर्भरता बंधन' (dependency bonds)** का निर्माण करता है, जो शांति सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिये, पर्यटन के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने राजनयिक संबंधों और आपसी समझ को सुदृढ़ किया है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे

- **अपर्याप्त अवसंरचना:**
  - कई पर्यटन स्थल पर्याप्त हवाई, रेल एवं सड़क संपर्क, विश्वसनीय इंटरनेट पहुँच और उचित आतिथ्य, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं जैसी आवश्यक **अवसंरचना का अभाव** रखते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **पूर्वोत्तर** भारत के दूरदराज के क्षेत्र और कुछ **ग्रामीण पर्यटन स्थल** प्राय: कमज़ोर कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं से संघर्षरत पाए जाते हैं।
- **शासन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - पर्यटकों के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव, कमज़ोर तरीके से विनियमित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानक, **अकुशल रूप से प्रबंधित पर्यटक** सूचना केंद्र और बोझिल वीज़ा विनियमन जैसी कई शासन संबंधी चुनौतियाँ पाई जाती हैं।
  - ये सभी चुनौतियाँ दीर्घकाल में संभावित आगंतुकों को हतोत्साहित करती हैं।
- **करों की बहुलता:**
  - पर्यटन उद्योग एक जटिल कर संरचना का सामना कर रहा है, **जहाँ टूर ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों से लेकर एयरलाइन उद्योग और होटलों तक, संपूर्ण मूल्य शृंखला में कई तरह के कर लागू** होते हैं।
  - यह जटिलता भारत में पर्यटन को एक महंगा प्रयास बना देती है। उदाहरण के लिये, होटल के कमरों और टूर सेवाओं पर उच्च **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** दरें पर्यटकों के लिये लागत में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं।
- **अकुशल मानव संसाधन:**
  - पर्यटन क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी पाई जाती है, जिसमें बहुभाषी क्षमता और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे **प्रासंगिक कौशल का अभाव** भी शामिल है।
  - उदाहरण के लिये, प्रशिक्षित बहुभाषी गाइडों की सीमित संख्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुभव में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- **पर्यटकों की सुरक्षा:**
  - पर्यटकों के विरुद्ध चोरी एवं ठगी जैसे अपराधों सहित सुरक्षा संबंधी विभिन्न चिंताएँ विशेष रूप से महिला पर्यटकों को प्रभावित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, मार्च 2024 में झारखंड के दुमका ज़िले में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई।

नोट :

भारत में पर्यटन से संबंधित विभिन्न पहलें

- **पर्यटक स्थलों का आकर्षण बढ़ाना:**
  - **स्वदेश दर्शन योजना:** सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिये स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी।
    - यह **बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, मरुस्थल सर्किट** और **इको सर्किट** जैसे विभिन्न सर्किटों में बेहतर अवसंरचना एवं पर्यटक अनुभव सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
  - **प्रसाद योजना (PRASAD Scheme):** यह तीर्थ स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर केंद्रित है।
  - **हृदय (Heritage City Development and Augmentation Yojana- HRIDAY):** इसका उद्देश्य विरासत शहरों को संरक्षित और पुन:जीवंत करना है।
  - **पर्यटन पर्व:** घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ शामिल होंगी।
  - **'देखो अपना देश' पहल:** देखो अपना देश पहल भारत के विविध भूदृश्यों और सांस्कृतिक विरासत के अन्वेषण को बढ़ावा देकर घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करती है।
  - **एक भारत श्रेष्ठ भारत:** 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' राज्य युग्मों के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, आदान-प्रदान एवं सहयोग को प्रोत्साहित करता है और एकता एवं विविधता को बढ़ावा देता है; इस प्रकार, घरेलू पर्यटन और सांस्कृतिक सराहना (cultural appreciation) को बढ़ाता है।
- **राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2022:** नवीन नीति का उद्देश्य देश में पर्यटन विकास के लिये ढाँचागत स्थितियों में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों को समर्थन देना, पर्यटन को सुदृढ़ करना, सहायक कार्यों एवं पर्यटन उप-क्षेत्रों को विकसित करना और निम्नलिखित **पाँच प्रमुख क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित करना है:
  - हरित पर्यटन,
  - डिजिटल पर्यटन,
  - गंतव्य प्रबंधन,
  - आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास, और
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से संबंधित पर्यटन को समर्थन देना।
- **डिजिटल पहल**
  - **ई-वीजा सुविधा:** यह पहल वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे पर्यटकों को ऑनलाइन आवेदन करने और इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इससे सुविधा बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय आगमन को बढ़ावा मिलता है।
  - **वेब-आधारित ई-टिकटिंग:** प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थलों और स्मारकों के लिये कार्यान्वित यह प्रणाली प्रतीक्षा समय को कम करती है तथा आगंतुक प्रबंधन में सुधार करती है।
  - **आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (National Integrated Database of Hospitality Industry- NIDHI):** देश भर में आवास इकाइयों के एक व्यापक डेटाबेस के रूप में NIDHI का उद्देश्य आतिथ्य क्षेत्र के बारे में सटीक एवं अद्यतन जानकारी प्रदान करना है।
  - **स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप:** पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता संबंधी मुद्दों के समाधान के लिये शुरू किया गया यह ऐप पर्यटकों को गंदगी वाले क्षेत्रों की सूचना देने की सुविधा देता है, जिससे अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

'हुनर से रोज़गार तक' योजना

- **परिचय:**
  - युवाओं में रोज़गारपरक कौशल सृजन के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में हुनर से रोज़गार तक योजना शुरू की गई थी ।
  - यह पहल पूर्णरूपेण पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है।
- **उद्देश्य:**
  - इसका प्राथमिक लक्ष्य 18-28 वर्ष की आयु के अशिक्षित, अर्द्ध-शिक्षित और शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को उनके कौशल एवं रोज़गार योग्यता में सुधार के लिये अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- **लक्षित समूह:**
  - यह योजना स्कूल छोड़ चुके युवाओं, बेरोज़गार युवाओं, किशोरियों, गृहणियों और हाशिए पर स्थित अन्य समूहों पर केंद्रित है।
- **योजना की सबलता:**
  - **योजना के आकर्षक मूल सिद्धांत:** इसके मूल सिद्धांत कम शिक्षित युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोज़गार

नोट :

के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं, आम लोगों की भावनाओं एवं इच्छाओं से संगत हैं और व्यापक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं।
    - ये सिद्धांत बेरोज़गारी की समस्या से निपटने और कौशल की वृद्धि करने के प्रति योजना की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं, जिससे यह प्रतिभागियों और समर्थकों दोनों के लिये एक वांछनीय पहल बन जाती है।
- **योजना की दुर्बलता:**
    - **नौकरशाही विलंब:** सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की ओर से टालमटोल या कार्यान्वयन की देरी से प्रगति में बाधा आती है।
        - हितधारकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
    - **जागरूकता का अभाव:** सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों की कमी से योजना की विफलता की स्थिति बनती है।
    - **कार्यान्वयन में बाधाएँ:** इसके दिशानिर्देश प्रतिबंधात्मक हैं और पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थानों जैसे सरकारी संस्थाओं को लाभ पहुँचाते हैं।

पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-सी रणनीतियाँ आवश्यक हैं?

- **कनेक्टिविटी में सुधार लाना और अवसंरचना का विकास:**
    - दूरस्थ पर्यटन स्थलों तक **परिवहन संपर्क** बढ़ाना कम ज्ञात स्थानों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।
    - सार्वजनिक-निजी भागीदारी या सरकारी निवेश से इन सुधारों को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे बेहतर पहुँच सुनिश्चित होगी और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
        - **कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL)** की स्थापना भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक **संयुक्त उद्यम** के रूप में की गई थी, जो मुंबई को मैंगलोर से जोड़ता है और सुंदर तटीय क्षेत्रों तथा दूरदराज के क्षेत्रों से होकर गुज़रता है।
- **कर सुधार और अनुरूपीकरण:**
    - पर्यटन उद्योग में **जटिल कर संरचना** को सरल बनाने के लिये कर सुधार की वकालत करना।
    - अधिक समान एवं पारदर्शी कराधान प्रणाली के निर्माण के लिये टूर ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्टरों, एयरलाइनों और होटलों पर लगाए गए विभिन्न करों में अनुरूपता या सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में कार्य करना।
    - इससे प्रशासनिक बोझ कम हो सकता है और **GST दरें कम करने** से यात्रियों के लिये पर्यटन अधिक लागत-प्रभावी बन सकता है। इससे व्यवसायों के लिये अनुपालन लागत कम हो सकती है, जबकि आगंतुकों के लिये **पर्यटन अधिक वहनीय** बन सकता है।
- **सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:**
    - पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
    - **पर्यटन पुलिस की तैनाती, आकर्षण स्थलों पर सख्त सुरक्षा** प्रोटोकॉल लागू करने और सुरक्षित यात्रा अभ्यासों को बढ़ावा देने जैसे उपायों से भारत में यात्रा करने के बारे में पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:**
    - अकुशल कार्यबल, विशेषकर पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने से सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। पर्यटन और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये **'हुनर से रोज़गार तक'** जैसी योजनाओं को इष्टतम किया जा सकता है।
    - ये कार्यक्रम ग्राहक सेवा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और भाषा कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्यटकों को सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो और वे महसूस करें कि उनका स्वागत किया जा रहा है।
    - पर्यटकों और उद्योग के पेशेवरों दोनों के लिये **सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण** गलतफहमियों को कम कर सकता है तथा स्थानीय परंपराओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे सकता है।
- **ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाना:**
    - सोशल मीडिया, ट्रैवल वेबसाइट और वर्चुअल टूर का उपयोग कर पर्यटन स्थलों की दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। एक सुदृढ़ ऑनलाइन उपस्थिति वैश्विक ध्यान आकर्षित करेगी और संभावित पर्यटकों के लिये अपनी यात्रा की योजना बनाना आसान कर सकेगी।
    - इन स्थानों को बढ़ावा देने के लिये एक डिजिटल एकीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन पर्यटन को वृहत रूप से बढ़ावा दे सकता है और **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** जैसी पहलों को समर्थन प्रदान कर सकता है। इस प्रणाली में सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न आकर्षण स्थलों का मानचित्रण एवं प्रचार करना शामिल होगा।

नोट :

निष्कर्ष

देश की समृद्ध विरासत और विविध व्यंजनों का लाभ उठाकर भारत के 'सॉफ्ट पावर' को बढ़ाया जा सकता है तथा विदेशी राजस्व को आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा कर भारत रोज़गार को बढ़ावा दे सकता है और असंगठित क्षेत्र को आकर्षित कर सकता है। भारत का 'वसुधैव कुटुंबकम' का दर्शन बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और पाक पर्यटन (culinary tourism) इस लोकाचार को प्रदर्शित कर सकता है। हाल का धर्मशाला घोषणा वैश्विक पर्यटन में भारत की संभावना को चिह्नित करता है और घरेलू पर्यटन पहलों को बढ़ावा देता है।

■■■

भारत हरित ऊर्जा की ओर की अग्रसर

भारत अपनी ऊर्जा यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ हरित और अधिक संवहनीय भविष्य की ओर एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण की ओर अग्रसर है। भारत आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने और डीकार्बोनाइज़ेशन एवं संवहनीयता के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों से प्रेरित होकर स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा **स्रोतों** की ओर अपने संक्रमण को तेज़ कर रहा है।

चूँकि भारत अपने इस आवश्यक संक्रमण की ओर आगे बढ़ रहा है, **उसे ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और पर्यावरणीय संवहनीयता लक्ष्यों** के बीच के जटिल अंतर्संबंधों को भी समझना होगा। प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव और प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता की दौड़ (विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में) के भारत की हरित महत्वाकांक्षाओं (जिसमें आपूर्ति शृंखला प्रत्यास्थता, घरेलू निवेश माहौल एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचार शामिल हैं) के लिये महत्त्वपूर्ण परिणाम होंगे।

हरित ऊर्जा (Green Energy) क्या है?

- हरित ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे स्वच्छ, संवहनीय या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है।
- हरित ऊर्जा उत्पादन से वायुमंडल में कोई खतरनाक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जित नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर नगण्य या कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- **सौर, पवन, भूताप, बायोगैस, निम्न प्रभावपूर्ण जलविद्युत** और कुछ अन्य योग्य बायोमास स्रोत प्रमुख हरित ऊर्जा स्रोत हैं।

हरित ऊर्जा संक्रमण (Green Energy Transition) भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- **जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटना: चीन और अमेरिका** के बाद भारत ग्रीनहाउस गैसों का **तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश** है।
  - इसके अलावा, वर्ष 2022 की **'वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट' (State of Global Air Report)** के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में अकेले वायु प्रदूषण के कारण ही कम से कम 1.6 मिलियन मौतें हुईं।
  - हरित ऊर्जा अंगीकरण से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे जनसंख्या अधिक स्वस्थ बनेगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता:** अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 25% रहने की संभावना है, जहाँ देश को मूल्य में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों का सामना करना पड़ेगा।
  - उदाहरण के लिये, जारी **रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों** में व्यवधान उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में उछाल आया है।
  - हरित ऊर्जा स्रोत अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता और मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं।
- **निवेश आकर्षित करना और वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना:** संवहनीयता पर वैश्विक ध्यान हरित प्रौद्योगिकियों में महत्त्वपूर्ण निवेश को आकर्षित कर रहा है।
  - हरित ऊर्जा को अपनाकर भारत स्वयं को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी देश बना सकता है, निवेश आकर्षित कर सकता है और प्रौद्योगिकीय प्रगति को बढ़ावा दे सकता है।

नोट :

- **नई प्रौद्योगिकियों के लिये अवसर:** हरित ऊर्जा संक्रमण भारत के लिये ऊर्जा भंडारण समाधान और स्मार्ट ग्रिड जैसी अत्याधुनिक **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित** करने तथा उनका उपयोग करना।
  - इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में अग्रणी भूमिका ग्रहण करेगा।

हरित ऊर्जा संक्रमण से संबंधित सरकार की हाल की प्रमुख पहलें

- **नवीकरणीय ऊर्जा में FDI:** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA - सौभाग्य)
- हरित ऊर्जा गलियारा (GEC)
- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम (SMNP)
- (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से अंगीकरण और विनिर्माण (FAME)
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण की राह की प्रमुख बाधाएँ:

- **जीवाश्म ईंधन पर उच्च निर्भरता:** भारत का ऊर्जा मिश्रण अभी भी जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भर बना हुआ है, जहाँ विद्युत उत्पादन में **कोयले की हिस्सेदारी लगभग 55%** है।
  - पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर यह निर्भरता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण में एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।
- **पृथक नीति और शासन:** वर्तमान दो-आयामी दृष्टिकोण, जहाँ जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रबंधन अलग-अलग मंत्रालय करते हैं, में समन्वय का अभाव है।
  - यह **खंडित संरचना एकीकृत योजना, संसाधन आवंटन और दीर्घकालिक** लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है।
  - उदाहरण के लिये, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खनन का विस्तार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के विपरीत हो सकता है।
- **हरित प्रौद्योगिकी में भेद्यता:** आयातित हरित प्रौद्योगिकी पर भारत की निर्भरता, विशेष रूप से सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और महत्त्वपूर्ण खनिजों में चीन का प्रभुत्व, भेद्यता उत्पन्न करती है।
  - **भारत की लगभग 70% सौर ऊर्जा उत्पादन** क्षमता चीन द्वारा निर्मित सौर उपकरणों पर आधारित है।
  - यदि **भू-राजनीतिक तनाव** बढ़ता है तो इस निर्भरता के कारण भारत को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।
- **ग्रिड एकीकरण की चुनौतियाँ:** सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनिश्चित प्रकृति ग्रिड स्थिरता बनाए रखने और विश्वसनीय एवं निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।
- **सीमित ऊर्जा भंडारण क्षमता:** पंप हाइड्रो और बैटरी भंडारण जैसे ऊर्जा भंडारण समाधान भारत में अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में हैं।
  - इससे बाद में उपयोग के लिये अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता सीमित हो जाती है और अधिकतम मांग की अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उनकी प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होती है।
  - भारत को **वर्ष 2032 तक 500GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा** लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) पारितंत्र की आवश्यकता है।
- **सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों का अपशिष्ट प्रबंधन:** सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के बढ़ते उपयोग से उनके जीवन-चक्र अंत प्रबंधन (end-of-life management) के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - भारत ने वित्तीय **वर्ष 2022-2023 में लगभग 100 किलोटन (kt) सौर अपशिष्ट उत्पन्न किया और वर्ष 2030 तक इसके 600 kt** तक पहुँच जाने का अनुमान है।
- **जल और ऊर्जा के बीच संबंध से जुड़ी चुनौतियाँ:** संकेंद्रित सौर ऊर्जा (Concentrated Solar Power-CSP) जैसी कुछ नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की जल-गहन प्रकृति भारत के जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
  - केंद्रीय जल **बोर्ड के अनुसार देश के 150 मुख्य जलाशयों** में जल स्तर पहले ही **23% तक गिर चुका** है, जिससे जल गहन नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में चुनौती उत्पन्न हुई है।

नोट :

भारत हरित ऊर्जा संक्रमण को किस प्रकार गति प्रदान कर सकता है?

- **हरित सामाजिक उद्यमिता और ज़मीनी स्तर पर नवाचार:** हरित सामाजिक उद्यमों के लिये एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच के लिये नवीन समाधान विकसित करने वाले स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिये प्रारंभिक वित्तपोषण, **इनक्यूबेशन सहायता और नियामक ढाँचा** प्रदान करना।
  - इन समाधानों में सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्रों से लेकर सामुदायिक स्वामित्व वाले सौर फार्म तक शामिल हो सकते हैं।
- **ऊर्जा लोकतंत्र को बढ़ावा देना:** वितरित उत्पादन, ऊर्जा सहकारी समितियों और समुदाय-स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर ऊर्जा संक्रमण में सक्रिय भागीदार बनने के लिये समुदायों एवं व्यक्तियों को सशक्त बनाना।
  - **महाराष्ट्र में धुंडी सौर परियोजना (Dhundi Solar Project)** जैसी पहल, जहाँ एक गाँव सामूहिक रूप से सौर ऊर्जा संयंत्र का स्वामित्व रखता है और उसका संचालन करता है, को पूरे देश में दोहराया जा सकता है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को ज़मीनी स्तर पर अपनाया जा सके।
- **चक्रीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था (Circular Energy Economy) को अपनाना:** सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में प्रयुक्त घटकों एवं सामग्रियों के पुन: उपयोग, पुन: प्रयोजन एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को शामिल करना।
  - **एटेरो (Attero) और सिग्नी एनर्जी (Cygni Energy)** जैसी कंपनियाँ लिथियम बैटरियों के पुनर्चक्रण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जो एक आदर्श मॉडल बन सकता है।
- **कृषि के साथ हरित ऊर्जा का एकीकरण: एग्रीवोल्टेइक (agrivoltaics)** जैसे अभिनव समाधानों की खोज करना, जहाँ कृषि भूमि पर सौर पैनल स्थापित किये जाते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन और फसल की खेती एक साथ संभव हो पाती है।
  - **जोधपुर (राजस्थान) में पायलट एग्रीवोल्टेइक परियोजना** ने सौर ऊर्जा उत्पादन को सतत् कृषि पद्धतियों के साथ संयोजित करने की क्षमता को प्रदर्शित किया है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण पार्क:** ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च प्रवेश को सक्षम करने के लिये बैटरी, पंप हाइड्रो एवं थर्मल भंडारण जैसी विभिन्न भंडारण प्रौद्योगिकियों को संयुक्त कर बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा **भंडारण पार्कों (Renewable Energy Storage Parks)** की स्थापना करना।
- **हरित गिग अर्थव्यवस्था और कौशल विकास:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिये मौजूदा कार्यबल को उन्नत और पुन: कुशल बनाकर एक जीवंत **'हरित गिग अर्थव्यवस्था' (Green Gig Economy)** का निर्माण करना।
  - सौर पैनल स्थापना, पवन टर्बाइन रखरखाव और इलेक्ट्रिक वाहन मरम्मत में फ्रीलांस कार्य के लिये कुशल व्यक्तियों को शामिल करने के लिये स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना।
  - इससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और व्यक्तियों को हरित संक्रमण में योगदान करने के लिये सशक्त बनाया जा सकेगा।
- **कोयला मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के विलय पर विचार करना:** जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मंत्रालयों को एक ही ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत लाने से समन्वय, एकीकृत योजना-निर्माण एवं कुशल संसाधन आवंटन में वृद्धि होगी।
  - इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कोयला खनन विस्तार और नवीकरणीय लक्ष्यों जैसे नीतिगत निर्णय दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संरेखित हों।

भारत के कृषि परिदृश्य की पुनर्कल्पना

भारत जब 'विकसित अर्थव्यवस्था' बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, इसके कृषि क्षेत्र को चुनौतियों भरा एक कठिन रास्ता तय करना पड़ रहा है। अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा आरोपित प्रतिबंध, लघु भू-जोतों की व्यापकता, किसानों की आय की कीमत पर खाद्य कीमतों को कम रखने का वैश्विक दबाव और घटते जलभृत—ये कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण विद्यमान दशाएँ हैं जो किसानों के लिये सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने की हमारी क्षमता को सीमित करती हैं।

प्रमुख चुनौती न केवल उत्पादकता में सुधार लाने में है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी है कि लाभ **संवहनीय एवं समावेशी** हों। समय आ गया है कि भारत कृषि क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक सुधारों की राह पर तेज़ी से आगे बढ़े।

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 15-16% है। यह देश के समग्र आर्थिक विकास एवं प्रगति में इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- **कोविड-19 महामारी** के दौरान, जबकि कई क्षेत्रों में मंदी का अनुभव हुआ, कृषि क्षेत्र प्रत्यास्थी बना रहा और वर्ष 2021-22 में देश के सकल **मूल्यवर्द्धन (Gross Value Added- GVA) में 18.8% का योगदान** किया।
- **रोज़गार सृजन:** वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के नियोजित श्रम बल में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 45.5% है।
  - इससे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका उजागर होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ अधिकांश आबादी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है।
- **खाद्य सुरक्षा:** 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता है।
  - देश की खाद्य मांग को पूरा करने में कृषि क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ चावल, गेहूँ, दाल और सब्जियों जैसी विभिन्न प्रमुख फसलों का उत्पादन करता है।
- **विदेशी मुद्रा आय अर्जन:** वर्ष 2021 में **56 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक के निर्यात के साथ कृषि निर्यात विदेशी मुद्रा आय अर्जन में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा।
  - भारत वर्तमान में दूध और दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक तथा गेहूँ और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **उद्योगों के लिये कच्चा माल प्रदाता:** कृषि क्षेत्र न केवल घरेलू खाद्य मांग की पूर्ति करता है बल्कि विभिन्न उद्योगों के लिये कच्चा माल भी प्रदान करता है, जैसे कपड़ा उद्योग के लिये कपास, चीनी उद्योग के लिये गन्ना और खाद्य तेल उद्योग के लिये तिलहन।
  - इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ सुदृढ़ पश्चगामी एवं अग्रगामी संबंध निर्मित होते हैं।
  - यह इथेनॉल अर्थव्यवस्था (Ethanol Economy) के लिये मुख्य आधार के रूप में भी कार्य करता है।
- **रणनीतिक महत्त्व:** खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता किसी भी राष्ट्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता है।
  - एक सुदृढ़ कृषि क्षेत्र विदेशी आयात पर निर्भरता कम करता है और अप्रत्याशित परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - यह भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
    - भारत, जिसे उपहासपूर्वक **'भीख का कटोरा' (begging bowl)** कहा जाता था, अब एक **शुद्ध कृषि निर्यातक (net agricultural exporter)** देश बन गया है।

भारत के कृषि क्षेत्र से संबंधित वर्तमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **खंडित भू-जोत या भू-स्वामित्व:** दशकों से जनसंख्या वृद्धि और उत्तराधिकार कानूनों के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विभाजन छोटे-छोटे टुकड़ों में होता जा रहा है।
  - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (SAS) के अनुसार, दो हेक्टेयर से भी कम भूमि के स्वामी कृषि परिवारों का **प्रतिशत वितरण 89.4%** है, जो कृषि के मशीनीकरण, आकारिक मितव्ययिता या **'इकोनॉमिज़ ऑफ स्केल'** और समग्र उत्पादकता में बाधा उत्पन्न करता है।
- **जलवायु परिवर्तन का संकट:** अनियमित मानसून पैटर्न, बढ़ता तापमान और फसल पैदावार एवं कृषि योजना-निर्माण में अप्रत्याशित व्यवधान।
  - वर्ष 2022 में भारत ने **ग्रीष्म लहरों (heat waves)** की एक आरंभिक श्रृंखला का अनुभव किया, जिससे उसका गेहूँ उत्पादन प्रभावित हुआ और देश को गेहूँ निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा।
    - जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चक्रवात की घटनाएँ भारतीय कृषि पर गंभीर प्रभाव डालती हैं, जहाँ वे व्यापक पैमाने पर फसल क्षति एवं मृदा क्षरण का कारण बनती हैं। इससे भारी आर्थिक हानि और आपूर्ति श्रृंखला में विकृति की स्थिति बनती है।
    - इसके अलावा, अनुकूलन उपायों के अंगीकरण के अभाव में भारत में वर्षा-सिंचित चावल की पैदावार **वर्ष 2050 तक 20% कम** हो सकती है।
- **जल की कमी:** भारत जल संकट का सामना कर रहा है, जहाँ कई भूभागों में भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
  - जल की कमी के साथ ही अपर्याप्त **सिंचाई अवसंरचना** के कारण कृषि उत्पादकता सीमित हो जाती है।

नोट :

- केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, भारत के मुख्य जलाशयों में **जल स्तर 23% तक** गिर गया है।
  - इसके अलावा, **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) चावल जैसे जल-गहन** फसलों को प्रभावित करता है। चूँकि भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिये यह माना जाता है कि हम न केवल चावल का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि अपने जल का भी निर्यात कर रहे हैं।

- **बाज़ार की अक्षमता और मूल्य में उतार-चढ़ाव:** किसानों को प्राय: सुविकसित बाज़ारों तक पहुँच की कमी और अपनी उपज के लिये उचित मूल्य के अभाव का सामना करना पड़ता है।
  - बिचौलियों और जटिल आपूर्ति शृंखला के कारण फ़ार्म-गेट मूल्यों (वह मूल्य जो किसानों को वास्तव में प्राप्त होता है) तथा उपभोक्ता मूल्यों के बीच बड़ा अंतराल उत्पन्न होता है।
- **अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन सुविधाएँ:** खराब भंडारण अवसंरचना और अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क के कारण कटाई उपरांत होने वाली **हानि (Post-harvest losses)** एक प्रमुख चिंता का विषय है।
  - शीघ्र खराब होने वाले फल एवं सब्जियाँ विशेष रूप से असुरक्षित हैं, जिसके कारण उपज की बर्बादी और किसानों की आय में कमी की स्थिति बनती है।
  - भारत में हर वर्ष लगभग 74 मिलियन टन खाद्य बर्बाद हो जाता है, जो खाद्य उत्पादन का 22% है।
- **ऋण और बीमा तक सीमित पहुँच:** कई किसान, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसान, वहनीय ऋण और फसल बीमा योजनाओं तक पहुँच पाने के लिये संघर्ष करते हैं।
  - इससे नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने, अवसंरचना में सुधार करने और कृषि संबंधी आघातों से निपटने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **मृदा क्षरण और संसाधन ह्रास:** रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, असंतुलित फसल पैटर्न और अपर्याप्त मृदा संरक्षण अभ्यासों के कारण मृदा क्षरण एवं आवश्यक पोषक तत्वों की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
  - इससे भूमि की उर्वरता और दीर्घकालिक उत्पादकता कम हो जाती है।
- **अकुशल कृषि नीति:** केंद्र एवं राज्य की नीतियों के बीच परस्पर अंतर्निहित जटिल जाल और प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव प्राय: प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
  - **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs)** को लेकर उभरे हाल के विवाद नीति और वास्तविक स्थिति के बीच के अंतर को उजागर कर इस चुनौती की ओर ध्यान दिलाते हैं।
    - इसके अलावा, गेहूँ एवं चावल के उत्पादन पर MSPs के प्रभाव के कारण रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रोटीन की कमी वाले खाद्य आम लोगों, विशेषकर बच्चों तक पहुँच रहे हैं और इससे **प्रच्छन्न भुखमरी (hidden hunger)** की समस्या बढ़ रही है।
  - शांता कुमार समिति ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में खुलासा किया कि केवल 6% भारतीय किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होते हैं।
- **गतिहीन विकास:** लगभग **42% श्रम शक्ति के नियोजन** के बावजूद, कृषि क्षेत्र सकल **घरेलू उत्पाद में मात्र 15%** का योगदान देता है।
  - ये अक्षमताएँ न केवल आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं, बल्कि गरीबी एवं आय असमानता की समस्या को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और बढ़ाती हैं।

कृषि से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहलें

- सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- एग्रीस्टैक (AgriStack)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)

भारत के कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं ?

- **कृषि-पारिस्थितिकी गहरीकरण का क्रियान्वयन:** पारंपरिक उच्च-इनपुट कृषि पर निर्भर रहने के बजाय, **कृषि-पारिस्थितिकी गहरीकरण (Agroecological Intensification)** के ऐसे तरीकों का पता लगाना तथा उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिये जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करते हैं, जैव विविधता को बढ़ाते हैं और प्रत्यास्थता का निर्माण करते हैं।
  - इसमें **पर्माकल्चर (permaculture)**, **कृषि-वानिकी (agroforestry)** और **पुनर्योजी कृषि (regenerative agriculture)** जैसे अभ्यास शामिल हो सकते हैं।

नोट :

- शून्य बजट प्राकृतिक खेती (**Zero Budget Natural Farming- ZBNF**) को भी व्यवहार में लाया जा सकता है।

- **कृषि नवाचार संकुलों की स्थापना:** कृषि नवाचार संकुलों (Innovation Clusters) या कृषि-उद्यानों (agri-parks) का विकास करना जो **अनुसंधान संस्थानों, एग्री-टेक स्टार्टअप्स, किसान सहकारी समितियों और संबंधित** उद्योगों को एक सहयोगी पारितंत्र में एक साथ लाते हैं।
  - सिंगापुर के '**एग्री-फूड इनोवेशन पार्क**' को एक मॉडल की तरह देखा जा सकता है।
- **ड्रोन आधारित परिशुद्ध कृषि का क्रियान्वयन:** परिशुद्ध कृषि अनुप्रयोगों—जैसे लक्षित फसल निगरानी, परिवर्तनीय दर इनपुट अनुप्रयोग और कीट एवं रोग प्रकोप का शीघ्र पता लगाने के लिये ड्रोन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। इससे दक्षता में सुधार होगा और संसाधन अपव्यय को कम किया जा सकेगा।
- **फसल सुधार के लिये जेनेटिक एडिटिंग तकनीक:** पारंपरिक प्रजनन विधियों की तुलना में अधिक परिशुद्ध एवं कुशल तरीके से जलवायु-प्रत्यास्थी, रोग-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों को विकसित करने के लिये '**CRISPR-Cas9**' जैसी जेनेटिक एडिटिंग तकनीकों की क्षमता का पता लगाया जा सकता है।
  - मक्का के मामले में, **CRISPR-Cas9 प्रणाली का उपयोग कर ARGOS8** के नए किस्मों को उत्पादित किया गया, जिसे जंगली किस्म की तुलना में सूखे के प्रति अधिक सहिष्णु पाया गया।
- **कृषि विस्तार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** कृषि विस्तार सेवाओं के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा किसानों को समयबद्ध एवं स्थानीय सलाह, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के लिये निजी कंपनियों, एग्री-टेक स्टार्टअप एवं गैर-सरकारी संगठनों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
  - वर्तमान में कृषि सब्सिडी के लिये समर्पित भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2% को कृषि क्षमता और अवसंरचना संवर्द्धन के लिये पुन:आवंटित किया जा सकता है।
- **कृषि-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास करना:** कटाई उपरांत होने वाली हानियों को न्यूनतम करने और शीघ्र खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिये बाज़ार पहुँच की संवृद्धि के लिये **कुशल कृषि-लॉजिस्टिक्स** एवं कोल्ड चेन अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दी जाए।
  - भारत में '**किसान रेल**' पहल को परिवहन के अन्य साधनों में भी पहलों के माध्यम से पूरक सहयोग प्रदान किया जा सकता है।
- **आदर्श कृषि नीति:** सहकार्यात्मक तरीके से एक **केंद्रीय आदर्श कृषि नीति तैयार** की जा सकती है, जो राज्यों को संवहनीय अभ्यासों को बढ़ावा देने, कुशल संसाधन उपयोग करने और बेहतर अवसंरचना एवं बाज़ार पहुँच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिये मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।
  - यद्यपि राज्य का अनुकूलन अत्यंत आवश्यक है, तथापि एक एकीकृत ढाँचा भारत के लिये अधिक प्रत्यास्थी कृषि भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
  - यह उपयुक्त समय है कि **अशोक दलवाई समिति** की अनुशंसा के अनुरूप कृषि विपणन को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए।
    - इसने वाणिज्य, उपभोक्ता कार्य और कृषि को शामिल करते हुए एक स्थायी अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन का भी सुझाव दिया है।
    - यह समिति घरेलू एवं वैश्विक कीमतों की निगरानी करेगी और आवश्यक बदलावों की सिफ़ारिश करेगी।

■■■

भारत का आर्थिक विकास परिदृश्य

भारत के आर्थिक विकास प्रक्षेप वक्र ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी S&P Global ने देश के लिये अपने अनुमान को 'स्थिर' (stable) से संशोधित कर 'सकारात्मक' (positive) कर दिया है। एजेंसी के आकलन में यह सुधार परिलक्षित करता है कि भारत की नीति स्थिरता, गहन आर्थिक सुधार और सुदृढ़ अवसंरचना निवेश देश की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को जारी बनाए रखेंगे।

निकट भविष्य के विकास में सार्वजनिक निवेश और उपभोक्ता संवेग के प्रमुख चालक होने के साथ, वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये और सतत आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिये भारत के प्रक्षेपवक्र को आकार देने के लिये लक्षित आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है।

भारत के बारे में हाल के आर्थिक विकास अनुमान:

- **IMF का अनुमान (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024):** IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिये भारत के

जीडीपी विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो जनवरी 2024 के अनुमान से **0.3 प्रतिशत अंक** अधिक है।

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिये IMF ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।

- **संयुक्त राष्ट्र का अनुमान (विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ, 2024 के मध्य में):** भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में **6.9% और वर्ष 2025 में 6.6%** की दर से बढ़ने का अनुमान है।
  - जनवरी 2024 में 6.2% वृद्धि के अनुमान को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 के लिये 6.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक:** भारतीय रिज़र्व बैंक को उम्मीद है कि वर्ष **2024-25 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7%** की दर से बढ़ेगा।
  - वर्ष 2024 की जून तिमाही के लिये जीडीपी वृद्धि 7.2% आँकी गई है जो सितंबर तिमाही में कुछ घटकर 6.8% होने की उम्मीद है

भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक:

- **मज़बूत घरेलू मांग:** बढ़ती आय और बढ़ते मध्यम वर्ग द्वारा संचालित मज़बूत निजी उपभोग वृद्धि। डेलॉइट (Deloitte) के अनुसार, **वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में निजी उपभोग** व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में **3.5% की वृद्धि** हुई।
  - इसके अलावा, लग्ज़री एवं प्रीमियम वस्तुओं और सेवाओं की मांग बुनियादी वस्तुओं की मांग की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है।
- **मज़बूत निवेश गतिविधि:** वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में निजी निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में **10.6% की वृद्धि हुई,** जो निजी पूंजीगत व्यय चक्र में मज़बूत पुनरुद्धार का संकेत है।
  - राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline) जैसी पहलों का उद्देश्य ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ाना और निजी निवेश आकर्षित करना है।
  - **IMF का सुझाव है कि विदेशी निवेश को उदार बनाने** तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये किये गए सुधारों से विकास को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है।
  - इसके अलावा, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय (capex) के रूप में वर्गीकृत बजटीय व्यय वर्ष **2024-25 में लगभग 11 ट्रिलियन रुपए** तक बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2014-15 के स्तर से लगभग 4.5 गुना है।
- **मुद्रास्फीति में कमी:** मुद्रास्फीति घट रही है, जहाँ अप्रैल 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.83% दर्ज की गई।
  - इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिये एक स्थिर वातावरण उपलब्ध हो रहा है तथा व्यय एवं निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है।
- **विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार:** 'मेक इन इंडिया' **कार्यक्रम** और **PLI योजनाओं** जैसी पहलों से प्रेरित होकर विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 11.6% की वृद्धि हुई।
  - 'आत्मनिर्भर भारत' पर सरकार का ज़ोर घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है।
- **सेवा क्षेत्र की प्रत्यास्थता:** सेवा क्षेत्र (जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है) में वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई।
  - डिजिटल समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग से प्रेरित **आईटी और आईटी-सक्षम सेवा** क्षेत्र में वृद्धि जारी है।
  - कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के साथ, पर्यटन, आतिथ्य एवं मनोरंजन जैसी संपर्क-गहन सेवाओं में मज़बूत सुधार देखा गया है।
    - भारत में यात्रा बाज़ार वित्तीय **वर्ष 2027 तक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है।
- **वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रत्यास्थता:** वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, **भू-राजनीतिक तनावों (रूस-यूक्रेन युद्ध), आपूर्ति शृंखलाओं** में व्यवधान **(लाल सागर संकट) और अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं** में सख्त वित्तीय दशाओं के बावजूद, भारत की घरेलू मांग अपेक्षाकृत प्रत्यास्थी बनी हुई है।
  - वर्ष 2023 में विश्व खाद्य मूल्यों में वर्ष 2022 के उच्चतम स्तर से व्यापक कमी आई। हालाँकि दिसंबर 2023 में भारत की **खाद्य मुद्रास्फीति 9.5%** के उच्च स्तर पर बनी रही, जबकि वैश्विक अपस्फीति -10.1% रही थी।
  - बाह्य आघातों से इस रोधन से भारत के विकास को बनाए रखने में मदद मिली है, जबकि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ गिरावट या मंदी का सामना कर रही हैं।

नोट :

- **आपूर्ति शृंखला विविधीकरण:** वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों के बीच भारत विनिर्माण निवेश के लिये एक आकर्षक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उभरा है (विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में)।
  - भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (**CEPA**) जैसे व्यापार समझौतों ने इस आपूर्ति शृंखला विविधीकरण को सुगम बनाया है।

भारत की आर्थिक वृद्धि के लिये विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **रोज़गार संबंधी चुनौतियाँ:** पिछले दशक में स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बावजूद, पर्याप्त रोज़गार सृजन की कमी (रोज़गारहीन विकास की स्थिति) सरकार के समक्ष एक प्रमुख नीतिगत चुनौती बनी हुई है।
  - CMIE के उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण (Consumer Pyramids Household Survey) के अनुसार, अप्रैल 2024 में भारत में बेरोज़गारी दर 8.1% थी।
- **निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता संबंधी चुनौतियाँ:** नीतिगत प्रोत्साहनों के बावजूद, वित्त वर्ष 24 में भारत के निर्यात में 3% की कमी आई।
  - अप्रैल 2024 के दौरान वस्तु **व्यापार घाटा 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** आकलित किया गया, जो अप्रैल 2023 के दौरान 14.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था।
- संभावित राजकोषीय घाटा जोखिम (Fiscal Slippage Risks): S&P Global के अनुसार, सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा, जिसमें भले ही गिरावट आ रही है, वित्त वर्ष 28 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% रहने का अनुमान है।
  - राजकोषीय समेकन पथ से कोई भी विचलन भारत की क्रेडिट रेटिंग और उधार लागत को प्रभावित कर सकता है।
- **कौशल असंगति और श्रम गुणवत्ता:** भारत को उपलब्ध कार्यबल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल असंगति (Skill Mismatch) का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादकता और रोज़गार सृजन में बाधा आ रही है।
  - एक नए अध्ययन से पता चला है कि नौकरियों के लिये आवेदन करने वाले भारतीय स्नातकों में से **केवल 45% ही रोज़गार-योग्य (employable)** हैं जिनके पास उद्योग की तेज़ी से बदलती मांगों को पूरा कर सकने का कौशल है।
- **आय असमानता:** भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई अभी भी बहुत बड़ी है। आय असमानता का एक मापक गिनी गुणांक (Gini coefficient) **वर्ष 2022-23 में 0.4197** रहा।
  - भारत में धन असमानता छह दशक के उच्चतम स्तर पर है, जहाँ शीर्ष 1% लोगों के पास **देश का 40.1% धन** है।
  - इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास सीमित व्यय योग्य आय है, जिससे समग्र उपभोग वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ मज़दूरी कम है, सामाजिक सुरक्षा लाभ न्यूनतम हैं और उत्पादकता लाभ सीमित है।
  - रोज़गार हिस्सेदारी के संदर्भ में, **असंगठित क्षेत्र में 83% कार्यबल कार्यरत** है जबकि संगठित क्षेत्र में 17% कार्यबल कार्यरत है (IMF के अनुसार)।
  - यह अनौपचारिकता आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है क्योंकि यह कर राजस्व को सीमित करती है और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बाधित करती है।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएँ:** हाल के प्रयासों के बावजूद, भारत में बिजली, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी बनी हुई है।
  - नीति आयोग का अनुमान है कि भारत को अपनी विकास गति को बनाए रखने के **लिये वर्ष 2040 तक अवसंरचना पर 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च** करने की आवश्यकता होगी।

आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है?

- **विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना:** भारत को विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि कृषि से संक्रमित करने वाले कार्यबल को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
  - कृषि श्रमिकों को नियोजित करने और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिये उद्योगों को लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से इसे सुगम बनाया जा सकता है। इससे सुचारु संक्रमण सुनिश्चित होगा और समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी।
    - इसके अतिरिक्त, किसानों के लिये आय के अवसरों का विस्तार करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

नोट :

- 'गिग इकॉनमी स्किलिंग': गिग इकॉनमी के लिये प्रासंगिक लक्षित माइक्रो-स्किलिंग कार्यक्रम विकसित करने के लिये **'उबर' एवं 'मीशो'** जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी की जाए।
  - इससे युवाओं को तत्काल रोज़गार अवसरों के लिये आवश्यक कौशल से लैस किया जाता है।
  - फ्रीलांस कार्य के लिये एक राष्ट्रीय ऑनलाइन बाज़ार का सृजन किया जाए, जो कौशल-प्राप्त व्यक्तियों को भारत भर के व्यवसायों से जोड़े। यह उद्यमियों को भी सशक्त बनाएगा और लचीली कार्य व्यवस्था की सुविधा प्रदान करेगा।
- **EPZs 2.0:** संवहनीयता एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए **नवयुगीन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (Export Processing Zones- EPZs)** की स्थापना की जाए। हरित प्रौद्योगिकी और उच्च-मूल्य विनिर्माण कंपनियों को आकर्षित करने के लिये कर छूट एवं सुव्यवस्थित विनियमन प्रदान किया जाए।
  - ई-कॉमर्स निर्यात के लिये लघु एवं मध्यम उद्यमों **(SMEs)** को सक्षम बनाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए।
- **स्मार्ट कराधान और संशोधित PPP:** मौजूदा कराधान प्रणालियों की खामियों को दूर करने और कर आधार को व्यापक बनाने के लिये **स्मार्ट कराधान (Smart Taxation) लागू** करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए।
  - अभिनव कर संग्रहण समाधानों के लिये फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित की जाए।
  - जोखिम-साझाकरण और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए PPP की एक नई पीढ़ी का विकास किया जाए।
    - इससे अवसंरचना परियोजनाओं के लिये निजी पूंजी आकर्षित होगी और निवेश का समुचित लाभ प्राप्त होगा।
- **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहकार्यता:** उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने के लिये विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच मज़बूत सहकार्यता को बढ़ावा दिया जाए।
  - **माइक्रो-क्रेडेंशियल्स और स्टैकेबल सर्टिफिकेशन** की एक प्रणाली शुरू की जाए जो विशिष्ट कौशल को मान्यता प्रदान करे।
    - इससे व्यक्तियों को निरंतर कौशल उन्नयन करने तथा बदलती नौकरी की मांग के अनुरूप ढलने का अवसर मिलेगा।
  - **भारत आयरलैंड की बाज़ार-संचालित** उद्योग-अकादमी साझेदारियों से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, जिसने वहाँ के कार्यबल को उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये प्रभावी रूप से तैयार किया है।
- **औपचारिकीकरण के लिये प्रोत्साहन:** औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण करने वाले अनौपचारिक व्यवसायों को कर छूट और ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करना। इससे औपचारिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और कर राजस्व में वृद्धि होगी।
  - वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, अनौपचारिक श्रमिकों के लिये बैंक खातों, सूक्ष्म ऋणों और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करना।
- हरित अवसंरचना बॉण्ड: नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन जैसी सतत अवसंरचना परियोजनाओं के लिये निजी पूंजी आकर्षित करने हेतु हरित **अवसंरचना बॉण्ड** (Green Infrastructure Bonds) जारी किये जाएँ।
  - गंभीर अवसंरचना अंतराल की पहचान करने और परियोजना विकास के लिये संसाधन आवंटन को इष्टतम करने के लिये 'बिग डेटा एनालिटिक्स' और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जाए।

■■■

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता **(Artificial intelligence-AI)** हमारे जीवन के ताने-बाने से जुड़ गई है जहाँ वर्चुअल असिस्टेंट होने से लेकर वैयक्तिक अनुशंसाएँ प्रदान करने तक विभिन्न भूमिकाएँ निभा रही है। **चिकित्सा, परिवहन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों** में क्रांति ला सकने की इसकी क्षमता असीम प्रतीत होती है। हालाँकि AI की इस शक्ति के साथ ही विभिन्न जटिलताएँ भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

AI का बढ़ता प्रभाव मानवता के भविष्य के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। क्या AI प्रगति के लिये एक शक्तिशाली साधन बन जाएगा या **यह अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले** जाएगा? क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि AI विकास हमारे मूल्यों के अनुरूप हो और मानव स्वायत्तता की रक्षा करे? **AI के प्रभाव की सूक्ष्म** समझ को बढ़ावा देकर और खुले संवाद को प्रोत्साहित कर हम इसके विकास को एक ऐसे भविष्य के लिये आगे बढ़ा सकते हैं जहाँ सभी को लाभ प्राप्त हो।

नोट :

विभिन्न क्षेत्रों में AI के अनुप्रयोग :

- **स्वास्थ्य देखभाल:**
  - **चिकित्सा निदान:** AI चिकित्सा छवियों और डेटा का विश्लेषण कर नैदानिक सटीकता में सुधार लाता है। उदाहरण के लिये, यह **मैमोग्राम (mammograms)** में **कैंसरग्रस्त घावों (cancerous lesions)** का मानव रेडियोलॉजिस्ट की तुलना में अधिक सटीकता से पता लगा सकता है।
  - **दवा की खोज:** AI संभावित ड्रग कैंडिडेट की पहचान कर और उनकी प्रभावकारिता का पूर्वानुमान कर दवा खोज को गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिये, डीपमाइंड (DeepMind) का अल्फाफोल्ड (AlphaFold) प्रोटीन संरचना के पूर्वानुमान में सहायता प्रदान करता है।
  - **वैयक्तिक चिकित्सा (Personalized Medicine):** AI जेनेटिक प्रोफाइल और चिकित्सा इतिहास का विश्लेषण कर अनुरूप उपचार योजनाएँ तैयार करता है। उदाहरण के लिये, कैंसर रोगियों के लिये कीमोथेरेपी खुराक को अनुकूलित करना।
- **शिक्षा:**
  - **इंटेलीजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम (ITS):** AI-संचालित ट्यूटरिंग सिस्टम प्रत्येक छात्र की सीखने की गति, सीखने की शैली और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल बनकर वैयक्तिक अधिगम अनुभव प्रदान कर सकते हैं।
  - **अधिगम विश्लेषण (Learning Analytics):** AI छात्रों के डेटा (जैसे उपस्थिति, सहभागिता और प्रदर्शन संबंधी) का विश्लेषण कर सकता है, ताकि पैटर्न की पहचान की जा सके और संभावित शैक्षणिक चुनौतियों या पढ़ाई छोड़ने के जोखिमों का पूर्वानुमान किया जा सके।
- **वित्त और बैंकिंग**
  - **धोखाधड़ी का पता लगाना:** AI लेनदेन डेटा का विश्लेषण कर धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाता है। उदाहरण के लिये, असामान्य क्रेडिट कार्ड व्यय पैटर्न को त्वरित रूप से चिह्नित करता है।
  - **जोखिम प्रबंधन:** AI निवेश, ऋण और पोर्टफोलियो में व्याप्त जोखिमों का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिये, निवेश के अवसरों की पहचान करने के लिये बाज़ार के आँकड़ों का विश्लेषण करता है।
  - **एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग:** AI डेटा विश्लेषण और पूर्वनिर्धारित एल्गोरिदम के आधार पर 'ट्रेड' का निष्पादन करता है। उदाहरण के लिये, हेज फंड में उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग।
- खुदरा और ई-कॉमर्स
  - **खुदरा और ई-कॉमर्स:** AI ग्राहक डेटा और पसंदों का विश्लेषण कर व्यक्तिगत उत्पाद अनुशंसाएँ प्रदान कर सकता है, जिससे खरीदारी का अनुभव बेहतर बन सकता है।
  - **इन्वेंटरी प्रबंधन:** AI प्रणालियाँ बिक्री डेटा, ग्राहक मांग पैटर्न और अन्य कारकों का विश्लेषण कर इन्वेंट्री स्तरों को अनुकूलित कर सकती हैं, जिससे 'ओवरस्टॉकिंग' एवं 'स्टॉकआउट' का जोखिम कम हो सकता है।
  - **चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट: AI-संचालित चैटबॉट (Chatbots) और वर्चुअल असिस्टेंट (Virtual Assistants)** ग्राहक सहायता प्रदान कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स:**
  - **पूर्वानुमानित रखरखाव:** AI एल्गोरिदम मशीनों और उपकरणों से सेंसर डेटा का विश्लेषण कर संभावित विफलताओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं तथा रखरखाव (maintenance) को पूर्व-निर्धारित कर सकते हैं, जिससे 'डाउनटाइम' कम हो सकता है और दक्षता बढ़ सकती है।
  - **आपूर्ति शृंखला अनुकूलन:** AI विभिन्न स्रोतों—जैसे परिवहन मार्ग, मौसम की दशाएँ और मांग पैटर्न, से डेटा का विश्लेषण कर आपूर्ति शृंखला संचालन को अनुकूलित या इष्टतम कर सकता है, ताकि लागत को कम किया जा सके और आपूर्ति समय में सुधार किया जा सके।
  - **स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण:** AI-संचालित विज़न प्रणालियां उत्पादों के दोषों/खामियों का निरीक्षण कर सकती हैं, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होता है और मानवीय त्रुटि की मात्रा कम हो जाती है।
- साइबर सुरक्षा:
  - **खतरे का पता लगाना और प्रतिक्रिया देना:** AI प्रणालियाँ नेटवर्क डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण कर सकती हैं, संभावित साइबर खतरों की पहचान कर सकती हैं और त्वरित प्रतिक्रिया दे सकती हैं। जिससे साइबर हमलों के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा प्राप्त होती है।

नोट :

- **मैलवेयर विश्लेषण:** AI एल्गोरिदम मैलवेयर नमूनों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा शोधकर्ताओं को नए खतरों को समझने और प्रभावी प्रतिकारी उपाय विकसित करने में मदद मिलती है।
- **उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण (User and Entity Behavior Analytics-UEBA):** AI सामान्य व्यवहार पैटर्न के लिये आधार रेखाएँ स्थापित कर सकता है और विसंगतियों का पता लगा सकता है जो संभावित सुरक्षा उल्लंघनों या अंदरूनी खतरों का संकेत दे सकते हैं।

- **कृषि और खाद्य उत्पादन:**
  - **फसल निगरानी और उपज पूर्वानुमान:** AI-संचालित ड्रोन और सैटेलाइट इमेज़री फसल स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं, कीटों एवं रोगों का पता लगा सकते हैं और फसल उपज का पूर्वानुमान कर सकते हैं, जिससे किसान सूचित निर्णय लेने तथा संसाधनों को इष्टतम करने में सक्षम होंगे।
  - **परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture):** AI प्रणालियाँ मृदा की स्थिति, मौसम पैटर्न और अन्य पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण कर जल, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के सटीक उपयोग के लिये अनुशंसाएँ प्रदान कर सकती हैं, जिससे दक्षता में सुधार होगा और अपशिष्ट की मात्रा में कमी आएगी।
  - **खाद्य सुरक्षा:** AI-संचालित विज़न प्रणालियाँ खाद्य उत्पादों में संदूषकों (contaminants) का निरीक्षण कर सकती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- **खेल क्षेत्र:**
  - **खिलाड़ी प्रदर्शन विश्लेषण:** AI खिलाड़ी प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और आघातों को रोकने के लिये पहनने योग्य उपकरणों, वीडियो फुटेज और सेंसर से विशाल मात्रा में प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर सकता है।
  - **खेल के दौरान रणनीति और कार्यनीति:** AI एल्गोरिदम त्वरित रूप से खेल डेटा, खिलाड़ी की स्थिति और ऐतिहासिक रणनीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि खेल के दौरान इष्टतम कार्यनीति और समायोजन की अनुशंसा की जा सके।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- **'ब्लैक बॉक्स' पहेली:** कई AI एल्गोरिदम, विशेष रूप **से डीप लर्निंग मॉडल, अपारदर्शी 'ब्लैक बॉक्स'** के रूप में कार्य करते हैं।
  - यद्यपि वे प्रभावशाली परिणाम दे सकते हैं, फिर भी उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया रहस्य में घिरी रहती है।
  - **पारदर्शिता का यह अभाव व्याख्यात्मकता (explainability) और उत्तरदायित्व (accountability)** में बाधा उत्पन्न करता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और आपराधिक न्याय जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में।
- **'डेटा डाइलेमा' (Data Dilemma):** AI डेटा पर निर्भर करता है, लेकिन उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता एवं मात्रा इसके प्रदर्शन और निष्पक्षता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
  - प्रशिक्षण डेटासेट के भीतर मौजूद पूर्वाग्रहों को **AI एल्गोरिदम** द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, पक्षपातपूर्ण भर्ती **डेटा पर प्रशिक्षित एक AI-संचालित भर्ती साधन,** कुछ निश्चित की-वर्ड या शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले बायोडाटा को प्राथमिकता प्रदान कर सकता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अनुचित रूप से नुकसान हो सकता है।
- **नौकरी विस्थापन की समस्या:** AI स्वचालन या ऑटोमेशन कार्यबल में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से व्यापक स्तर पर नौकरी विस्थापन की स्थिति बन सकती है।
  - यद्यपि नई नौकरियाँ भी सृजित होंगी, लेकिन इस परिवर्तन की गति और विस्थापित श्रमिकों के लिये पुन: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धता चिंता का प्रमुख विषय बनी रहेंगी।
  - **मैकिन्ज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट (McKinsey Global Institute)** के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि **वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 800 मिलियन** नौकरियाँ स्वचालित हो जाएँगी।
- **AI हथियारों की होड़ और अस्तित्वगत जोखिम:** AI का तेज़ी से विकास राष्ट्रों के बीच **AI हथियारों की होड़ (AI arms race)** की चिंताजनक संभावना को जन्म देता है।

नोट :

- इससे स्वायत्त हथियार प्रणालियों का निर्माण हो सकता है जो मानव नियंत्रण से बाहर कार्य करेंगी और जिससे अस्तित्व के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- संसाधन संपन्न राष्ट्र और प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनियाँ AI अनुसंधान में सबसे आगे हैं, जिससे विकसित और विकासशील देशों के बीच AI को लेकर एक गंभीर विभाजन पैदा हो सकता है।
- **इलॉन मस्क (Elon Musk)** जैसे कुछ विशेषज्ञों ने 'सुपरइंटेलिजेंस' (यानी AI द्वारा सभी पहलुओं में मानव बुद्धिमत्ता को पार कर जाना) की क्षमता के बारे में चेतावनी दी है।

- **मूल्य संरेखण समस्या (Value Alignment Problem):** जैसे-जैसे AI प्रणालियाँ अधिक स्वायत्त एवं जटिल निर्णय लेने में सक्षम होती जाती हैं, वैसे-वैसे यह जोखिम भी उत्पन्न हो रहा है कि उनके मूल्य एवं उद्देश्य उनके मानव निर्माताओं से भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनपेक्षित और संभावित रूप से हानिकारक परिणाम सामने आ सकते हैं।
  - इस चुनौती को AI **शोधकर्त्ता स्टुअर्ट रसेल (Stuart Russell)** की **'किंग माइडस प्रॉब्लम' (King Midas Problem)** द्वारा उजागर किया गया था।
- **'डीपफेक' और गलत सूचना: AI-संचालित डीपफेक (Deepfakes)** प्रौद्योगिकी अत्यधिक यथार्थपरक **सिंथेटिक मीडिया (जैसे वीडियो, इमेज और ऑडियो)** का सृजन कर सकती है, जो डिजिटल कंटेंट में सूचना एवं भरोसे की अखंडता के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऐसे डीपफेक वीडियो सामने** आए, जिनमें उन्हें कथित तौर पर आत्मसमर्पण का आह्वान करते हुए दिखाया गया, जो संघर्ष या संकट के समय AI-जनित गलत सूचना की व्यापक क्षमता को उजागर करता है।

AI द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **AI प्रणालियों के लिये मानकीकरण और प्रमाणन:** AI प्रणालियों के लिये मानकीकृत परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रमाणन प्रक्रियाओं का विकास किया जाए, जैसा कि अन्य प्रौद्योगिकियों के लिये पहले से मौजूद है।
  - इससे **AI अनुप्रयोगों में सुरक्षा, संरक्षा और निष्पक्षता** का एक आधारभूत स्तर सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **एल्गोरिदमिक प्रभाव आकलन:** सभी उच्च जोखिम वाले AI अनुप्रयोगों के लिये **एल्गोरिदमिक प्रभाव आकलन (Algorithmic Impact Assessments-AIA)** को अनिवार्य बनाया जाए। ये आकलन संभावित सामाजिक प्रभावों, नैतिक विचारों और प्रणाली के भीतर निहित संभावित पूर्वाग्रहों की पहचान कर सकेंगे।
- **एक्सप्लेनेबल AI (Explainable AI- XAI) टूल्स पर ध्यान केंद्रित करना:** उपयोगकर्ता-अनुकूल XAI टूल्स के विकास में निवेश किया जाए। ये टूल्स या साधन डेवलपर्स को (और यहाँ तक कि गैर-विशेषज्ञों को भी) AI मॉडल के पीछे के तर्क को समझने में मदद करेंगे, जिससे वृहत विश्वास एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **AI सुरक्षा के लिये AI (AI for AI Safety):** पूरी तरह से मानवीय निगरानी पर निर्भर रहने के बजाय, अन्य AI प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये AI का ही लाभ उठाने पर विचार किया जाए।
  - इसमें विशेषीकृत AI **'वॉचडॉग'** विकसित करना शामिल हो सकता है जो संभावित पूर्वाग्रहों, सुरक्षा कमज़ोरियों या अनपेक्षित परिणामों के लिये अन्य AI प्रणालियों की निगरानी करेगा।
- **कार्यबल की अप-स्किलिंग एवं री-स्किलिंग:** AI-संचालित स्वचालन के लिये अग्रसक्रिय कार्यबल विकास रणनीतियों की आवश्यकता है।
  - **सरकारों, शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों को साथ मिलकर कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल** विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराने चाहिये ताकि श्रमिकों को AI युग में सफल होने के लिये आवश्यक कौशल प्रदान किये जा सकें।
  - बदलते रोज़गार परिदृश्य में **जीवनपर्यंत अधिगम (lifelong learning)** को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- सुदृढ़ AI शासन ढाँचे की स्थापना करना: अस्तित्वगत जोखिमों को कम करने और नैतिक विकास सुनिश्चित करने के लिये सुदृढ़ AI शासन ढाँचे की आवश्यकता है।
  - उत्तरदायी AI विकास, तैनाती एवं उपयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से दिशा-निर्देश एवं विनियमन स्थापित किये जा सकते हैं।
    - यूरोपीय संसद के **'कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम' (Artificial Intelligence Act)** को एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है।

नोट :

- **मानव-AI सहयोग को बढ़ावा देना:** हमारा भविष्य AI द्वारा मानव को प्रतिस्थापित कर देने में नहीं, बल्कि मानव और AI के बीच प्रभावी सहयोग में निहित है।
  - हमारा ध्यान ऐसी AI प्रणालियों के विकास पर **केंद्रित हो जो मानवीय सबलताओं एवं दुर्बलताओं को पूरक सहयोग** प्रदान कर सकें।

■■■

भारत की स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक विशाल एवं जटिल नेटवर्क है, जो अपनी विशाल आबादी की सेवा करने के लिये सार्वजनिक एवं निजी सुविधाओं के बीच संतुलन का निर्माण करती है। जहाँ निजी क्षेत्र पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का एक बड़ा भार बोझ है, दिल्ली नर्सिंग होम में आग लगने जैसी हाल की घटनाएँ **भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली** में स्वास्थ्य देखभाल विनियमों की विफलता के गंभीर मुद्दे को उजागर करती है।

यह त्रासदी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि विनियामक ढाँचों में व्याप्त प्रणालीगत खामियों के सामान्य लक्षण को प्रकट करती है। विभिन्न विनियमनों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अवास्तविक मानकों और नौकरशाही अक्षमताओं के कारण कार्यान्वयन के मामले में संघर्षरत है। उदाहरण के लिये नैदानिक प्रतिष्ठान (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और **भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक,** अपनी उच्च आकांक्षाओं के बावजूद, प्राय: अव्यावहारिक हैं और अपर्याप्त रूप से अपनाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप एक जटिल विनियामक वातावरण का निर्माण हुआ है जो सुरक्षा एवं गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने में विफल रहता है।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिये, भारत को स्वास्थ्य सेवा के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें विभिन्न विनियमनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकतंत्रीकरण करना और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना शामिल है।

भारत में स्वास्थ्य देखभाल विनियमन संबंधी ढाँचा

- **ऐतिहासिक संदर्भ**
  - **औपनिवेशिक काल:** यह खंडित और औपनिवेशिक रूप से प्रभावित विनियमों से चिह्नित होता है। उदाहरण के लिये- **मद्रास सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939।**
  - **भोरे समिति की रिपोर्ट (1946):** समिति ने निवारक, प्रोत्साहक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं (preventive, promotive and curative health services) के एकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों** की स्थापना का आह्वान किया।
  - आर्थिक उदारीकरण (1991): इससे निजी स्वास्थ्य सेवा के विकास को बढ़ावा मिला, जिससे अद्यतन विनियमनों की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
- **प्रमुख संबंधित निकाय:**
  - **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW):** यह समग्र स्वास्थ्य देखभाल नीतियों के लिये उत्तरदायी है।
  - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission- NMC): यह चिकित्सा शिक्षा एवं लाइसेंसिंग को विनियमित करता है।
    - पारदर्शिता की वृद्धि के लिये NMC अधिनियम, 2019 के तहत NMC ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India) को प्रतिस्थापित किया।
  - **अन्य:** इसमें नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल आदि शामिल हैं।
- **प्रमुख विनियामक कानून और नीतियाँ**
  - गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act- PCPNDT Act): इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है ।
  - **नैदानिक प्रतिष्ठान (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010:** यह पंजीकरण और मानक उपचार दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाता है।
  - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940: यह फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को विनियमित करता है।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:** यह स्वास्थ्य देखभाल को सेवा के रूप में देखता है।
    - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में 'सेवा' (service) शब्द की परिभाषा में 'स्वास्थ्य सेवा' (healthcare) शब्द को शामिल नहीं किया गया है।
    - लेकिन **भारतीय चिकित्सा संघ बनाम वी.पी.संथा एवं अन्य (1996) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम में प्रयुक्त भाषा इतनी व्यापक है कि उसमें चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त सेवाएँ भी शामिल होती हैं।

नोट :

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये एक विज़न प्रदान करती है।

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय:** विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद , भारत का स्वास्थ्य सेवा व्यय वित्त वर्ष 2023 में **सकल घरेलू उत्पाद का 2.1%** होने के साथ वैश्विक स्तर पर न्यूनतम में से एक था।
  - इसके अलावा, जबकि भारत विश्व की 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है, इसके **अपने नागरिकों को 47.1% आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (out-of-pocket expenditure- OOPE) का वहन** करना पड़ता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में गंभीर अंतराल का संकेत देता है।
- **शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल विभाजन:** भारत की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना विसंगत रूप से शहरी क्षेत्रों के पक्ष में झुकी हुई है, जिससे एक 'दो-स्तरीय' प्रणाली का निर्माण होता है।
  - यद्यपि **65% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं**, फिर भी इन क्षेत्रों में केवल 25-30% अस्पताल ही उनकी पहुँच में हैं।
  - यह केवल संसाधन का मुद्दा नहीं है, बल्कि **यह समता के संवैधानिक वादे के लिये एक मूलभूत चुनौती है।**
- **गैर-संचारी रोगों की मूक महामारी:** जबकि भारत संक्रामक रोगों से जूझ रहा है, गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases- NCDs) भारत के रोग बोझ में 64% हिस्सेदारी रखते हैं (WHO, 2021)।
  - भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या (**वर्ष 2019 में 77 मिलियन, जिसके वर्ष 2045 तक 134 मिलियन हो जाने का अनुमान** है) इस संकट की गंभीरता को प्रकट करती है।
  - जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, **वैसे-वैसे NCDs का बोझ भी बढ़ रहा है जो जीवनशैली में बदलाव का परिणाम है।** लेकिन फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियाँ असंगत रूप से संक्रामक रोगों पर केंद्रित बनी रही हैं, जिससे एक वृद्धिशील एवं गैर-संबोधित स्वास्थ्य बोझ का निर्माण हो रहा है।
- **मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा:** भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट की अनदेखी की गई है। **प्रति 100,000 लोगों पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य बजट के महज 0.05% के आवंटन के साथ भारत वैश्विक आत्महत्याओं के 36.6% मामलों** से जूझ रहा है।
- **टेलीमेडिसिन में डिजिटल डिवाइड:** टेलीमेडिसिन, जिसकी कोविड-19 के दौरान 'रामबाण' के रूप में प्रशंसा की गई थी, ने भारत के डिजिटल डिवाइड को उजागर किया है।
  - भारत में, **विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या** होने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पैठ शहरी क्षेत्रों से बहुत पीछे है।
  - यह **अंतराल टेलीमेडिसिन को समाधान के बजाय असमानता के एक और स्तर में बदल** देता है, जहाँ शहरी क्षेत्रों को तो असमान रूप से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन- एक उपेक्षित स्वास्थ्य निर्धारक:** जलवायु परिवर्तन महज एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य संकट भी है।
  - भारत में वर्ष 2019 में **वायु प्रदूषण के कारण 1.67 मिलियन मौतें** हुईं, जो देश में हुई कुल मौतों का 17.8% है (WHO के अनुसार)।
  - **वर्ष 2022 में फसल की पैदावार पर हीट वेव का प्रभाव** प्रत्यक्ष रूप से जलवायु को पोषण से संबद्ध करता है।
- **शासन संबंधी उलझन:** भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ शासन संबंधी असमानताओं के कारण और भी बढ़ गई हैं। कई राज्यों में विभिन्न विनियमों के तहत **50 से अधिक स्वीकृतियाँ मौजूद** हैं, जिससे **स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये नौकरशाही संबंधी समस्या उत्पन्न** हुई है।
  - इसके अलावा, कुछ राज्य प्राय: बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं और **छोटे क्लीनिकों एवं नर्सिंग होम की आवश्यकता की उपेक्षा** करते हैं।
- **'फार्मास्युटिकल पैराडॉक्स':** विश्व का दवाखना या 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में चिह्नित भारत विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है।
  - गाम्बिया में वर्ष 2022 की कफ सिरप संबंधी त्रासदी इस बात को उजागर करती है कि फार्मास्युटिकल उद्योग की वैश्विक प्रतिष्ठा और इसकी घरेलू स्वास्थ्य देखभाल प्रभावशीलता दाँव पर है।

नोट :

- **निवारक और प्राथमिक देखभाल की उपेक्षा:** भारत की स्वास्थ्य प्रणाली उपचारात्मक एवं अस्पताल-आधारित देखभाल की ओर झुकी हुई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार का निर्माण करने वाली 'निवारक एवं प्राथमिक देखभाल' (prevention and primary care) की उपेक्षा कर रही है।
  - वर्ष 2022 में देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की संख्या घटकर **30,640 रह गई** है।
  - इस उलटे फोकस से न केवल लागत बढ़ती है, **बल्कि प्रणाली पर रोकथाम योग्य बीमारियों का बोझ भी पड़ता है,** जिससे बीमारी एवं व्यय के एक दुष्चक्र का निर्माण होता है।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के साथ विनियामक सुधार:** एक स्तरीकृत विनियामक प्रणाली लागू की जाए जो जटिलता एवं जोखिम के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को वर्गीकृत करे।
  - इससे **कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों (जैसे छोटे क्लीनिक, नर्सिंग होम) के लिये अनुमोदन सरल** हो जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों (जैसे बड़े अस्पताल) के लिये कड़ी निगरानी सुनिश्चित होगी।
  - **प्रक्रिया-आधारित विनियमनों से परिणाम-आधारित विनियमनों की ओर ध्यान** केंद्रित किया जाए।
    - रोगी संतुष्टि, संक्रमण दर और सर्वोत्तम अभ्यासों के पालन के आधार पर स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की सफलता की माप की जाए, जहाँ इन परिणामों की प्राप्ति में लचीलेपन की अनुमति हो।
- **स्वास्थ्य-शिक्षा-आजीविका (Health-Education-Livelihood- HEL) परिसर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास केंद्र और हेल्थ-टेक इन्क्यूबेटर्स के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परिसरों की स्थापना** की जाए।
  - स्वास्थ्य सेवा संबंधी मानव संसाधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण स्नातकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी लेखांकन संबंधी नौकरियों की पेशकश की जा सकती है।
- **'फार्मा-टू-प्लेट' इंटीग्रिटी चेन ('Pharma-to-Plate' Integrity Chain):** एक **ब्लॉकचेन -आधारित ट्रैकिंग प्रणाली** लागू की जाए जो कच्चे माल से लेकर रोगी के उपभोग तक फार्मास्युटिकल उत्पादों पर नज़र रखती हो।
  - एक वैश्विक **'ट्रैकमेड्स' (TrackMeds)** ऐप लॉन्च किया जाए, जिससे उपभोक्ता को अपनी दवाओं की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकने का अवसर मिले।
  - यह पहल **नकली दवाओं की समस्या को संबोधित कर सकती है, भारतीय फार्मा निर्यात की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती** है और घरेलू दवा उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकती है।
- **मानसिक संपदा पहल (Mental Wealth Initiative): मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को एक मूल्यवान आर्थिक परिसंपत्ति,** यानी 'मानसिक संपदा', के रूप में पुन: परिभाषित किया जा सकता है।
  - व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने वाली कंपनियों को कॉर्पोरेट कर में छूट प्रदान की जाए।
  - मानसिक स्वास्थ्य मॉड्यूल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से आगे ले जाते हुए सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एकीकृत किया जाए।
  - स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को बुनियादी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें **'मन मित्र' (Mind Mitras) के रूप में चिह्नित** किया जा सकता है।
- **आयुष चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि:** प्रत्येक एलोपैथिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में AYUSH (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि की जाए।
  - स्कूलों और कार्यस्थलों में **'वेलनेस वेनेसडे' (Wellness Wednesdays)** की शुरुआत की जा सकती है, जहाँ सप्ताह के मध्य में योग और ध्यान के सत्र शामिल हों।
  - यह दृष्टिकोण **समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देगा,** गैर-संचारी रोगों की रोकथाम में सहायता करेगा और संपूर्ण जनसंख्या के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा।
- **जलवायु क्लीनिक: जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों** में मोबाइल क्लीनिकों की तैनाती की जाए जो मौसम केंद्रों के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।
  - 30% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को **सौर ऊर्जा, जल संचयन और ड्रोन-डिलीवरी पूर्व-तैयारी क्षमता के साथ जलवायु-प्रत्यास्थी एवं आत्मनिर्भर इकाइयों** के रूप में उन्नत किया जाए।

नोट :

- स्वास्थ्य डेटा का उपयोग जलवायु संबंधी प्रभावों, जैसे बाढ़ जैसी प्राकृतिक **आपदाओं के बाद होने वाले रोग प्रकोप, का पूर्वानुमान लगाने** के लिये किया जाए।
- किसानों को जलवायु-अनुकूल और पोषण-सघन फसलों की खेती का प्रशिक्षण दिया जाए।
- इस पहल से **सक्रिय जलवायु-स्वास्थ्य प्रबंधन, बेहतर पोषण परिणाम** और जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर प्रत्यास्थता की स्थिति प्राप्त होगी।

- **'आभा' का विस्तार:** भारत के स्वास्थ्य देखभाल डेटा को युक्तिसंगत बनाने के लिये **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (Ayushman Bharat Health Accounts-ABHA)** के राष्ट्रव्यापी विस्तार एवं प्रचार की आवश्यकता है।
  - अतिस्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों पर नज़र रखने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जाए।
  - इसके परिणामस्वरूप **व्यक्तिगत निवारक देखभाल, डेटा-संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और बेहतर समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिणाम** की स्थिति प्राप्त होगी।
- **महिला-नेतृत्व वाली स्वास्थ्य पंचायतें:** स्थानीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का लेखा-परीक्षण करने, स्वास्थ्य निधि आवंटित करने और स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के लिये प्रत्येक पंचायत में पूर्णरूपेण महिला सदस्यता वाली स्वास्थ्य परिषदों की स्थापना की जाए।
  - **स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के लिये इन परिषदों को सशक्त बनाया जाए और सर्वोत्तम स्वास्थ्य संकेतक प्रदर्शित करने वाले पंचायतों को अतिरिक्त विकास अनुदान** देकर पुरस्कृत किया जाए।
  - यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी, स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन को सुदृढ़ करेगी और ग्रामीण स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाएगी।

■■■

भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में संतुलन

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक विविध एवं जटिल नेटवर्क है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं, जो देश के **1.4 बिलियन लोगों** को व्यापक श्रेणी की चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती है।

चूँकि **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में चिकित्सा प्रक्रिया दरों (medical procedure rates) के मानकीकरण पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, **वहनीयता (affordability)** एक प्रमुख विषय बना हुआ है। हालाँकि **सभी के लिये एकसमान (one-size-fits-all) मूल्य सीमा** लागू करने से स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से कम हो सकती है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट रिव्यू (HCMR) के एक अध्ययन के अनुसार, मूल्य सीमा से उत्पन्न वित्तीय दबाव में अस्पतालों ने रोगी असंतोष में 15% वृद्धि की रिपोर्टिंग की।

वर्तमान समय में **बढ़ती स्वास्थ्य असमानताओं और चिकित्सा सेवाओं तक असमान पहुँच** के साथ समतामूलक एवं संवहनीय स्वास्थ्य सेवा नीतियों की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। चिकित्सा सेवाओं के लिये दरें निर्धारित करने के संबंध में जारी चर्चाएँ महज नौकरशाही संबंधी कवायद नहीं हैं, बल्कि वे मौलिक रूप से इस बात को आकार प्रदान करेंगी कि हम देश भर में स्वास्थ्य सेवा को किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार अभिगम्यता रखते हैं और किस प्रकार उसकी आपूर्ति करते हैं।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति और संभावनाएँ

वर्तमान स्थिति:

सार्वजनिक व्यय: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा पर भारत का **सार्वजनिक व्यय वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.1% और वित्त वर्ष 22 में 2.2% रहा**, जो वित्त वर्ष 21 में 1.6% रहा था।

- **रोज़गार सृजन:** वर्ष 2024 तक, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक बना हुआ है, जो **7.5 मिलियन लोगों** का कार्यबल रखता है।
- **व्यापक बाज़ार:** भारतीय स्वास्थ्य सेवा बाज़ार का मूल्य **वर्ष 2016 में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आँका गया**, जिसके वर्ष 2025 तक 638 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- **चिकित्सा पर्यटन:** भारत का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism) के वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरा है, जो अपने कुशल चिकित्सा पेशेवरों, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों और लागत-प्रभावी उपचारों के कारण दुनिया भर से रोगियों को आकर्षित कर रहा है।
- भारत आने वाले चिकित्सा पर्यटकों की संख्या वर्ष 2024 में लगभग **7.3 मिलियन** होने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में अनुमानित रूप से **6.1 मिलियन** रही थी।

नोट :

- **संभावना/क्षमता:**
  - **AI-संचालित रोज़गार:** हाल के एक शोध रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण से वर्ष **2028 तक लगभग 3 मिलियन नए रोज़गार** सृजित होंगे।
  - **टेलीमेडिसिन बाज़ार:** भारत के ई-हेल्थ खंडों में टेलीमेडिसिन बाज़ार सर्वाधिक संभावना रखता है, जो 31% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है और वर्ष 2025 तक इसके 5.4 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - **मानव संसाधन:** भारत में **चिकित्सकों, नर्सों, विशेषज्ञों** और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की बड़ी संख्या मौजूद है जो भारत को एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने में मदद करते हैं।
  - **ऋण प्रोत्साहन:** भारत सरकार देश के स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिये **50,000 करोड़ रुपए (6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का ऋण** प्रोत्साहन कार्यक्रम (Credit Incentive Programme) शुरू करने की योजना बना रही है।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की हाल की प्रगति

- **सुदूर क्षेत्रों तक पहुँच:** भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
  - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की स्थापना करना इसके प्रमुख उदाहरणों में शामिल है।
- **संक्रामक रोगों से निपटना:** भारत ने व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से **पोलियो, चेचक और खसरे** से निपटने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - **वर्ष 1995 में शुरू किया गया पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम** भारत से पोलियो उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुआ है।
- **गैर-संचारी रोगों से निपटना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention & Control of Non-Communicable Diseases- NP-NCD)** कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे पहले कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) के रूप में जाना जाता था।
- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य:** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये **जननी सुरक्षा योजना (JSY) तथा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)** जैसी पहलों को क्रियान्वित किया गया है।
- **फार्मास्युटिकल उद्योग:** भारत जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक है, जो **सस्ती/वहनीय दवाओं की वैश्विक आपूर्ति** में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ:** भारत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत रखता है।
  - आयुष मंत्रालय इन प्रणालियों का संवर्द्धन एवं विनियमन करता है ताकि मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उनका एकीकरण सुनिश्चित हो सके।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त अवसंरचना और शहरी-ग्रामीण असमानताएँ:** 75% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं (जो कुल जनसंख्या में **महज 27%** हिस्सेदारी रखते हैं) और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की गंभीर कमी पाई जाती है।
  - **वर्ष 2021 के 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल'** के अनुसार, **भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर मात्र 0.6 बिस्तर उपलब्ध** हैं।
  - आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना, कुशल पेशेवरों की उपस्थिति और विशेष देखभाल सुविधा पाई जाती है।
- **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी: विश्व स्वास्थ्य संगठन के आँकड़ों** के अनुसार, **भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर केवल 0.8 चिकित्सक** उपलब्ध हैं, जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 चिकित्सक के अनुशंसित अनुपात से कम है।
  - **सरकार के आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 तक ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञों और बाल रोग विशेषज्ञों की लगभग 80% कमी** की स्थिति थी।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का अपर्याप्त वित्तपोषण:** स्वास्थ्य सेवा की मांग रखने वाले व्यक्तियों के लिये वित्तीय सुरक्षा की

नोट :

कमी के परिणामस्वरूप **भारत में स्वास्थ्य सेवा लागत का 60% से अधिक** भाग **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय** के रूप में खर्च होता है। सीमित स्वास्थ्य बीमा कवरेज की स्थिति में कई लोग उपचार में देरी करते हैं या उसे टालते रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलता एवं समस्या और बढ़ती है।

- **NFHS-5** की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में प्रत्येक प्रसव पर औसत आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय 2,916 रुपए है (शहरी क्षेत्रों में 3,385 रुपए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2,770 रुपए)।
- वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य सेवा पर **भारत का सार्वजनिक व्यय इसके सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.1% था,** जबकि जापान, कनाडा और फ्राँस जैसे देश स्वास्थ्य पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% खर्च करते हैं।

- **रोगों का बढ़ता बोझ:** गैर-संचारी रोगों में वैश्विक स्तर पर तीव्र वृद्धि देखी गई है, जो विकलांगता, रुग्णता और मृत्यु दर के प्रमुख कारण के रूप में उभर रहे हैं। इनके कारण विश्व भर में **लगभग 41 मिलियन** लोगों की मौत हुई, जो कुल मृत्यु का लगभग तीन-चौथाई भाग है।
- **अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल:** भारत में प्रति व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी की स्थिति पाई जाती है (विश्व में न्यूनतम में से एक) और सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये अत्यंत कम धनराशि आवंटित करती है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिये की गई पहलें:

- **जन औषधि योजना:** इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना है।
- **टेलीमेडिसिन और ई-स्वास्थ्य सेवाएँ:** सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की वृद्धि के लिये, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा दिया।
- **मिशन इंद्रधनुष:** देश भर में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने पर लक्षित यह मिशन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निवारणीय बीमारियों से बचाने का उद्देश्य रखता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC)
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपाय:

- **गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल:** उचित रूप से लागू किये गए दर मानकीकरण से स्वास्थ्य सेवा असमानताओं को कम किया जा सकता है। अर्थशास्त्री गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल (Dynamic Pricing Models) की सलाह देते हैं जो **चिकित्सा जटिलता और रोगियों की वित्तीय स्थिति के आधार पर समायोजित** होते हैं; इस प्रकार, एक उचित समाधान प्रदान करते हैं।
  - **थाईलैंड की स्तरीकृत मूल्य निर्धारण प्रणाली** भी भारत के विविध आर्थिक परिदृश्य के लिये एक संभावित मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है, जो रोगी की आय के स्तर और चिकित्सा आवश्यकता पर विचार के साथ लागत और देखभाल के बीच सफलतापूर्वक संतुलन का निर्माण करती है।
    - **राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों** ने दर **निर्धारण प्रावधानों में खामियों की पहचान की है** तथा इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिये सुदृढ़ कानूनी ढाँचे की वकालत की है।
  - **स्वास्थ्य सेवा में गतिशील मूल्य निर्धारण मांग**, सेवाओं की उपलब्धता, रोगी की आवश्यकताओं और बीमा कवरेज जैसे कारकों पर आधारित होगा।
- **प्रौद्योगिकी नवाचार और अवसंरचना में निवेश:** प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला रही है, AI के माध्यम से निदान को द्रुत एवं अधिक सटीक बना रही है और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से देखभाल समन्वय में सुधार कर रही है।
  - उदाहरण के लिये, **कर्नाटक में टेलीमेडिसिन पहल से अस्पताल आने वाले रोगियों की संख्या में 40% की कमी** आई है। यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, चिकित्सा देखभाल को अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बनाया जा सकता है।
  - **व्यापक इंटरनेट पहुँच के लिये अवसंरचना में निवेश और डिजिटल साक्षरता में सुधार से अधिकाधिक लोगों को इन प्रगतियों से लाभ** प्राप्त होगा, जिससे भारत स्वास्थ्य सेवा नवाचार में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित होगा।

नोट :

- **हितधारकों को संलग्न करना और डेटा का लाभ उठाना:** सूक्ष्म गतिशीलता को समझने और प्रभावी एवं संवहनीय नीतियों का निर्माण करने के लिये निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों को संलग्न करना आवश्यक है।
  - **पायलट परियोजनाएँ:** स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और नवाचार पर दर सीमा के प्रभाव का आकलन करने तथा स्थानीय स्तर पर रोग के बोझ को समझने के लिये चुनिंदा ज़िलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पायलट परियोजनाएँ लागू की जाएँ।
  - **सरकारी सब्सिडी:** निजी अस्पतालों में अनुसंधान और विकास को समर्थन देने के लिये सब्सिडी आवंटित किये जाएँ।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सार्वजनिक अस्पतालों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिये साझेदारी स्थापित की जाए, ताकि उन्नत स्वास्थ्य देखभाल समाधानों तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल में वृद्धि करना:

- मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना तथा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिये प्रोत्साहन एवं बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करना भी एक सकारात्मक कदम सिद्ध हो सकता है।

निष्कर्ष:

- स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित करते हुए नवाचार के लिये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति की भलाई को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है।

■■■

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली

उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में एक मामला सामने आया जहाँ **कथित रूप से बलात्कार का झूठा आरोप** लगाने के लिये एक महिला को कारावास एवं जुर्माने का दंड दिया गया। यह मामला **भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली** (Criminal Justice System) में गंभीर प्रणालीगत कमियों को उजागर करता है।

विचाराधीन कैदियों का मनमानीपूर्ण एवं **सुदीर्घ निरोध या हिरासत, अपर्याप्त पुलिस अन्वेषण और फास्ट-ट्रैक अदालतों** का अकुशल कार्यकरण ऐसी प्रणालीगत अक्षमताओं को उजागर करता है जो न्यायिक प्रक्रियाओं में आम लोगों के भरोसे को कमज़ोर करता है। यह परिदृश्य **भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली** में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सरकार द्वारा हाल ही में **फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC)** के लिये केंद्र-प्रायोजित योजना को वर्ष 2026 तक की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया और इसके लिये महत्त्वपूर्ण बजट आवंटन किया गया। इस सकारात्मक कदम को पुलिस अन्वेषण प्रोटोकॉल, अभियोजन स्वायत्तता और न्यायिक पर्यवेक्षण में संवृद्धि के साथ पूरक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये, ताकि गलत या अवैध बंदीकरण को रोका जा सके और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना

- **परिचय: आपराधिक न्याय प्रणाली** यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और पीड़ितों को न्याय प्रदान किया जाए।
  - यह प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि आपराधिक गतिविधियों के आरोपियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा उन्हें उनके उचित अधिकार प्रदान किये जाएँ।
  - भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली **भारतीय दंड संहिता (IPC)** और **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)** पर आधारित है, जिन्हें शीघ्र ही क्रमशः **'भारतीय न्याय संहिता'** और **'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता'** से प्रतिस्थापित किया जाना है।
- **मुख्य स्तंभ:**
  - **पुलिस:** पुलिस अपराधों की जाँच करने, संदिग्धों को गिरफ़्तार करने और कानून प्रवर्तित करने के लिये ज़िम्मेदार है। वह राज्य विशेष के नियंत्रण में कार्य करती है।
  - **न्यायपालिका:** कानून की व्याख्या करने के माध्यम से उसकी पुष्टि करती है और आपराधिक मामलों में निर्णय देती है।
    - संघीय स्तर पर **सर्वोच्च न्यायालय** और प्रत्येक राज्य में **उच्च न्यायालय** शीर्ष स्तर पर कार्यरत हैं, जबकि निचली अदालतें विभिन्न मुक़दमों का कार्यभार संभालती हैं।
  - **सुधार प्रणाली: जेलों का प्रबंधन** करती है; दंड पर और आदर्शतः **अपराधियों के पुनर्वास** पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **प्रमुख सिद्धांत:**
  - **निर्दोषता की धारणा:** किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी सिद्ध न कर दिया जाए।

नोट :

- **निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार:** अभियुक्त को निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वयं का बचाव करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार भी शामिल हैं।
- **सम्यक प्रक्रिया:** निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये कानूनी प्रक्रियाओं का सही या सम्यक ढंग से पालन किया जाना चाहिये।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **लंबित मामले और न्याय में देरी:** लंबित मामलों की विशाल संख्या (**जो जुलाई 2023 तक 5.02 करोड़ से अधिक थी**) न्यायिक गतिरोध पैदा करती है, जो प्रणाली को अपंग बना देती है।
  - प्रत्येक विलंबित मामला समय पर न्याय प्रदान कर सकने की प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
    - इस संदर्भ में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री **विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन** (William Edward Gladstone) की यह उक्ति प्रसिद्ध है- "विलंबित न्याय, न्याय से वंचना के समान है" (Justice delayed is Justice Denied)।
  - बरेली के हालिया मामले में **'फास्ट-ट्रैक' अदालत ने निर्णय देने में 1,559 दिन** लिये, जो एक वर्ष की समय-सीमा से लगभग चार गुना अधिक समय है।
  - इस तरह की देरी शीघ्र सुनवाई के अधिकार (right to speedy trial)—जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने **एन.एस. साहनी** बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है—का उल्लंघन है।
- **अपर्याप्त संसाधन और अवसंरचना:** भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं (दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार)।
  - यह कमी महज एक संख्या को इंगित नहीं करती, बल्कि इसका तात्पर्य है न्यायाधीशों पर अत्यधिक काम का बोझ, जल्दबाजी में की जाने वाली सुनवाई और समझौतापूर्ण निर्णय।
  - अधीनस्थ न्यायपालिका में **35%** और **उच्च न्यायालयों में लगभग 400 पद रिक्त बने** हए हैं (मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार)।
  - अपर्याप्त कर्मचारी बल और सुविधाओं के कारण **गुणवत्ताहीन जाँच, कमज़ोर अभियोजन तथा न्यायिक देरी की स्थिति** बनती है।
- **पुलिस बल का राजनीतिकरण:** प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले में न्यायालय द्वारा अन्वेषण कार्य को विधि एवं व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों से अलग करने का आदेश दिया गया था, **लेकिन ऐसा साकार नहीं हुआ।**
  - वर्ष 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में (जहाँ एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र को आरोपी बनाया गया था) प्रारंभिक जाँच में देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगे।
  - यह राजनीतिकरण निष्पक्ष जाँच को कमज़ोर करता है, विशेषकर उन मामलों में जिनमें प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न हों।
    - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी पाया था पुलिस-जनता संबंध असंतोषजनक स्थिति में हैं, क्योंकि लोग पुलिस को **भ्रष्ट, अकुशल, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और अनुत्तरदायी मानते** हैं।
- **जमानत अपवाद के रूप में, नियम के रूप में नहीं: बालचंद उर्फ बलिया केस बनाम राजस्थान राज्य (1978)** में **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा जमानत को नियम और जेल को अपवाद बनाने के निर्देश के बावजूद, वास्तविक स्थिति ठीक इसके उलट है।
  - **भारत की जेलों में बंद 75% से अधिक कैदी विचाराधीन** हैं। जेल 130% अधिभोग (occupancy) स्तर पर संचालित हैं।
  - इसके अलावा, UAPA या **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम** जैसे कुछ कानूनों के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार आरोपी पर डाल दिया जाता है, जिससे जमानत का मुद्दा और जटिल हो जाता है।
- **यौन हिंसा के मामलों में लैंगिक पूर्वाग्रह: अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता (gender stereotypes) और **पीड़िता को दोष देने वाली भाषा के प्रयोग की निंदा** की थी।
  - इसके बाद भी, एक बलात्कार पीड़िता के रात्रिकालीन कार्य के बारे में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी से उजागर हुआ कि लैंगिक पूर्वाग्रह लगातार व्याप्त है, जो यौन हिंसा के मामलों में न्याय को कमज़ोर करता है।
- **पुराना पड़ चुका जेल मैनुअल और मानसिक स्वास्थ्य संकट:** मॉडल जेल मैनुअल 2016 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अनिवार्य बनाया गया है।

नोट :

- **1382 जेलों में अमानवीय स्थिति (पुनः) मामले में** सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों में व्याप्त मानसिक बीमारी की उच्च दर पर ध्यान दिया, जो कि अत्यधिक भीड़भाड़ तथा देखभाल के अभाव के कारण और भी बढ़ गई थी।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 तक महाराष्ट्र राज्य में 42,577 कैदी थे, लेकिन उनकी देखभाल के लिये केवल **एक मनोचिकित्सक और दो मनोवैज्ञानिक** ही मौजूद थे।

- **पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गैर-कार्यान्वयन: प्रकाश सिंह (2006) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के विरुद्ध आम लोगों की शिकायतों के समाधान हेतु पुलिस शिकायत प्राधिकरणों (PCAs) की स्थापना का निर्देश दिया।
  - हालाँकि, अधिकांश राज्यों ने या तो **PCAs की स्थापना नहीं की** है या उन्हें शक्तिहीन बना रखा है, जिससे पुलिस दंडमुक्ति (police impunity) की स्थिति बनी हुई है।
- **मानवाधिकार उल्लंघन:** भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रायः **हिरासत में यातना, न्यायेतर हत्या (extrajudicial killings)**, झूठी गिरफ्तारियों और अवैध निरोध के आरोप लगते रहे हैं।
  - वर्ष 2021- 2022 के दौरान पुलिस **हिरासत में मौत के 175 मामले सामने आए**।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिये कौन-से उपाय किये जाने चाहिये?

- **पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली: अपराधी-केंद्रित प्रणाली से पीड़ित-केंद्रित प्रणाली की ओर** आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
  - पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान समर्पित पीड़ित सहायता सेवाएँ प्रदान की जाएँ, जिसमें न्यायालय में सुनवाई के गारंटीकृत अधिकार के साथ परामर्श, कानूनी सहायता मार्गदर्शन तथा **पीड़ित प्रभाव बयान** (victim impact statements) प्रदान करना शामिल हैं।
  - इससे पीड़ितों को सशक्तता प्राप्त होगी और उनमें अपने कृत्यों एवं उसके परिणामों के बारे में नियंत्रण की भावना पुनः जागृत होगी।
- **केस प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग: केस प्रबंधन, समय निर्धारण और पूर्व-परीक्षण जोखिम मूल्यांकन** जैसे कार्यों के लिये AI के उपयोग की राह तलाश की जाए।
  - इससे प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित हो सकेंगी, डायवर्सन कार्यक्रमों के लिये निम्न-जोखिम मामलों की पहचान हो सकेगी तथा मानव संसाधन को अधिक जटिल मामलों के लिये मुक्त किया जा सकेगा।
  - इसके अलावा, प्रणाली में विद्यमान असमानताओं को रोकने के लिये **पूर्वाग्रह एवं एल्गोरिथम संबंधी पारदर्शिता के विरुद्ध** मज़बूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।
- **प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण के साथ कानूनी सहायता: कानूनी सहायता के लिये वित्तपोषण बढ़ाना** और **कानूनी सहायता प्रदाताओं के लिये प्रदर्शन-आधारित प्रणाली स्थापित करना।**
  - इससे प्रभावी प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन मिलेगा है और यह सुनिश्चित होगा कि वंचित पृष्ठभूमि के प्रतिवादियों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्राप्त हो।
- **जमानत सुधार और विचाराधीन हिरासत में कमी लाना:** भारतीय विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट (2017) में हिरासत की अवधि को कम करने के लिये तत्काल उपाय किये जाने का आह्वान किया गया और यह निष्कर्ष दिया गया कि **इसे रोकने के लिये जमानत से संबंधित कानून पर पुनर्विचार किया** जाना चाहिये।
- **व्यापक पीड़ित एवं साक्षी संरक्षा:** मलिमथ समिति (2003) की अनुशंसा के अनुरूप, पर्याप्त वित्तपोषण एवं निगरानी के साथ **साक्षी संरक्षण योजना** (Witness Protection Scheme), 2018 को पूर्णतया लागू करने की आवश्यकता है।
- **न्यायपालिका में लैंगिक संवेदनशीलता को अपनाना:** सभी **न्यायिक अधिकारियों के लिये अनिवार्य लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण,** न्यायिक शिक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण का एकीकरण और लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों के लिये न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने की व्यवस्था कायम की जानी चाहिये।
  - **लैंगिक संबंधी रूढ़िवादिता पर हाल ही में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक** इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **कारागार प्रशासन में सुधार:** न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति की **अनुशंसा के अनुरूप, जेलों के भीतर विचाराधीन कैदियों**, दोषसिद्धों और पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों (first-time offenders) को अनिवार्य रूप से पृथक रखने की आवश्यकता है, जिसमें अदालत में पेशी और अस्पताल में जाँच के दौरान भी पृथक रखना शामिल है।

नोट :

- समिति ने ज़ोर दिया है कि कारागार प्रशासन को **आयुष्मान भारत योजना** जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का व्यापक रूप से क्रियान्वयन करना चाहिये।

- **फास्ट-ट्रैक न्यायालयों का पुनरुद्धार:** समर्पित न्यायाधीशों द्वारा फास्ट-ट्रैक न्यायालयों का पुनरुद्धार करने और फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के लिये बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता है, जहाँ **बाध्यकारी समयसीमा निर्धारण और मामलों की निगरानी एवं शीघ्र निपटान के लिये केस प्रबंधन प्रणाली** शुरू की जाए।
- **राजनीति के अपराधीकरण से निपटना:** वोहरा समिति (1993) के निष्कर्षों के अनुरूप, राजनीति के अपराधीकरण से निपटने के लिये एक समर्पित संस्था के गठन की आवश्यकता है।
  - इस संस्था को विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी एकत्र करने, राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के बीच गठजोड़ की जाँच करने और संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।
  - ऐसी संस्था राजनीतिक प्रणाली को आपराधिक प्रभावों से मुक्त करने तथा जनता का विश्वास पुनर्बहाल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- **पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना:** माधव मेनन समिति (2007) के सुझाव के अनुरूप पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - यह दृष्टिकोण केवल दंड देने के बजाय अपराध से होने वाली क्षति के उपचार (healing the harm) पर केंद्रित है।

■■■

जल प्रबंधन: अभाव से स्थायित्व तक

भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है जहाँ देश के वृहत भूभागों में जल की भारी कमी की स्थिति उत्पन्न हुई है। ग्रीष्म लहर के लगातार बढ़ते खतरे और वर्षा की अनियमितता ने इस संकट को और बढ़ा दिया है, जहाँ नदियों और जलभृत के जल स्तर चिंताजनक दर से कम हो रहे हैं।

नदियों में जल का प्रवाह कम होने और भूजल स्तर में गिरावट ने इस ग्रीष्मकाल को अत्यंत कठिन बना दिया है। बेंगलुरु जैसे शहरों में नलके सूख गए हैं, जिससे नदी के जल के बँटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद बढ़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिये महज नल जल कनेक्शन प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। भारत को **संसाधनों के संरक्षण, उचित वितरण और संवहनीय जल प्रबंधन के लिये समग्र रणनीति अपनाने पर केंद्रित** एक दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है।

भारत में जल प्रबंधन की संरचना

- **केंद्रीय स्तर पर:**
  - जल शक्ति मंत्रालय (MoJS): मई 2019 में स्थापित यह नया मंत्रालय राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण करने और देश भर में **जल संसाधन प्रबंधन गतिविधियों की देखरेख करने के लिये उत्तरदायी शीर्ष निकाय** है।
  - केंद्रीय जल आयोग (CWC): यह जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक तकनीकी संगठन है जो जल संसाधन विकास परियोजनाओं और **नदी बेसिन योजना पर तकनीकी मार्गदर्शन** प्रदान करता है।
  - केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB): यह भारत में **भूजल संसाधनों के आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार** संस्था है।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB): जैसा कि वर्ष 1974 के जल अधिनियम में परिभाषित किया गया है, CPCB का मुख्य कार्य जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के माध्यम से **राज्यों में नदियों एवं कुओं की सफाई को बढ़ावा देना** है।
- **राज्य स्तर पर:**
  - **राज्य जल संसाधन विभाग:** ये अपने-अपने राज्यों में जल नीतियों के कार्यान्वयन और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
  - **सिंचाई विभाग:** ये सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन और कृषि प्रयोजनों के लिये जल वितरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs):** ये जल प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- **स्थानीय स्तर पर:**
  - पंचायत (**ग्राम परिषद**): पंचायतें जल संरक्षण को बढ़ावा देने और समान वितरण सुनिश्चित करने के साथ ग्राम स्तर पर जल संसाधनों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - नगरपालिकाएँ: ये शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार हैं।

नोट :

- **जल उपयोगकर्ता संघ (WUAs):** ये स्थानीय स्तर पर सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिये गठित किसानों के समूह हैं।

जल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- मूल अधिकार: जल, जो मानव अस्तित्व के लिये आवश्यक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है।
- **संघ सूची की प्रविष्टि 56:** केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी बेसिनों को विनियमित करने एवं विकसित करने के लिये अधिकृत किया गया है, जैसा कि संसद द्वारा सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक समझा जाए।
- **राज्य सूची की प्रविष्टि 17:** यह प्रविष्टि जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित है।
- अनुच्छेद 262: जल-संबंधी विवादों के मामलों में, संसद अंतर्राज्यीय नदियों या नदी बेसिनों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये कानून बना सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, **संसद ऐसे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के लिये कानून बना** सकती है।

भारत में जल संकट के प्रमुख कारण

- **तेज़ी से घटते भूजल संसाधन:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर भूजल का सबसे बड़ा निष्कर्षणकर्ता है, जो **विश्व के भूजल निष्कर्षण में लगभग 25% हिस्सेदारी** रखता है।
  - जल की अत्यधिक निकासी के कारण जलभृतों के जल स्तर में चिंताजनक रूप से कमी आई है।
- **कृषि क्षेत्र की ओर से जल की बढ़ती मांग:** भारत में मीठे जल (virtual water) के उपयोग में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 78% है।
  - हरित क्रांति (Green Revolution) के कारण सिंचाई के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल स्तर में भारी गिरावट आई।
  - बाढ़ सिंचाई (Flood irrigation), जो एक अत्यधिक अकुशल विधि है, अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है, जिसके कारण जल की गंभीर हानि होती है।
  - नीति आयोग (NITI Aayog) के अनुसार, **गेहूँ की खेती के अंतर्गत शामिल लगभग 74% क्षेत्र और चावल की खेती के अंतर्गत शामिल लगभग 65% क्षेत्र** भारी जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- **अपर्याप्त जल अवसंरचना:** भारत की जल अवसंरचना पुरानी पड़ चुकी प्रणालियों, **खराब रखरखाव और रिसाव एवं चोरी के कारण** होने वाले भारी नुकसान से ग्रस्त है।
  - **मुंबई में रिसाव के कारण प्रतिदिन लगभग 700 मिलियन लीटर जल बर्बाद** हो जाता है।
  - नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोग अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण मृत्यु का शिकार** होते हैं।
- **शहरी विस्तार और औद्योगिक विकास:** तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने जल की मांग में वृद्धि की है, साथ ही जल प्रदूषण में भी योगदान किया है।
  - **नीति आयोग** के अनुसार, **जल संकट से जूझ रहे विश्व के 20 सबसे बड़े शहरों में से 5 भारत में हैं और भारत के लगभग 70% सतही जल संसाधन** प्रदूषित हैं।
- **रेत खनन:** नदी तल से अनियंत्रित रेत खनन (Sand Mining) से नदी की पारिस्थितिकी बाधित होती है और उनकी जल वहन क्षमता कम हो जाती है।
  - इससे न केवल निचले इलाकों में जल उपलब्धता प्रभावित होती है, बल्कि 'फ्लैश फ्लड' और नदी तट के कटाव का खतरा भी बढ़ जाता है।
  - **यमुना नदी में अनियंत्रित रेत खनन** इसका एक उदाहरण है।
- **विखंडित शासन:** भारत में जल प्रबंधन प्राय: केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच विखंडित बना रहा है।
  - समन्वय की कमी के कारण प्रयासों के दोहराव, संसाधनों के अकुशल आवंटन और परस्पर विरोधी नीतियों की स्थिति बनती है।
  - कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जारी कावेरी जल विवाद **ऐसे ही विखंडन का परिणाम** है।
- **मांग-पक्ष प्रबंधन पर अपर्याप्त ध्यान:** भारत की जल नीतियों ने मुख्य रूप से बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि मांग-पक्ष प्रबंधन की उपेक्षा की है।

नोट :

- जल-कुशल प्रौद्योगिकियों और पुनर्चक्रण जैसे उपायों पर सीमित ध्यान दिया गया है।
- भारत में केवल 30% अपशिष्ट जल का ही पुनर्चक्रण किया जाता है, जबकि इज़राइल में यह 89-90% तक संपन्न होता है।

- **समुद्र स्तर में वृद्धि और लवणीकरण:** जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय **जलभृतों में खारे जल के प्रवेश** का खतरा बढ़ता जा रहा है।
  - यह लवणीकरण मीठे जल के स्रोतों को कृषि एवं पेयजल के लिये अनुपयोगी बना देता है, जिससे तटीय समुदायों के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
  - **गुजरात और आंध्र प्रदेश** के कुछ हिस्सों में भूजल की बढ़ती लवणता एक चिंताजनक प्रवृत्ति है।

जल संकट के संभावित परिणाम:

- **मानव पूंजी विकास में बाधा:** जल संग्रहण का समय बोझ, विशेषकर बालिकाओं के लिये, प्राय: उन्हें स्कूल छोड़ने के लिये विवश करता है, जिससे उनकी शिक्षा और दीर्घकालिक अवसरों में बाधा उत्पन्न होती है।
  - इसके अलावा, जल की कमी से प्रेरित जलजनित बीमारियों और कुपोषण से बच्चों में संज्ञानात्मक हानि उत्पन्न हो सकती है।
- **दीर्घकालिक आर्थिक जोखिम:** **विश्व बैंक** का अनुमान है कि यदि जल की कमी की समस्या को संबोधित नहीं किया गया तो **वर्ष 2050 तक भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक की हानि** हो सकती है। इससे आर्थिक वृद्धि और विकास में व्यापक बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - जल की कमी के कारण विभिन्न कारोबार जल-प्रधान उद्योगों में निवेश करने से संकोच कर सकते हैं, जिससे रोज़गार सृजन और आर्थिक अवसर प्रभावित होंगे।
- **जल माफिया का उदय:** बेंगलुरु जैसे जल-संकटग्रस्त शहरों में अनौपचारिक जल बाज़ार उभर आए हैं, जहाँ 'जल माफिया' जल के टैंकरों तक पहुँच को नियंत्रित करते हैं और भारी कीमत वसूलते हैं।
  - इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ बढ़ती हैं तथा जल जैसी बुनियादी आवश्यकता के लिये एक काला बाज़ार उत्पन्न होता है।
- **सीमापारीय जल विवादों पर प्रभाव:** जल की कमी भारत और उसके पड़ोसी देशों (जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भारत के साथ नदी बेसिनों की साझेदारी करते हैं) के बीच मौजूदा तनावों को और बढ़ा सकती है।
  - इससे क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है और जल संसाधनों को लेकर संघर्ष बढ़ सकता है।
- **जैवविविधता के लिये खतरा:** घटते जल स्तर और प्रदूषण से मीठे जल की मछलियों, उभयचरों एवं सरीसृपों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।
  - गंगा नदी के प्रवाह में कमी के कारण लुप्तप्राय **'गंगा नदी डॉल्फिन'** अपने पर्यावास के नष्ट होने का खतरा झेल रहे हैं।

भारत में जल संकट से निपटने के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- जल शक्ति अभियान – 'कैच द रेन' अभियान
- अटल भूजल योजना
- जल जीवन मिशन (JJM)
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

जल संकट के समाधान हेतु आवश्यक उपाय:

- **बंजर भूमि को पुनर्भरण इकाइयों में बदलना:** कम उपयोग की गई भूमि को रणनीतिक रूप से डिज़ाइन किये गए **'वाटर पार्कों'** में परिवर्तित किया जाए, जो **भूजल पुनर्भरण** के लिये समर्पित हों।
  - इन **पार्कों में बायोस्वाल (bioswales), निर्मित आर्द्रभूमि और वर्षा जल संचयन संरचनाएँ** शामिल की जा सकती हैं, जिससे ऐसे आकर्षक स्थान निर्मित होंगे जो सक्रिय रूप से जलभृतों की पूर्ति करेंगे।
- **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अपशिष्ट के उपयोग से विलवणीकरण:** बड़े पैमाने के विलवणीकरण संयंत्रों का विकास किया जाए जो **नवीकरणीय ऊर्जा** स्रोतों और अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संयोजन द्वारा संचालित हों।
  - विलवणीकरण संयंत्र न केवल स्वच्छ जल उत्पन्न करते हैं, बल्कि अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित भी करते हैं, जिससे एक **संवहनीय एवं आत्मनिर्भर जल उत्पादन प्रणाली का निर्माण** होता है।
- **शहरी वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ:** सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य बनाया जाए तथा **मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण किया जाए।**
  - 'ग्रीन रूफ' (green roofs) को भी अपनाया जा सकता है जो वर्षा जल को रोककर रखती हैं, भूजल का

पुन:भरण करती हैं और झंझा-नीर (stormwater) के अपवाह को कम करती हैं।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संवहनीय सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम** में 900 वर्षा जल संचयन गड्ढे स्थापित किये जाने हैं।

- **ड्रिप सिंचाई और 'एक्वापोनिक्स' को बढ़ावा देना:** ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के व्यापक अंगीकरण को प्रोत्साहित किया जाए जो पौधों की जड़ों तक प्रत्यक्ष रूप से जल पहुँचाते हैं और वाष्पीकरण से होने वाली जल हानि को न्यूनतम करते हैं।
  - इसके साथ ही, एक्वापोनिक्स फार्मों (aquaponics farms) के विकास का समर्थन किया जाए, जो एक क्लोज्ड-लूप प्रणाली में एक्वाकल्चर (मछली पालन) को हाइड्रोपोनिक्स (जल में पौधे उगाना) के साथ संयुक्त करते हैं, जिससे जल की खपत घटती है।
- **स्मार्ट वाटर ग्रिड:** स्मार्ट वाटर ग्रिड का विकास किया जाए जो संपूर्ण जल वितरण नेटवर्क में सेंसर और त्वरित निगरानी प्रणालियों को एकीकृत करते हैं।
  - इससे रिसाव का शीघ्र पता लगाने, इष्टतम दबाव का प्रबंधन करने और समग्र दक्षता में सुधार लाने में मदद मिलती है।
- **कोहरा संग्रहण (Fog Harvesting):** पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरा संग्रहण प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं का पता लगाया जाए। इसके तहत विशेष जालीदार संरचनाएँ कोहरे से जल की बूँदों को जब्त करती हैं, जिससे सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों में जल का एक मूल्यवान स्रोत उपलब्ध हो जाता है।
  - चिली, मोरक्को और पेरू जैसे देशों में क्रियान्वित सफल कोहरा संग्रहण परियोजनाओं से भारत भी प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।
- **विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन:** ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिये विकेंद्रीकृत और समुदाय-संचालित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जैसा कि उत्तराखंड राज्य की स्वजल परियोजना में परिलक्षित होता है।
  - इसके अलावा, समुदाय या भवन स्तर पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए।
  - ये सुसंहत प्रणालियाँ अपशिष्ट जल को गैर-पेय अनुप्रयोगों में पुन: उपयोग के लिये उपचारित करती हैं, जिससे केंद्रीकृत उपचार संयंत्रों पर बोझ कम हो जाता है और मीठे जल की बचत होती है।
- **जल अवसंरचना के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** जल अवसंरचना परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित किया जाए।
  - इससे जल अवसंरचना विकास में **व्याप्त अंतराल को दूर करने के लिये निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और वित्तपोषण का लाभ** उठाया जा सकता है।
- **उद्योगों के लिये शून्य तरल निर्वहन:** जल-गहन उद्योगों के लिये शून्य तरल निर्वहन (Zero Liquid Discharge-ZLD) प्रणाली के अंगीकरण को अनिवार्य बनाया जाए, जिसके तहत अपशिष्ट जल को उपचारित किया जाता है और पुन:उपयोग के लिये पुनर्चक्रित किया जाता है।
  - **इको-इंडस्ट्रियल पार्कों के विकास** को प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ उद्योग जल संसाधनों की साझेदारी और पुन:उपयोग कर सकते हैं तथा जिससे मीठे जल की मांग और प्रदूषण में कमी लाने में योगदान दे सकते हैं।

■■■

पश्चिमी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कवायद

भारत का कूटनीतिक परिदृश्य लगातार जटिल होता जा रहा है, जहाँ भारत को चीन के साथ अपने संघर्षों और **रूस के साथ सहयोग** को प्रबंधित करने के साथ ही **पश्चिम के साथ अपने संबंधों का विस्तार** करने की आवश्यकता है। जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष और **पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र** में चीन एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यह संतुलन बनाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।

G-7 सम्मेलनों के एक नियमित भागीदार के रूप में भारत के लिये **'सामूहिक पश्चिम'** के साथ सहयोग को गहन करना उसके हित में है। चूँकि पश्चिम भी भारत को वैश्विक शासन संरचनाओं में शामिल करने की उत्सुकता रखता है, इसलिये आगामी G-7 शिखर सम्मेलन **(इटली की मेजबानी में आयोजित)** भारत के लिये पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को नया आकार देने के लिये एक प्रमुख अवसर प्रदान करता है।

G-7 क्या है?

- परिचय: G-7 औद्योगिक लोकतांत्रिक देशों—**संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम** का एक अनौपचारिक समूह है, जो वैश्विक

आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अब हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिये प्रतिवर्ष बैठक करता है।

- **इतिहास:** संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, इटली, जापान, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी ने वर्ष 1975 में छह देशों के समूह (Group of Six) का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य गैर-साम्यवादी देशों के लिये दबावपूर्ण आर्थिक चिंताओं से निपटने हेतु एक मंच प्रदान करना था। इन आर्थिक चिंताओं में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) के तेल प्रतिबंध से उत्पन्न मुद्रास्फीति और मंदी शामिल थी।
  - **कनाडा** वर्ष 1976 में इस समूह में शामिल हुआ।
  - यूरोपीय संघ (EU) ने वर्ष 1981 से G-7 में एक **'गैर-प्रगणित' सदस्य (non enumerated member)** (यानी वह सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता नहीं करता) के रूप में पूर्ण भागीदारी की है।
  - रूस **वर्ष 1998** से 2014 तक इस मंच का सदस्य रहा, जब इस समूह को **आठ देशों के समूह (G-8)** के रूप में से जाना जाता था। **यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र** पर रूस के कब्जे के बाद उसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई।
- **सचिवालय:** G-7 का **कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं** है।
  - इसकी अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच बारी-बारी वितरित होती है और अध्यक्ष देश द्वारा उस वर्ष का एजेंडा तय किया जाता है।
  - G-7 का **50वाँ शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया** के फसानो शहर में **(13 से 15 जून)** आयोजित किया जाएगा जिसमें **भारत को भी आमंत्रित** किया गया है।

भू-राजनीतिक संदर्भ में 'पश्चिम' (West) का क्या अर्थ है?

- **भौगोलिक क्षेत्र:** परंपरागत रूप से, पश्चिम से तात्पर्य **पश्चिमी यूरोप** और उसके उपनिवेशित क्षेत्रों (मुख्यत: **उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलेशिया**) से था।
  - पूर्वी यूरोप को इसमें शामिल करने के संबंध में बहस जारी है, जहाँ कुछ लोग इसे पूर्व सोवियत प्रभाव क्षेत्र का अंग मानते हैं।
  - हालाँकि, अब यह परिभाषा इतनी स्पष्ट नहीं रह गई है। विश्व की बढ़ती हुई अंतर्संबंधता 'पश्चिम' और 'पूर्व' के बीच स्पष्ट अंतर को चुनौती देती है।
- **सांस्कृतिक विशेषताएँ:**
  - **ग्रीको-रोमन विरासत:** पश्चिमी संस्कृति प्राचीन ग्रीस और रोम की दार्शनिक एवं राजनीतिक परंपराओं से व्यापक रूप से प्रभावित है तथा **तर्क, विवेक एवं व्यक्तिगत अधिकारों** पर बल देती है।
  - **ईसाई धर्म:** जबकि धार्मिक अभ्यास अधिक विविध हो गए हैं, ईसाई धर्म (विशेष रूप से **कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म**) ने पश्चिमी मूल्यों और संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार प्रदान किया है।
- **राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियाँ:**
  - **लोकतंत्र:** व्यक्तिगत 'फ्रीडम' एवं 'लिबर्टी' के साथ प्रतिनिधि सरकार की अवधारणा पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों की आधारशिला है।
  - **पूंजीवाद:** अधिकांश पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ निजी स्वामित्व और प्रतिस्पर्द्धा वाली मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था की विशेषता रखती हैं।
  - **विधि का शासन:** पश्चिमी देश स्थापित विधि एवं प्रक्रियाओं पर आधारित विधिक प्रणाली पर बल देते हैं, जो निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

भारत को पश्चिम के साथ अपने संबंधों को पुन:स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **चीन की चुनौती का प्रबंधन:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और भारत के साथ सीमा पर तनाव एक गंभीर चुनौती है।
  - **पश्चिमी** देश, विशेषकर **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी** के रूप में देखते हैं।

नोट :

- भारत-पश्चिम संबंधों में सुधार से आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से चीन की बहुआयामी चुनौती के प्रबंधन में बेहतर समन्वय संभव हो सकेगा।
  - **भारत और अमेरिका** ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'टाइगर ट्रायम्फ 2024' का आयोजन किया, जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर परस्पर सहयोग की इच्छा को प्रदर्शित करता है।

- **रूस के साथ संबंधों में संतुलन:** रक्षा सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध पश्चिम के साथ टकराव का विषय रहे हैं, विशेष रूप से **यूक्रेन संघर्ष** के परिदृश्य में, जहाँ **भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी कच्चे तेल के आयात में पर्याप्त वृद्धि** की है।
  - संबंधों को नया आकार देने से भारत को अपना रुख बेहतर ढंग से समझा सकने में मदद मिलेगी, साथ ही **ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता** जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों को **साझा आधार** तलाश सकने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- **अमेरिका-चीन प्रौद्योगिकीय वियोजन का प्रबंधन: अमेरिका-चीन के बीच बढ़ता प्रौद्योगिकीय युद्ध (tech wars) और AI एवं 5G** जैसी प्रौद्योगिकियों का द्विभाजन भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
  - इस क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष बने रहने से भारत की प्रौद्योगिकीय आकांक्षाओं और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - संबंधों की पुन:स्थापना से भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने और **अमेरिकी एवं पश्चिमी प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाने** के साथ ही अपने बाज़ार आकार का लाभ उठाते हुए **अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने** और अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
- **वैश्विक व्यापार वास्तुकला को पुनराकार देना:** WTO की चुनौतियों और 'समृद्धि के लिये हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचे' (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity) जैसी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के उदय के साथ, वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ रहा है।
  - चूँकि पश्चिम अपने हितों के अनुरूप नियम-आधारित ढाँचा बनाने का लक्ष्य रखता है, भारत को भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल होना चाहिये ताकि **डेटा स्थानीयकरण, ई-कॉमर्स और डिजिटल कराधान** जैसे मुद्दों पर उसकी चिंताओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।
  - संबंधों के नवीकरण से भारत डिजिटल युग के लिये व्यापार नियमों को नया स्वरूप देने में एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण की भू-राजनीति में आगे बढ़ना:** जलवायु परिवर्तन रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र बनता जा रहा है, जहाँ पश्चिमी देश नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेज़ी से संक्रमण करने और 'ग्रीन हाइड्रोजन' **एवं** 'कार्बन कैप्चर' जैसी प्रौद्योगिकियों के संभावित शस्त्रीकरण (weaponization of technologies) पर ज़ोर दे रहे हैं।
  - भारत की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताएँ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन **(फ्राँस के साथ)** जैसी पहलों में इसका नेतृत्व इसे एक महत्त्वपूर्ण साझीदार बनाता है।
  - संशोधित साझेदारी जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ऊर्जा परिवर्तन के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण को सुगम बना सकती है।
- **क्षेत्रीय संपर्क पर सहयोग:** एकीकृत क्षेत्रीय संपर्क ढाँचे के लिये भारत का दृष्टिकोण (जैसे 'भारत-मध्यपूर्व-यूरोप कॉरिडोर' जैसी पहलों के माध्यम से) वित्तपोषण, क्षमता निर्माण और व्यापक नियम-आधारित व्यवस्था के साथ तालमेल के लिये पश्चिमी सहयोग की आवश्यकता रखता है।

भारत और पश्चिम के बीच टकराव के प्रमुख विषय

- **वैश्विक शासन और सुधार पर मतभेद:** भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और विश्व बैंक जैसी वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार की मांग करता रहा है, ताकि ये बदलते शक्ति समीकरण को प्रतिबिंबित कर सकें।
  - लेकिन **पश्चिम के कुछ देश ऐसे सुधारों का समर्थन करने के प्रति अनिच्छुक** रहे हैं जो इन निकायों में उसके प्रभाव को कम कर देंगे। इससे भारत की वृहत वैश्विक भूमिका पाने की आकांक्षाओं के साथ एक टकराव उत्पन्न होता है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर भारत का रुख और जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के इसके प्रयासों के कारण प्राय: पश्चिमी दवा कंपनियों तथा सरकारों के साथ तनाव पैदा होता है।
  - संभावित विचलन या लीकेज की चिंता के कारण पश्चिमी देश भारत को **संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण** के प्रति भी सतर्क बने रहे हैं।

नोट :

- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाम संरेखण संबंधी अपेक्षाएँ:** भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** की खोज, जो इसकी गुटनिरपेक्ष विरासत में निहित है, प्राय: रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर निकट संरेखण की पश्चिमी अपेक्षाओं से टकराव रखती है।
  - पश्चिम भारत के **बहुपक्षीय दृष्टिकोण** को पक्षधरता की अनिच्छा के रूप में देखता है, जबकि भारत इसे **सर्वपक्षीय दृष्टिकोण** वाली व्यावहारिक विदेश नीति के रूप में देखता है (जो इसके प्रभाव और **समझौता वार्ता की शक्ति** को सुरक्षित रखती है)।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति भिन्न दृष्टिकोण:** क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण, विशेष रूप से अपने पड़ोस में, कभी-कभी पश्चिमी दृष्टिकोण से भिन्न प्रकट हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, म्याँमार के राजनीतिक संकट **में हस्तक्षेप करने की भारत की अनिच्छा** या अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के प्रति भारत के सतर्क रुख ने पश्चिमी नीतियों और अपेक्षाओं के साथ टकराव पैदा किया।
- **खालिस्तान का मुद्दा: कनाडा और यूके** जैसे पश्चिमी देशों में प्रवासी भारतीयों के कुछ तत्वों द्वारा खालिस्तान आंदोलन का पुनरुत्थान टकराव का एक गंभीर स्रोत बन गया है।
  - भारत ने इन देशों पर **भारत विरोधी गतिविधियों के लिये मंच** उपलब्ध कराने तथा खालिस्तान समर्थक तत्वों को आश्रय देने का आरोप लगाया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है।
- **रक्षा सहयोग और शस्त्र निर्यात:** रूस के साथ भारत का रक्षा सहयोग और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसी रूसी हथियार प्रणालियों की खरीद, पश्चिम के साथ (विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ) टकराव का स्रोत रही है।
  - पश्चिमी देशों, विशेष रूप से **अमेरिका** ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। हालाँकि भारत को CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई थी, लेकिन हाल के समय में चिंताओं का पुन: उभार हुआ है।

भारत और पश्चिम अपने मतभेदों को किस प्रकार सुलझा सकते हैं?

- **बहुपक्षीय प्रौद्योगिकी गठबंधन की स्थापना करना:** भारत और पश्चिमी देश एक बहुपक्षीय प्रौद्योगिकी गठबंधन (Plurilateral Tech Alliance) के निर्माण पर विचार कर सकते हैं, जो AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा जैसी महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये मानकों के **विकास एवं निर्धारण** पर केंद्रित हो।
  - यह गठबंधन समान अवसर सुनिश्चित करते हुए और भागीदार पक्षों के रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए **संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के सह-विकास** को सुगम बना सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नवाचार कोष का निर्माण करना:** जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण पर टकराव को दूर करने के लिये, भारत और पश्चिमी देश संयुक्त रूप से **स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के अनुसंधान, विकास एवं क्रियान्वयन को वित्तपोषित करने और उसमें तेज़ी लाने के लिये एक समर्पित कोष का निर्माण** कर सकते हैं।
  - यह कोष ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, **संवहनीय विमानन ईंधन** और **जलवायु-प्रत्यास्थी अवसंरचना** जैसे क्षेत्रों में क्रियान्वित परियोजनाओं का समर्थन कर सकता है, सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं जलवायु वित्त संबंधी चिंताओं का शमन कर सकता है।
- **उत्तरदायी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये संयुक्त ढाँचा:** अंतरिक्ष अन्वेषण एवं वाणिज्यीकरण में तेज़ी के साथ, भारत और पश्चिमी देश **उत्तरदायी अंतरिक्ष अन्वेषण एवं प्रशासन के लिये एक संयुक्त ढाँचा** विकसित कर सकते हैं।
  - यह ढाँचा अंतरिक्ष संसाधनों के संवहनीय उपयोग, **अंतरिक्ष मलबे की रोकथाम** और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग जैसे मुद्दों को संबोधित कर सकता है तथा प्रत्येक भागीदार के रणनीतिक हितों का सम्मान करते हुए सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।
- **क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना:** यद्यपि एक **अखिल भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते** को अंतिम रूप देना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है, फिर भी भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ हाल ही में संपन्न TEPA की तर्ज पर विशिष्ट देशों के साथ लघु क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की संभावना तलाश सकता है।
  - इससे तीव्र प्रगति संभव होगी और विविध आर्थिक हितों की पूर्ति होगी।
- **मुद्दा-आधारित संरेखण:** भारत को कुछ क्षेत्रों के लिये **'मुद्दा-आधारित संरेखण' ढाँचा** विकसित करने की आवश्यकता है, जो अन्य विषयों पर भारत के स्वतंत्र रुख का सम्मान करते हुए परस्पर चिंता के क्षेत्रों में सहयोग का अवसर प्रदान करेगा।

नोट :

- **भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के बारे में मिथ्या धारणाओं एवं चिंताओं को दूर करने के लिये** और **पारदर्शिता एवं खुला संचार** सुनिश्चित करने के लिये संवाद तंत्रों की स्थापना की जानी चाहिये।

■■■

आतंकवाद का उन्मूलन

आतंकवाद का साया पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। नागरिकों पर समन्वित हमलों से लेकर लक्षित हत्याओं तक, आतंकवादी समूह अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हिंसा और भय का इस्तेमाल करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद का मुक़ाबला करने की दिशा में प्रगति तो की है, लेकिन इसकी **पहुँच और रणनीति अभी भी अस्थिर** है, जो **निरंतर सतर्कता एवं अनुकूलन की आवश्यकता** रखता है।

आतंकवाद से संघर्ष का लंबा इतिहास रखने वाले भारत को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर के अशांत क्षेत्र में यह विशेष रूप से प्रकट है, जहाँ रियासी ज़िले में तीर्थयात्रियों पर हाल ही में हुए हमले जैसी घटनाएँ शांति की भंगुरता को उजागर करती हैं। पूर्व में आतंकवाद से कम प्रभावित रहे **रियासी जैसे ज़िले में ऐसी घटना** का सामने आना क्षेत्र में शांति की भंगुरता को उजागर करता है।

आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संघर्ष को **बहुआयामी दृष्टिकोण** की आवश्यकता है। घुसपैठ के प्रयासों को रोकने और आतंकी नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिये कठोर सुरक्षा उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। केवल एक व्यापक रणनीति के माध्यम से ही, जिसमें सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ अंतर्निहित शिकायतों को दूर करने के प्रयास शामिल हों, भारत अपने नागरिकों के लिये स्थायी शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति की उम्मीद कर सकता है।

भारत में आतंकवाद से संबंधित ढाँचा

- **परिचय:** आतंकवाद **हिंसा और धमकी का, विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध, मंशापूर्ण एवं अवैध उपयोग** है, जिसका उद्देश्य भय पैदा करना और राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना है।
  - यह **भय, व्यवधान और अनिश्चितता का माहौल** बनाकर सरकारों या समाजों को प्रभावित करने का ध्येय रखता है।
  - भारत आतंकवाद के विरुद्ध **'शून्य सहनशीलता' की नीति** के साथ कठोर रुख रखता है।
  - हालाँकि **आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं** है, जिससे विशिष्ट गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है।
    - यह अस्पष्टता आतंकवादियों को लाभ पहुँचाती है और कुछ देशों को चुप रहने तथा वैश्विक संस्थाओं में किसी कार्रवाई पर वीटो लगाने में सक्षम बनाती है।
- **घरेलू कानून:**
  - **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967:** यह आतंकवादी संगठनों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है, आतंकवादी गतिविधियों को आपराधिक घोषित करता है और जाँच एवं अभियोजन के लिये अधिकारियों को सशक्त बनाता है।
  - **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008:** यह **आतंकवाद से संबंधित अपराधों** की जाँच एवं अभियोजन के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना करता है।
- **संस्थागत ढाँचा:**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS):** राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की देखरेख एवं समन्वय करता है जिसमें आतंकवाद-रोधी प्रयास भी शामिल हैं।
  - **गृह मंत्रालय (MHA):** घरेलू स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों और खुफिया सूचना संग्रहण का नेतृत्व करता है।
  - **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA):** यह आतंकवाद-संबंधी बड़े मामलों की जाँच और अभियोजन में भूमिका निभाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते:** भारत आतंकवाद-रोधी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्त्ता है, जिनमें शामिल हैं:
  - **राजनयिक एजेंटों सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर अभिसमय (Convention on the Prevention and Punishment of Offences against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents), 1973**
  - बंधकों बनाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention against the Taking of Hostages), 1979

नोट :

- आतंकी वित्तपोषण के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism), 1999

आतंकवाद के विभिन्न उभरते रूप कौन-से हैं?

- **'लोन वुल्फ' हमले (Lone Wolf Attacks):** ऐसे कट्टरपंथियों का उभार हुआ है जो किसी बड़े समूह का अंग हुए बिना **स्वयं के स्तर पर हमले** कर रहे हैं, जो खुफिया एजेंसियों के लिये एक बड़ी चुनौती बन गई है।
  - इन 'लोन वुल्फ' आतंकवादियों का पता लगाना कठिन होता है और वे बिना किसी चेतावनी के भी हमला कर सकते हैं।
- **जैव आतंकवाद संबंधी जोखिम:** कोविड-19 महामारी ने जैव आतंकी हमले की संभावना की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जहाँ बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिये **वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जैविक विषाक्त पदार्थों को हथियार के रूप में इस्तेमाल** किया जा सकता है।
  - **विनाशकारी मंशा** रखने वाले अराजक तत्त्वों द्वारा ऐसे जैव एजेंटों की अवैध खरीद एवं तैनाती एक बड़ा खतरा बनी हुई है, जिस पर निरंतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
- **मानवरहित यान/ड्रोन संबंधी खतरे:** उन्नत लेकिन सस्ती **वाणिज्यिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों** के तीव्र प्रसार ने एक नए खतरे का द्वार खोल दिया है, जहाँ आतंकवादी खुफिया **सूचना संग्रहण, लक्षित हमलों या विस्फोटकों/रासायनिक प्रसरण उपकरणों** के वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। इससे एक नई सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुई है।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने जून 2021 में **जम्मू में वायु सेना स्टेशन** पर एक गंभीर ड्रोन हमले का सामना किया।
    - **भारत-पाकिस्तान सीमा से 14 किमी दूर** स्थित इस एयरबेस पर लो-फ्लाइंग ड्रोनों द्वारा हमला किया गया, जहाँ एयरबेस पर दो **इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs)** गिराए गए।
- **आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने: अफ्रीका और मध्य-पूर्व** के कुछ भू-भागों में लंबे समय से संघर्षग्रस्त एवं सीमित शासन वाले संवेदनशील क्षेत्र आतंकवादी समूहों को **सुरक्षित आश्रय** पाने, **प्रशिक्षण अवसंरचनाएँ** स्थापित करने और सीमा-पार **हिंसा फैलाने के लिये अनुकूल आधार** प्रदान करते हैं, जिससे ये अस्थिर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिये सहायक बन जाते हैं।
- **आतंकवाद-अपराध गठजोड़:** आतंकवादी समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक सिंडिकेट के बीच गहराता अभिसरण उनके **अवैध वित्तीय संसाधनों (क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से), वितरण नेटवर्क** (जैसे पंजाब में नशीली दवाओं का आपूर्ति तंत्र) और **हथियारों की खरीद एवं मानव तस्करी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता** के साथ संयुक्त होकर एक शक्तिशाली खतरा गुणक के रूप में उभरा है जो निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों की मांग रखता है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रेरित आतंकवाद:** आतंकवादी समूह भर्ती, कट्टरपंथ के प्रसार, अभियान संबंधी योजना-निर्माण और हमले के निष्पादन के सभी चरणों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये **एन्क्रिप्टेड संचार एवं डार्क वेब** जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।
  - आतंकवाद-रोधी बलों के लिये इस प्रौद्योगिकीय वक्र से आगे बने रहना **एक सतत् चुनौती** बनी हुई है।

भारत के समक्ष विद्यमान आतंकवाद संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ

- **सीमा-पार आतंकवाद:** भारत अपने पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान की ओर से, सीमा-पार आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है।
  - हाल के घटनाक्रमों में वर्ष 2019 का पुलवामा हमला शामिल है, जहाँ पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह के एक आत्मघाती हमलावर ने भारतीय सुरक्षाकर्मियों के काफिले को निशाना बनाया था।
  - अभी हाल में **रियासी** (जून 2024) में तीर्थयात्रियों पर हमले जैसी घटनाओं से उजागर होता है कि **राजौरी और पुंछ जैसे पारंपरिक रूप से आतंकवाद प्रभावित ज़िलों** में सुरक्षा दबाव बढ़ने से अब आतंकवादी परिधीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
- **वामपंथी उग्रवाद (LWE):** वामपंथी उग्रवाद आंदोलन, जिसे नक्सलवादी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के लिये एक सतत् चुनौती रहा है।
  - माओवादी विद्रोही समूह **छत्तीसगढ़ और झारखंड** जैसे कई राज्यों में सक्रिय हैं, जो हिंसा, जबरन वसूली और विकास परियोजनाओं में बाधा डालने में संलिप्त हैं।
  - वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 76% की कमी आई है।

नोट :

- हालाँकि यह समस्या अभी भी बनी हुई है, जिसकी पुष्टि हाल ही में **छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले** में हुई घटना से होती है।

- **अलगाववादी आंदोलन और आतंकवाद:** भारत को **पूर्वोत्तर और पंजाब** सहित विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों और आतंकवाद का सामना करना पड़ा है।
  - जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा विशेष रूप से जटिल रहा है, जहाँ **लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** और **जैश-ए-मोहम्मद (JeM)** जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह इसे हवा दे रहे हैं।
- **कट्टरपंथ का प्रसार और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा:** कट्टरपंथ का उभार (विशेष रूप से युवाओं में) और **ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों एवं सोशल मीडिया** के माध्यम से चरमपंथी विचारधाराओं का प्रसार एक गंभीर चुनौती है।
  - भारत में युवाओं को 'हनी ट्रैपिंग' (जैसे **हाल ही में पूर्व ब्रह्मोस इंजीनियर को लुभाने का मामला**) जैसे तरीकों से कट्टरपंथी बनाये जाने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती किये जाने के कई उदाहरण देखे गए हैं।
    - **फरवरी 2024** में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिये युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के मामले में **NIA** ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था।
- **साइबर आतंकवाद:** डिजिटल अवसंरचना पर बढ़ती निर्भरता और आतंकवादी समूहों या राज्य प्रायोजित अभिकर्ताओं द्वारा साइबर हमलों की संभावना भारत के लिये एक उभरती हुई चिंता है।
  - साइबर आतंकवाद **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय प्रणालियों और संवेदनशील डेटा** को निशाना बना सकता है, जिससे महत्त्वपूर्ण व्यवधान एवं आर्थिक क्षति की स्थिति बन सकती है।
  - हाल के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की एक कंपनी ने लगभग **100 गीगाबाइट भारतीय आव्रजन डेटा** का उल्लंघन किया है।
- **पाकिस्तान का FATF के 'ग्रे लिस्ट' से बाहर आना:** चूँकि पाकिस्तान को FATF के **'ग्रे लिस्ट'** से बाहर कर दिया गया है, आतंकवादी समूहों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के अभाव का भारतीय दावा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने महत्त्व से नहीं देखा जाएगा।
  - **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की सूची में पाकिस्तान को शामिल किये जाने से भारत की चिंताओं की एक प्रकार से पुष्टि हुई थी।
  - इसके अलावा, इस मामले में 'चाइना फैक्टर' भी सामने आता है, जो हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करने की भारत की मांग को चीन द्वारा अवरुद्ध करने से उज़ागर होता है।

आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है?

- **केवल दंड पर नहीं, बल्कि पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करना:** कट्टरपंथ के प्रारंभिक चरण में पाए गए व्यक्तियों के लिये **कट्टरपंथ मुक्ति कार्यक्रम** विकसित किये जाएँ।
  - इन कार्यक्रमों को कट्टरपंथ के मूल कारणों को संबोधित करना चाहिये और प्रतिभागियों को पुनर्वास एवं **समाज में पुन: एकीकरण के अवसर** प्रदान किये जाने चाहिये।
- **राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी डेटाबेस की स्थापना करना:** एक ऐसा केंद्रीकृत एवं सुरक्षित डाटाबेस विकसित किया जाए जो कानून प्रवर्तन, खुफिया एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों सहित **विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचना को एकीकृत** करता हो।
  - पैटर्न, कनेक्शन एवं संभावित खतरों की पहचान करने के लिये **उन्नत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग** तकनीकों का लाभ उठाया जाए, ताकि अग्रसक्रिय कार्रवाई संभव हो सके।
- **भौतिक सुरक्षा उपायों में वृद्धि करना:** महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, सार्वजनिक स्थानों और संभावित उच्च जोखिमयुक्त लक्ष्यों के लिये भौतिक सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए, जिसमें **निगरानी प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण और परिधि सुरक्षा** शामिल है।
  - संभावित कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिये नियमित **सुरक्षा ऑडिट एवं भेद्यता आकलन** का आयोजन किया जाए।
  - आतंकवादी हमलों की स्थिति में प्रबल **संकट प्रबंधन प्रोटोकॉल** और बचाव-निकासी योजनाओं (evacuation plans) को लागू किया जाए।
- **पुलिस के लिये ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस प्रशिक्षण:** संभावित खतरों की पहचान करने और आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मंचों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने हेतु **ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) प्रौद्योगिकियों** में पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाए।

नोट :

- **साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना:** महत्त्वपूर्ण अवसंरचना और ऑनलाइन प्रणालियों को आतंकवादी संगठनों के साइबर हमलों एवं **डिजिटल जासूसी** से बचाने के लिये उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों के विकास में निवेश किया जाए।
- **सुरक्षा बलों के साथ ही समुदायों को भी सशक्त बनाना:** समुदायों को, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, **कट्टरपंथ के आरंभिक संकेतों और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में** शिक्षित करने की आवश्यकता है।
  - चरमपंथी प्रभाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक शिकायतों का समाधान किया जाए। आशा की भावना पैदा करने और कट्टरपंथ को हतोत्साहित करने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं आजीविका के अवसरों में सुधार लाया जाए।
    - जम्मू-कश्मीर में **'हिमायत' (Himayat) और 'उम्मीद' (UMEED) योजना** इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
    - युवाओं को नई दिशा प्रदान करने के साधन के रूप में कट्टरपंथ की संभावना वाले क्षेत्रों में **'खेलो इंडिया सेंटर'** स्थापित किये जा सकते हैं।
    - **आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाना** और इस प्रकार उनके **मन-मस्तिष्क को जीतना** आवश्यक है। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर में संबंधित बैठक का आयोजन इसी दिशा में उठाया गया कदम था।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा को साझा उत्तरदायित्व के रूप में** बढ़ावा देने का यह उपयुक्त समय है।
- **आतंक की वित्तीय जीवनरेखा को कमज़ोर करना: वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने** के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार किया जा सकता है।
  - ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता के कारण आतंकवादियों के लिये धन स्थानांतरित करना कठिन सिद्ध हो सकता है।

■■■

भारत में संघवाद का भविष्य

केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के पुनरुत्थान ने क्षेत्रीय दलों को प्रमुख 'पावर ब्रोकर' के रूप में स्थापित किया है जहाँ अब केंद्रीकृत नीति निर्णयन की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

हाल के वर्षों में सरकार ने **नीति (National Institution for Transforming India-NITI) आयोग** जैसी संस्थाओं के माध्यम से सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धी संघवाद पर अधिक बल दिया है। हालाँकि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर **वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति निधि** को रोके रखने के बारे में चिंता जताई है, जिससे टकरावपूर्ण संघवाद के उदाहरण सामने आए हैं।

इसके अलावा, शासन की सुव्यवस्था एवं राष्ट्रीय एकता के संवर्द्धन के लिये **'एक राष्ट्र - एक चुनाव'** के सत्तारूढ़ दृष्टिकोण और 'एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक संविधान' के विचार पर विभिन्न राज्यों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ आई हैं, जो भारत में संघवाद की जटिलताओं को दर्शाती हैं।

इस प्रकार, गठबंधन ढाँचे के अंतर्गत शासन से केंद्र-राज्य संबंधों में विश्वास को पुन:स्थापित करने तथा संतुलन बहाल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

संघवाद (Federalism):

- **परिचय:**
  - संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वितरण शामिल है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्वशासन की अनुमति देते हुए एकता बनाए रखना है।
  - संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को समायोजित करने का अवसर देता है।
- **संघवाद की विशेषताएँ:**
  - **शक्तियों का विभाजन:** शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार (संघ) और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है।
  - **लिखित संविधान:** लिखित संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण करता है।
  - **संविधान की सर्वोच्चता:** संविधान सर्वोच्च है और यह संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।
  - **स्वतंत्र न्यायपालिका:** एक स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों को सुलझाने के लिये संविधान की व्याख्या करती है और उसे प्रवर्तित करती है।
  - **दोहरी सरकार:** केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र होते हैं।
  - **कठोर संविधान:** संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता है और इसमें परिवर्तन के लिये स्पष्ट प्रक्रियाएँ प्रदान की गई हैं।

नोट :

- **संघवाद के प्रकार:**
  - **'होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' (Holding Together Federation):** इस प्रकार के संघ में संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिये विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। यहाँ शक्तियाँ आम तौर पर केंद्रीय सत्ता की ओर झुकी होती हैं।
    - उदाहरण: भारत, स्पेन, बेल्जियम।
  - **'कमिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' (Coming Together Federation):** इस प्रकार के संघ में स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिये एक साथ आते हैं। यहाँ राज्यों को 'होल्डिंग टूगेदर फ़ेडरेशन' के रूप में गठित संघ की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।
    - **उदाहरण:** संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड।
  - **असममित संघ (Asymmetrical Federation):** इस प्रकार के संघ में कुछ घटक इकाइयों के पास ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों से अन्य की तुलना में अधिक शक्तियाँ या विशेष स्थिति होती है।
    - **उदाहरण:** कनाडा, रूस, इथियोपिया।
- **भारतीय संघवाद की प्रकृति:**
  - भारतीय संविधान एक प्रबल संघ (strong Union) के साथ संघीय प्रणाली की स्थापना करता है।
    - इस कारण, भारतीय संघवाद को कभी-कभी अलग-अलग शब्दों से संदर्भित किया जाता है:
  - के.सी. व्हीयर (KC Wheare) ने इसे 'अर्द्ध-संघीय' (Quasi-federal) कहा।
  - ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin) ने इसे 'सहकारी संघवाद' (Cooperative federalism) कहा, जहाँ राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता की आवश्यकता रहती है।
  - मॉरिस जोन्स (Morris Jones) ने इसे सौदेबाज़ी शक्ति युक्त संघवाद' (Bargaining Federalism) के रूप में परिभाषित किया।
  - आइवर जेनिंग (Ivor Jenning) ने इसे 'केंद्रीकरण की प्रवृत्ति युक्त संघवाद' (Federalism with Centralizing tendency) कहा।
  - संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं कार्यकारी शक्तियों का वितरण निर्दिष्ट किया गया है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **सातवीं अनुसूची:** यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विभाजित करती है।
  - **अनुच्छेद 1:** भारत को राज्यों के संघ (Union of States) के रूप में परिभाषित करता है।
  - **अनुच्छेद 245:** संसद और राज्य विधानमंडल को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विधि-निर्माण की शक्ति प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 246:** उन विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं।
  - **अनुच्छेद 263:** सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 279-A:** राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद (GST Council) गठित करने का अधिकार देता है।

भारत में संघवाद की अवधारणा किस प्रकार विकसित हुई?

- **आंतरिक-दल संघवाद (Inner-Party Federalism) (1950-67):**
  - संघवाद के प्रथम चरण के दौरान संघीय सरकार और राज्यों के बीच प्रमुख विवादों का समाधान कांग्रेस पार्टी के मंचों पर किया जाता था, जिसे राजनीतिक-वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने 'कांग्रेस प्रणाली' (Congress System) कहा है।
  - इससे प्रमुख संघीय संघर्षों को रोकने या नियंत्रित करने और सर्वसम्मति-आधारित 'आंतरिक-दल संघवाद' का निर्माण करने में मदद मिली।
- **अभिव्यंजक संघवाद (Expressive Federalism) (1967-89):**
  - वर्ष 1967 के बाद से दूसरे चरण में, कांग्रेस पार्टी अभी भी केंद्र में सत्ता में थी, लेकिन कई राज्यों में उसे सत्ता खोनी पड़ी, जहाँ विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली और कांग्रेस विरोधी गठबंधन सरकारें बनीं।
  - इस चरण ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के बीच **'अभिव्यंजक' (expressive)** और अधिक प्रत्यक्ष संघर्षपूर्ण संघीय गतिशीलता के युग को चिह्नित किया।

नोट :

- **बहुदलीय संघवाद (Multi-Party Federalism) (1990-2014):**
  - 1990 के दशक में गठबंधन का दौर देखा गया, जिसे 'बहुदलीय संघवाद' के रूप में भी देखा जाता है, जब राष्ट्रीय दल संसद में बहुमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। राष्ट्रीय गठबंधनों ने क्षेत्रीय शक्तियों की मदद से संघ में अपना प्रभाव बनाए रखा।
  - इस अवधि में केंद्र-राज्य टकराव की तीव्रता में कमी देखी गई, साथ ही राज्य शासन के विघटन के लिये केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग में भी कमी आई।
    - इसमें वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में दिये गए निर्णय की भी आंशिक भूमिका रही जहाँ केंद्र द्वारा इस प्रावधान के मनमाने उपयोग पर सवाल उठाया गया था।
- **टकरावपूर्ण संघवाद (Confrontational Federalism) (2014- 2024):**
  - वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एकल दल बहुमत के साथ एक बार फिर 'प्रभुत्वशाली दल' के प्रभाव वाले संघवाद का उभार हुआ। इस अवधि में सत्तारूढ़ दल ने कई राज्यों में भी सत्ता पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली।
  - इस अवधि में टकरावपूर्ण संघवाद का उदय हुआ, जहाँ विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों और केंद्र के बीच महत्त्वपूर्ण विवाद हुए।

भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता:

- **विविध जनसांख्यिकी और संस्कृतियाँ:**
  - **भाषाई विविधता:** भारत में अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। संघवाद को सुदृढ़ करने से यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न क्षेत्रों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित एवं सम्मानित किया जाएगा।
  - **सांस्कृतिक बहुलता:** क्षेत्रीय स्वायत्तता अनूठे सांस्कृतिक अभ्यासों, त्योहारों और परंपराओं के पालन एवं संरक्षण की अनुमति देती है, जिससे विविधता के भीतर गर्व एवं एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- **केंद्रीय अतिक्रमण से बचना:**
  - **राज्य के अधिकारों की सुरक्षा:** केंद्र या अन्य बाह्य शक्तियों की ओर से बढ़ते केंद्रीकरण एवं हस्तक्षेप के मद्देनजर राज्यों और अन्य उप-राष्ट्रीय इकाइयों की स्वायत्तता और अधिकारों की सुरक्षा एवं संवृद्धि के लिये संघवाद आवश्यक है।
  - **क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करना:** एक सुदृढ़ संघीय प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं को संबोधित और समायोजित कर सकती है, जिससे अलगाववादी आंदोलनों की संभावना कम हो सकती है तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना:**
  - **पंचायती राज संस्थाएँ:** संघवाद को सुदृढ़ करने में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना शामिल है, जो ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - **महिलाओं की भागीदारी:** संवर्द्धित संघवाद स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने जैसी पहलों का समर्थन करता है।
- **राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism):**
  - **उचित राजस्व वितरण:** राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ करने से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का अधिक समतामूलक वितरण सुनिश्चित होता है, जिससे राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं और पहलों के लिये बेहतर वित्तपोषण संभव हो पाता है।
  - **व्यय के मामले में राज्य की स्वायत्तता:** राज्यों को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण देने से धन का अधिक प्रभावी एवं प्रासंगिक रूप से उचित उपयोग हो सकता है।

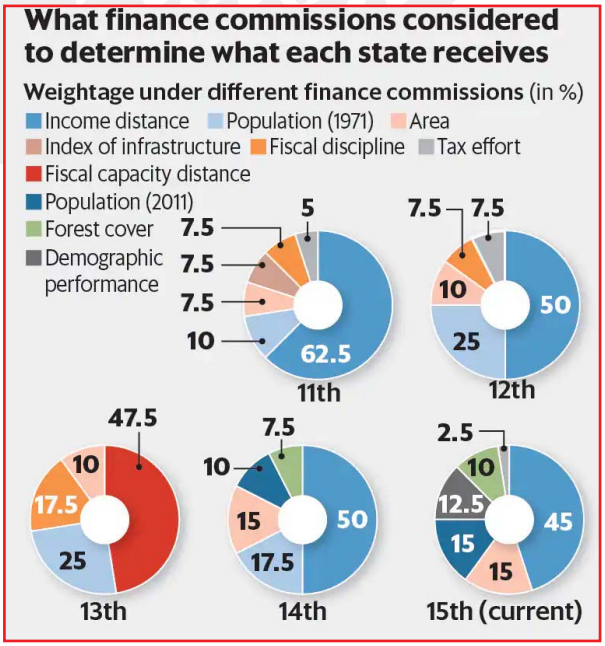

नोट :

भारत में संघवाद के लिये प्रमुख चुनौतियाँ:

- **केंद्रीकरण और क्षेत्रवाद में संतुलन रखना:**
  - भारत राष्ट्रीय एकता के लिये केंद्रीय प्राधिकार और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिये राज्य स्वायत्तता के बीच की जटिल स्थिति का सामना करता है। मज़बूत केंद्रीय सरकारों को अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मज़बूत क्षेत्रीय आंदोलन राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल सकते हैं।
    - दक्षिण भारतीय राज्यों में विशिष्ट द्रविड़ भाषाएँ और संस्कृतियाँ हैं जो उनकी पहचान का केंद्र हैं। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपे जाने के प्रयास पर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की ओर से कड़ा विरोध सामने आया।
    - जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले **अनुच्छेद 370** को केंद्र सरकार ने राज्य विधानमंडल से परामर्श किए बिना ही हटा दिया। संघीय सिद्धांतों को कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में इस कदम की आलोचना की गई।
- **क्षेत्रीय असंतोष:**
  - क्षेत्रवाद (Regionalism) भाषा और संस्कृति के आधार पर स्वायत्तता की मांग के माध्यम से स्वयं को स्थापित करता है। इस परिदृश्य में राष्ट्र को उग्रवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना करना पड़ता है और इससे भारतीय संघ की मूल धारणा में व्यवधान उत्पन्न होता है।
    - असम की एक प्रमुख जनजाति **बोडो** द्वारा लंबे समय से पृथक बोडोलैंड राज्य की मांग की जा रही है।
    - पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में संकेंद्रित **गोरखा** जातीय समूह द्वारा लंबे समय से एक अलग गोरखालैंड राज्य की मांग की जा रही है।
- **शक्तियों के विभाजन में विवाद:**
  - संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है (**संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची** के माध्यम से)। कई बार यह विभाजन अस्पष्ट सिद्ध हो सकता है, जिससे अधिकार क्षेत्र को लेकर (विशेष रूप से कृषि या शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने) टकराव उत्पन्न हो सकता है।
    - केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित तीन कृषि कानूनों को पंजाब जैसे राज्यों ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि कृषि राज्य सूची का विषय है। यह शक्ति विभाजन की व्याख्या को लेकर जारी विवादों को उजागर करता है।
- **राज्यपाल के पद का दुरुपयोग:**
  - **राज्यपाल के पद** का दुरुपयोग—विशेष रूप से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने, सरकार गठन में हेराफेरी, विधेयकों पर मंज़ूरी न देने और प्राय: केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के निर्देश पर होने वाले स्थानांतरण एवं नियुक्तियों से संबंधित मामलों में—चिंता का विषय बनता जा रहा है।
    - अरुणाचल प्रदेश (2016) में सत्तारूढ़ सरकार के पास बहुमत का समर्थन होने के बावजूद राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग :**
  - **अनुच्छेद 356,** जिसे 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में भी जाना जाता है, तब लागू किया जाता है जब कोई राज्य संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकता। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और विधानसभाओं को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - वर्ष 2000 तक 100 से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया था, जिससे राज्य की स्वायत्तता बाधित हुई। हालाँकि इसका उपयोग कम हुआ है, लेकिन इसका संभावित दुरुपयोग चिंता का विषय बना हुआ है।
    - वर्ष 1988 में **सरकारिया आयोग** ने पाया कि अनुच्छेद 356 के उपयोग के कम से कम एक तिहाई मामले राजनीति से प्रेरित थे।
- **राजकोषीय असंतुलन:**
  - **असमान राजस्व वितरण:** 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी की और इसे 32% से बढ़ाकर 41% करने की अनुशंसा की। राज्य प्राय: शिकायत करते हैं कि उन्हें प्राप्त धन अपर्याप्त है और इसे समय पर वितरित नहीं किया जाता है, जिससे राजकोषीय तनाव उत्पन्न होता है।
    - इसके अलावा, दक्षिणी राज्य प्राय: शिकायत करते हैं कि उत्तरी राज्यों की तुलना में करों में अधिक योगदान के बावजूद उन्हें कम धनराशि प्राप्त होती है और उन्हें उनकी कम जनसंख्या के कारण इस असमानता का सामना करना पड़ता है।

नोट :

- **जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे:** पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति में देरी के बारे में चिंता व्यक्त की है, जहाँ उनका तर्क है कि इससे उनकी वित्तीय योजना और विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है।

- **संसद में असममित प्रतिनिधित्व:**
  - लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, जहाँ बड़े राज्यों को अधिक सीटें प्राप्त हैं। छोटे राज्यों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय राजनीति में उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है।
    - **उदाहरण:** सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि सबसे कम आबादी वाले सिक्किम के पास केवल 1 सीट है।

- **अंतर्राज्यीय विवाद:**
  - भारत में अंतर्राज्यीय विवादों में जल बँटवारा, सीमा विवाद और संसाधन आवंटन सहित कई मुद्दे शामिल हैं।
  - यदि इन विवादों का समाधान नहीं किया गया तो इससे अविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और सहकारी शासन में बाधा उत्पन्न होगी, जिससे संघीय ढाँचे पर दबाव पड़ेगा।
    - तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल बँटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद में कई कानूनी लड़ाइयाँ, हिंसक विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिरोध देखने को मिले हैं।
    - ऐसे मुद्दे न केवल शासन व्यवस्था को बाधित करते हैं, बल्कि इनकी आर्थिक लागत भी बहुत अधिक होती है।
  - उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच बेलगावी क्षेत्र के प्रशासन को लेकर लंबे समय से बेलगावी (बेलगाँव) सीमा विवाद चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर चली कानूनी लड़ाई में कर्नाटक सरकार ने प्रतिदिन 50 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया।

- **आर्थिक असमानताएँ:**
  - **निवेश के लिये प्रतिस्पर्द्धा:** राज्य प्राय: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जिससे असंतुलन पैदा हो सकता है।
    - उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र और गुजरात बड़ी मात्रा में FDI प्राप्त करते हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में न्यूनतम निवेश होता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ती हैं।
  - **क्षेत्रीय असमानता:** नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य सतत विकास लक्ष्यों पर उच्च स्कोरिंग रखते हैं, जबकि बिहार और झारखंड बहुत पीछे हैं, जो आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है।

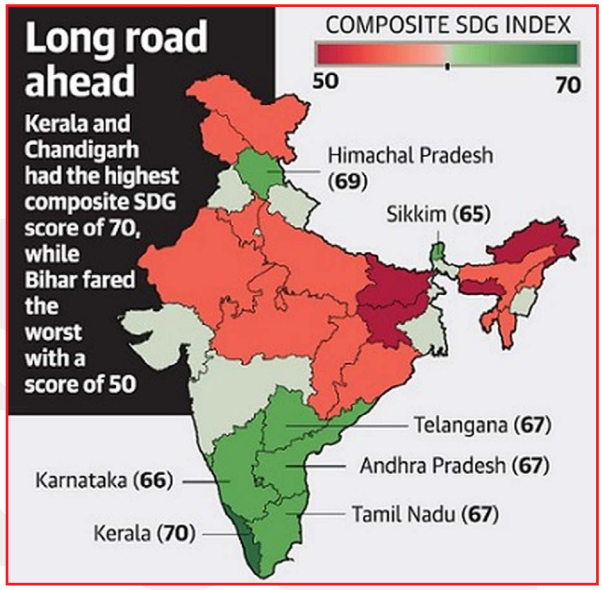

भारत में गठबंधन राजनीति की वापसी से कौन-सी संघीय मांगें उठ सकती हैं?

- **परिसीमन का लंबित कार्य:**
  - नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाले कई दक्षिण भारतीय राज्य मांग कर रहे हैं कि भारत में लंबित परिसीमन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए।
  - दक्षिणी राज्यों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी उपायों को लागू करने के उनके प्रयासों को अधिक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। परिसीमन प्रक्रिया में देरी इन राज्यों को उनकी सफल पहलों के लिये दंडित करती प्रतीत होती है।

- **पुनर्वितरण मॉडल की वैधता:**
  - **दक्षिणी राज्य—** जिनकी अर्थव्यवस्था सामान्यत: अधिक मज़बूत है और जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं—का मानना है कि जीएसटी मॉडल से आर्थिक रूप से कम विकसित राज्यों को असंगत रूप से लाभ पहुँचता है।
  - वे जीएसटी पुनर्वितरण के लिये अधिक समतामूलक एवं संतुलित दृष्टिकोण की मांग करते हैं जो उनके उच्च योगदान

नोट :

को चिह्नित करता हो, राजस्व की कमी को दूर करता हो और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करता हो।

- **विशेष श्रेणी दर्जे की मांग:**
  - राष्ट्रीय गठबंधन सरकार में शामिल बिहार और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपनी विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों से निपटने तथा सतत वृद्धि एवं विकास के लिये आवश्यक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु **विशेष श्रेणी दर्जे (Special Category Status)** को एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में देखते हैं।
  - पूर्व में विशेष श्रेणी में वर्गीकृत राज्यों के लिये सबसे बड़ा लाभ यह रहा था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 90% धनराशि केंद्र द्वारा दी जाती थी और राज्यों का योगदान केवल 10% होता था।
- **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के दृष्टिकोण से विचलन:**
  - कुछ राज्यों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से अलग-अलग राज्यों के विशिष्ट राजनीतिक एवं सामाजिक संदर्भों की तुलना में एकरूपता को प्राथमिकता देने के रूप में भारत का संघीय ढाँचा कमज़ोर पड़ सकता है।
  - स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर अपने चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने के संबंध में राज्य अपनी कुछ स्वायत्तता खो सकते हैं।

भारत के संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से कदम आवश्यक हैं?

- **शक्तियों का हस्तांतरण बढ़ाना:**
  - संवैधानिक सूचियों में संशोधन करने, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता एवं लचीलापन प्रदान करने आदि के रूप में राज्यों और स्थानीय निकायों के लिये शक्तियों एवं संसाधनों का हस्तांतरण बढ़ाकर संघवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है।
    - **सरकारिया आयोग (1988)** ने संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध क्षेत्रों में राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता की वकालत की थी।
    - इसके अलावा, विश्व बैंक के हाल के एक कार्य-पत्र में **पंचायतों को अधिक अधिकार सौपने और स्थानीय राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ करने का आह्वान** किया गया है ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, MIS-आधारित लाभार्थी चयन और डिजिटल लाभार्थी ट्रैकिंग के व्यापक अंगीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न 'पुन:केंद्रीकरण' (recentralisation) के प्रभाव को कम किया जा सके।
  - पंचायतों के अधिकार के आहरण के बजाय उन्हें अधिक अधिकार सौंपना प्रभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- **समतामूलक विकास सुनिश्चित करना:**
  - **संसाधन साझाकरण फॉर्मूला:** जनसंख्या, गरीबी के स्तर और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए राज्यों को केंद्रीय धन वितरित करने के लिये एक पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ फॉर्मूला विकसित करना चाहिए।
    - **रघुराम राजन समिति (2017)** ने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर राज्यों को केंद्रीय निधियों के सूत्र-आधारित हस्तांतरण की वकालत की थी।
  - **क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना:** पिछड़े और वंचित क्षेत्रों या समूहों को विशेष सहायता एवं समर्थन प्रदान कर क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं को संबोधित किया जाए।
    - **पुंछी आयोग** ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने और उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को बेहतर बनाने का सुझाव दिया था।
    - **15वें वित्त आयोग** ने राज्य-विशिष्ट अनुदानों के आवंटन के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों के उपयोग की समीक्षा एवं निगरानी के लिये प्रत्येक राज्य में उच्च-स्तरीय समितियों के गठन की अनुशंसा की थी।
  - आयोग ने संभावित प्रदर्शन प्रोत्साहनों के लिये विद्युत क्षेत्र की दक्षता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं के अंगीकरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की भी पहचान की।
- **अंतर-सरकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना:**
  - **अंतर-राज्य परिषद (ISC) को पुन:जीवंत करना:** अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने और राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिये ISC को अधिक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित किया जाए। इसमें आम नीतियों को विकसित करने के लिये इसे अधिक शक्ति प्रदान करना शामिल हो सकता है।
    - **सरकारिया आयोग** की अनुशंसा पर सरकार ने एक स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की है, लेकिन यह सरकारिया आयोग के दृष्टिकोण को पूर्ण साकार नहीं कर सकी है।

नोट :

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के सुझाव के अनुसार ISC की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार आयोजित की जानी चाहिए ।
- **पिछले 8 वर्षों में परिषद की केवल एक बार बैठक हुई है** और जुलाई 2016 के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है।
- वर्ष 1990 में स्थापना के बाद से ISC की केवल 11 बार बैठक हुई है।
- **संचार और समन्वय बढ़ाना:** सुचारू नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने के लिये केंद्र एवं राज्यों के बीच संचार के नियमित चैनल स्थापित किये जाएँ।
  - पुंछी आयोग ने आंतरिक सुरक्षा, समन्वय और प्रभावशीलता बढ़ाने से संबंधित मामलों के लिये एक अधिरोहित संरचना के रूप में 'राष्ट्रीय एकता परिषद' (National Integration Council) के गठन का प्रस्ताव किया था।

- **सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देना:**
  - सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं आर्थिक विकास जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर मिलकर कार्य करते हैं। इससे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
    - उदाहरण के लिये, **जीएसटी परिषद** की स्थापना करना और राज्यों की वित्तपोषण हिस्सेदारी बढ़ाने के **वित्त आयोग** के सुझाव को मंज़ूरी देना।
  - प्रतिस्पर्द्धी संघवाद में राज्य अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और विनियामक ढाँचे में सुधार कर निवेश एवं प्रतिभा के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इससे पूरे देश में नवाचार और बेहतर शासन अभ्यासों को बढ़ावा मिलता है।
    - **नीति आयोग** स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI), राज्य स्वास्थ्य सूचकांक (SHI), समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) जैसे विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से (जो विशिष्ट मानदंडों पर राज्यों की रैंकिंग करते हैं) भारत में अधिक सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्द्धी संघीय प्रणाली के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

- **संघीय सिद्धांतों और भावना का सम्मान करना:**
  - **केंद्रीय हस्तक्षेप को कम करना:** केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 (जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देते हैं) के तहत अपनी शक्तियों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। इससे राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित होगी।
    - **सरकारिया आयोग** ने सुझाव दिया था कि **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** का प्रयोग अत्यंत संयम से किया जाना चाहिए और अत्यंत आवश्यक मामलों में अंतिम उपाय के रूप में तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जब अन्य सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाएँ।
  - **अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना:** राज्य प्रतिनिधियों की बढ़ी हुई भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी चिंताओं और प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाए।
    - उदाहरण के लिये, राज्यपाल की नियुक्ति अधिक पारदर्शी और परामर्शपरक होनी चाहिए।
  - पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भागीदारी की अनुशंसा की थी।

निष्कर्ष:

गठबंधन राजनीति के पुनरुत्थान और क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से चिह्नित उभरता राजनीतिक परिदृश्य संघीय ढाँचे को पुनर्परिभाषित करने और इसे सुदृढ़ करने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। भारत में संघवाद के लिये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण वह होगा जो इसकी विविधता का जश्न मनाए, सहयोग को बढ़ावा दे और इसके सभी नागरिकों के लिये एक सामंजस्यपूर्ण एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण करे। यह केवल एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने वाली प्रत्यास्थता एवं एकता की पुष्टि भी होगी।

■■■

भारत का विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण

भारत की प्रभावशाली आर्थिक संवृद्धि ने उम्मीद जगाई है कि देश अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष, यानी **वर्ष 2047 तक** 'विकसित राष्ट्र' **का दर्जा** प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये अगले 25 वर्षों के भीतर देश की प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान **2,600 अमेरिकी डॉलर से पाँच गुना से अधिक बढ़ाकर 10,205 अमेरिकी डॉलर** करने की कठिन यात्रा तय करनी होगी। इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय में **7.5% की वार्षिक वृद्धि दर** के साथ इस अवधि में **सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 9% बनाए रखना**।

महज विकास को गति देना ही पर्याप्त नहीं है; समावेशिता भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले चार

नोट :

मिलियन लोगों के लिये रोज़गार पैदा करना भी विद्यमान चुनौतियों में शामिल है। इस परिदृश्य में, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समावेशी विकास और एक मज़बूत निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय एवं संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

'विकसित राष्ट्र' की क्या विशेषताएँ होती हैं?

- **परिचय:** विकसित राष्ट्र से तात्पर्य है एक **परिपक्व और उन्नत अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र**, जो उच्च स्तर के औद्योगीकरण, प्रौद्योगिकीय अवसंरचना और समग्र सामाजिक कल्याण की विशेषता रखता है।
  - **'विकसित' (Developed)** शब्द का प्रयोग ऐसे देशों को उन **'विकासशील' (Developing) या 'अविकसित' (Underdeveloped)** देशों से पृथक करने के लिये किया जाता है, जो अभी भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया में हैं।
    - भारत—जो 3.42 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वर्तमान में एक **'विकासशील राष्ट्र'** के रूप में वर्गीकृत है।
- **विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **आर्थिक घटक**
    - उच्च प्रति व्यक्ति आय (आमतौर पर **12,000 अमेरिकी डॉलर से 25,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक**)
    - विविधीकृत और **उन्नत औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र**
    - मज़बूत आधारभूत संरचना, जिसमें परिवहन, संचार और उपयोगिता क्षेत्र शामिल हैं
    - स्थिर और कुशल वित्तीय बाज़ार
  - **सामाजिक और मानव विकास घटक**
    - शिक्षा और **साक्षरता** का उच्च स्तर
    - गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच
    - निम्न शिशु मृत्यु दर और उच्च जीवन प्रत्याशा दर
    - लोकतांत्रिक शासन के साथ मज़बूत विधिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ
  - **प्रौद्योगिकीय विकास और नवाचार**
    - उन्नत प्रौद्योगिकीय अवसंरचना और क्षमताएँ
    - अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर विशेष बल
    - नवाचार और उत्पादकता का उच्च स्तर

	Low Income	Lower-middle Income	Upper-middle Income	High Income
July 1, 2023 - for FY24 (new)	<= 1,135	1,136 - 4,465	4,466 - 13,845	> 13,845

- **माप और संकेतक:**
  - **प्रति व्यक्ति आय:** यह किसी देश की विकास की स्थिति को निर्धारित करने के लिये उपयोग किये जाने वाले प्राथमिक संकेतकों में से एक है
    - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को कुल जनसंख्या से विभाजित कर इसकी गणना की जाती है
  - मानव विकास सूचकांक (HDI): संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी देश के समग्र कल्याण की माप करने के लिये उपयोग किया जाने वाला एक समग्र सूचकांक
    - इसके घटकों में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर शामिल हैं
    - **0.8 से अधिक HDI स्कोर** वाले देशों को आमतौर पर विकसित राष्ट्र माना जाता है
- **विकसित राष्ट्रों के उदाहरण:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड आदि शामिल हैं।
    - एशिया में सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और हांगकांग विकसित देश में शामिल किये जाते हैं।

भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने वाले प्रमुख विकास चालक कौन-से हैं?

- **सेवा क्षेत्र का उदय:** भारत का सेवा क्षेत्र तेज़ी से विकास कर रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक का योगदान करता है। यह क्षेत्र उच्च-मूल्यपूर्ण रोज़गार प्रदान करता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
  - **उदाहरण:** भारत के **आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)** उद्योग वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थिति रखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
    - सेवा क्षेत्र में यह वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते एकीकरण को दर्शाती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत में युवा और वृद्धिशील आबादी पाई जाती है, जिसकी औसत आयु **28.2 वर्ष (वर्ष 2023 में)** है। मानव पूंजी का यह विशाल भंडार आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है, यदि इसे उपयुक्त कौशल और रोज़गार प्रदान किया जाए।

नोट :

- **अवसंरचना विकास के लिये सरकारी पहलें:** भारत सरकार '**प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान**' जैसी पहलों के माध्यम से अवसंरचना विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निवेश कर रही है।
  - इससे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- **डिजिटल रूपांतरण और स्टार्टअप पारितंत्र:** भारत इंटरनेट की बढ़ती पैठ (**वर्ष 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 8% वृद्धि**) के साथ ही '**डिजिटल इंडिया पहल**' और **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** के लोकतंत्रीकरण के माध्यम से एक डिजिटल क्रांति से गुज़र रहा है।
  - डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ उद्योगों को रूपांतरित कर रही हैं और विकास के नए अवसर पैदा कर रही हैं।
- **वैश्विक मंदी के बावजूद आर्थिक प्रत्यास्थता:** वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, **रूस-यूक्रेन युद्ध** जैसे भू-राजनीतिक तनावों, **लाल सागर एवं पनामा नहर संकट** से आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधानों और अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय दशाओं में कसाव के बावजूद भारत की घरेलू मांग ने सापेक्षिक प्रत्यास्थता प्रदर्शित की है।
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** को उम्मीद है कि **वर्ष 2024-25 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7%** की दर से वृद्धि करेगा।
- **नवाचार और उद्यमिता:** भारत नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है।
  - स्टार्टअप्स (763 ज़िलों में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त **1,12,718 स्टार्टअप्स**) और नई प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों के विकास पर केंद्रित अनुसंधान संस्थानों की बढ़ती संख्या से इसकी पुष्टि होती है।
  - यह प्रौद्योगिकीय कौशल विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति ला सकता है और वैश्विक सहयोग को आकर्षित कर सकता है।

भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं?

- **रोज़गारहीन विकास (Jobless Growth):** भारत वित्त **वर्ष 2023-24 में 7.8%** की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि का दावा तो करता है, लेकिन इससे पर्याप्त रोज़गार सृजन नहीं हुआ है।
  - लाखों लोग निम्न उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र में फँसे हुए हैं (जो **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% योगदान करता है, लेकिन कार्यबल के 44%** को नियोजित करता है)।
  - भारत को अपने बढ़ते कार्यबल को नियोजित करने के लिये **वर्ष 2030 तक 115 मिलियन (11.5 करोड़) नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता** है।
- **निर्धनता-शिक्षा-कौशल का जाल:** गुणवत्ताहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा **संज्ञानात्मक विकास** को सीमित करती है और उच्च शिक्षा के संभावित लाभों को कम कर देती है।
  - इससे ऐसे कार्यबल का निर्माण होता है जो उच्च-कुशल नौकरियों के लिये कम तैयार है (**150 मिलियन कुशल श्रमिकों की कमी**)।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)** के क्रियान्वयन के बावजूद भारत में शिक्षा प्रणाली उद्योग जगत की बदलती मांगों के अनुरूप उस गति से नहीं ढल पा रही है।
  - इससे स्नातकों में **नियोक्ताओं की मांग के अनुरूप विशिष्ट कौशल की कमी** उत्पन्न होती है, जिससे रोज़गार के अवसर और अधिक बाधित होते हैं। **इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, 2021** के अनुसार भारत के स्नातक युवाओं के लगभग आधे रोज़गार-योग्य नहीं थे।
- **उच्च सार्वजनिक ऋण:** भारत का सार्वजनिक ऋण **सकल घरेलू उत्पाद का 81.9%** है, जो राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है। इस उच्च ऋण बोझ के कारण **उच्च ब्याज दरों** की आवश्यकता होती है, जिससे **निजी निवेश में कमी** आती है और **आर्थिक विकास में बाधा** उत्पन्न होती है।
- **व्यापक आय असमानता:** भारत में आय असमानता का स्तर अत्यंत उच्च है और जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी का सामना कर रहा है।
  - वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 22.6% भाग शीर्ष 1% लोगों के पास गया। यह आय असमानता समावेशी विकास और आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के लिये बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है।
  - वर्ष 2022 में भारत का HDI स्कोर 0.644 रहा और **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा निर्धारित इस रैंकिंग में उसे 192 देशों में 134वें स्थान पर रखा गया।
- **ग्रामीण-शहरी अंतराल और असंतुलित विकास:** जबकि भारत के शहरी केंद्रों ने आर्थिक विकास का अनुभव किया है, इसके ग्रामीण क्षेत्र **गरीबी, अवसंरचना की कमी और बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच** से जूझ रहे हैं।
  - ग्रामीण विकास की उपेक्षा और इस अंतराल को दूर करने की विफलता सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है, जिससे **समग्र प्रगति बाधित** हो सकती है।

नोट :

- **जलवायु परिवर्तन संबंधी भेद्यताएँ:** भारत का तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण **पर्यावरणीय क्षरण** की कीमत पर हुआ है, जिसमें वायु एवं जल प्रदूषण, निर्वनीकरण और जैव विविधता की हानि शामिल है।
  - इससे न केवल **सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता** पर असर पड़ता है, बल्कि आर्थिक विकास की संवहनीयता भी प्रभावित होती है।
  - यदि अनुकूलन एवं शमन उपायों को प्राथमिकता नहीं दी गई तो **जलवायु परिवर्तन की आर्थिक एवं सामाजिक लागत भारत के विकास प्रक्षेपवक्र में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है।**
    - **भारतीय रिज़र्व बैंक** ने आगाह किया है कि वर्ष 2030 तक भारत के **सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% तक जोखिम में** पड़ सकता है।
- **अवसंरचनात्मक घाटा और वित्तपोषण संबंधी चुनौतियाँ:** भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल (विशेष रूप से **परिवहन, बिजली और शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में**) आर्थिक वृद्धि एवं विकास में बाधक के रूप में कार्य करता है।
  - विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल लगभग **1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** का हो सकता है।
  - भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंज़ूरी एवं विनियामक बाधाओं की चुनौतियाँ इस समस्या को और जटिल बना देती हैं, जिससे परियोजना में देरी होती है और लागत बढ़ जाती है।

विकसित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति को गति प्रदान करने के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है ?

- **कौशल विकास के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना:** भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी और रोज़गार-योग्य कार्यबल के निर्माण के लिये **व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षुता** पहलों में भारी निवेश करने की आवश्यकता है।
  - बाज़ार की मांग और **AI, रोबोटिक्स एवं नवीकरणीय ऊर्जा** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये औद्योगिक क्षेत्र के भागीदारों के साथ सहकार्यता स्थापित की जाए। भारत इस संबंध में '**नॉर्वे मॉडल**' से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण रूपांतरण:** ग्रामीण-शहरी अंतराल को दूर करने के लिये **सड़क, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सुविधा और डिजिटल कनेक्टिविटी** सहित ग्रामीण अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता दी जाए।
  - गैर-कृषि रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों और विनिर्माण केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा की वृद्धि के लिये संवहनीय कृषि पद्धतियों, **परिशुद्ध कृषि तकनीकों और संस्थागत ऋण एवं बीमा तक पहुँच** को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **निवारक और वहनीय स्वास्थ्य सेवा:** मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने **देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में** स्वस्थ आबादी को एक बुनियादी आवश्यकता बताया था।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2.5% तक बढ़ाया जाए ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके और मानव विकास सूचकांक मापदंडों में बेहतर प्रदर्शन हो।
  - **गैर-संचारी रोगों के बोझ को कम करने के लिये** जागरूकता अभियान, शीघ्र पहचान (early detection) और जीवनशैली में हस्तक्षेप के माध्यम से **निवारक स्वास्थ्य देखभाल** को बढ़ावा दिया जाए।
  - दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार लाने और लागत कम करने के लिये **टेलीमेडिसिन तथा ई-स्वास्थ्य** पहल जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया जाए।
- **नवोन्मेषी अवसंरचना वित्तपोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी: परिसंपत्ति मुद्रीकरण, अवसंरचना परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण** और **अवसंरचना घाटे को दूर करने के लिये** वैश्विक पूंजी बाज़ारों के उपयोग जैसे नवोन्मेषी वित्तपोषण मॉडलों की संभावना पर विचार किया जाए।
  - दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने और अवसंरचना परियोजनाओं के लिये पूंजी जुटाने हेतु अवसंरचना निवेश ट्रस्टों (InvITs) और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (REITs) को बढ़ावा दिया जाए।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकीय उन्नति को बढ़ावा देना:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास (R&D) **में निवेश** को **सकल घरेलू उत्पाद के कम-से-कम 2% तक बढ़ाया जाए।**
  - वैश्विक स्तर पर अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों को आकर्षित करने और एक **जीवंत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र** को

नोट :

बढ़ावा देने के लिये **स्वच्छ प्रौद्योगिकी पार्क, इनक्यूबेशन सेंटर और चक्रीय-अर्थव्यवस्था ज़ोन** स्थापित किया जाना चाहिये।

- **'ब्लू इकॉनमी' की क्षमता को साकार करना:** तटीय **नौवहन, समुद्री पर्यटन, अपतटीय पवन ऊर्जा और गहन समुद्र खनन जैसी संवहनीय समुद्री गतिविधियों** के माध्यम से भारत की विशाल तटरेखा एवं समुद्री संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिये।
  - व्यापार, रोज़गार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विश्वस्तरीय जहाज़ मरम्मत अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स केंद्रों और **तटीय आर्थिक क्षेत्रों** का विकास किया जाए।
  - बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिये **समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्द्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा** दिया जाए।
- **अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना और महानगरों से परे भी स्टार्टअप हब स्थापित करना:** एक सुवाह्य सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रवर्तित की जाए जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न नौकरियों में लाभ पा सकने का अवसर दे; **औपचारिकरण को प्रोत्साहित** किया जाए।
  - विविध क्षेत्रों में विघटनकारी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों से परे **टियर-2 और टियर-3** शहरों में भी अच्छी तरह से वित्तपोषित स्टार्टअप हब का नेटवर्क विकसित किया जाए।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले **MSMEs को भी बेहतर वित्तपोषण** और विपणन योजनाओं के माध्यम से सहयोग देने की आवश्यकता है।
- **'ग्रीन कॉलर जॉब' संबंधी क्रांति लाना:** नवीकरणीय ऊर्जा **क्षेत्रों**, अपशिष्ट प्रबंधन और **सतत अवसंरचना विकास** के लिये आवश्यक कौशल के साथ कार्यबल को सुसज्जित करने के लिये उद्योग जगत की साझेदारी के साथ हरित रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है।
  - हरित क्षेत्रों में श्रमिकों को नियुक्त करने और प्रशिक्षित करने वाली कंपनियों को **कर में छूट एवं सब्सिडी प्रदान किया जाए** ताकि हरित रोज़गार सृजन और कार्यबल संक्रमण (workforce transition) को बढ़ावा मिले।

■■■

भारत में गिग वर्क का भविष्य

भारत की तेज़ी से विकास करती गिग इकॉनमी (Gig Economy)—जो **ज़ोमैटो और स्विगी** जैसे स्टार्टअप्स के उदय से संचालित है, ने कई लोगों के लिये जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। स्मार्टफोन ऐप पर बस कुछ टैपिंग के साथ आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ सीधे हमारे दरवाज़े तक पहुँच जाती हैं। हालाँकि यह सुविधा **'डिलीवरी पार्टनर्स' की एक बड़ी संख्या** द्वारा वहन की जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण मानवीय लागत पर प्राप्त होती है जो इस गिग कार्यबल की रीढ़ हैं। ये श्रमिक या कर्मी, जो **प्रायः प्रति माह 11,000 रुपए या उससे भी कम कमाते** हैं, कठोर कामकाजी दशाओं का सामना करते हैं, बुनियादी अधिकारों एवं सुरक्षा का अभाव रखते हैं और **नियमित रोज़गार की गरिमा से वंचित होते हैं।**

भारत की तेज़ी से विकास करती गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म इकॉनमी पर नीति आयोग **(NITI Aayog) की एक रिपोर्ट** के अनुसार **वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल में 23.5 मिलियन श्रमिक** शामिल होंगे। अपने 'नवाचार' के लिये प्रसिद्ध गिग इकॉनमी मॉडल श्रमिकों को कर्मचारी (employees) के बजाय **'भागीदार' (partners) के रूप में वर्गीकृत कर श्रम लागत को कम** करता है। इन श्रमिकों की क्रय शक्ति और उनके द्वारा प्रदत्त सेवा का लाभ उठाने वाले समृद्ध उपभोक्ताओं के बीच व्यापक अंतराल **आर्थिक एवं सामाजिक** दोनों रूप से **इस मॉडल की दीर्घकालिक संवहनीयता के बारे में महत्त्वपूर्ण प्रश्न** खड़े करता है।

गिग इकॉनमी (Gig Economy) क्या है?

- **परिचय:** गिग इकॉनमी एक श्रम बाज़ार है, जो **अल्पकालिक, स्वतंत्र (फ्रीलांस) या अनुबंध-आधारित कार्य व्यवस्था** द्वारा चिह्नित होती है, जिसे प्रायः ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है जो श्रमिकों को उपभोक्ताओं या व्यवसायों से संबद्ध करते हैं।
  - यह पारंपरिक एवं स्थायी रोज़गार से हटकर अधिक **लचीले, कार्य-आधारित और मांग-आधारित कार्यबल** की ओर संक्रमण को परिलक्षित करती है।
- **संरचना:**
  - **श्रमिक (Workers):** स्वतंत्र ठेकेदार, फ्रीलांसर या अस्थायी श्रमिक जो **निर्धारित शुल्क या प्रति घंटा दर** पर विशिष्ट कार्य या परियोजनाएँ पूरी करते हैं।
  - **व्यवसाय/ग्राहक:** ऐसी कंपनियाँ या व्यक्ति जो पूर्णकालिक पद सृजित करने के बजाय विशिष्ट परियोजनाओं या कार्यों के लिये गिग श्रमिकों (gig workers) को नियुक्त करते हैं।

नोट :

- **प्लेटफ़ॉर्म:** प्राय: ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म व्यवसायों/ग्राहकों को गिग श्रमिकों से जोड़ने वाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
  - ये प्लेटफ़ॉर्म कार्य वितरण, भुगतान प्रसंस्करण और संचार का प्रबंधन कर सकते हैं। (उदाहरण के लिये: **अपवर्क, उबर, स्विगी**)

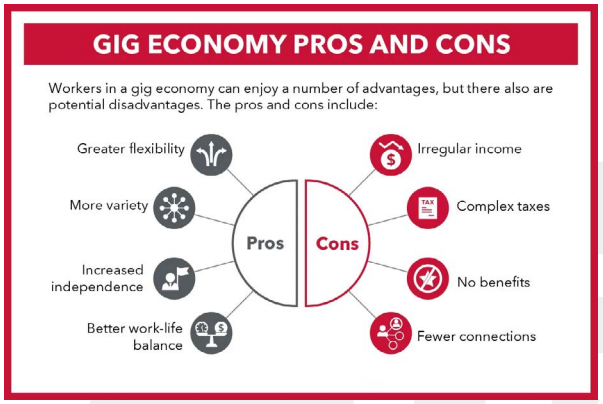

भारत में गिग श्रमिकों से संबंधित विधायी ढाँचा

- **विधायी ढाँचा:**
  - **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** यह अधिनियम गिग श्रमिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की परिकल्पना करता है।
    - हालाँकि, विशिष्ट नियमों और कार्यान्वयन विवरण को अभी भी अलग-अलग राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
  - **वेतन संहिता, 2019:** यह संहिता गिग कार्य सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होती है और एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के लिये आधार प्रदान करती है। हालाँकि, वास्तविक न्यूनतम वेतन राज्य और कौशल स्तर के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।
- **नीति और योजना**
  - **भारत की गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म इकॉनमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट (2022):** यह रिपोर्ट गिग श्रमिकों के लिये **प्लेटफ़ॉर्म आधारित कौशल विकास पहल और सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने** की अनुशंसा करती है। यह डेटा संग्रह और गिग कार्यबल की बेहतर गणना की आवश्यकता पर भी बल देती है।

भारत में गिग इकॉनमी के विकास को प्रेरित करने वाले कारक कौन-से हैं?

- **स्मार्टफोन और मोबाइल की बढ़ती पैठ:** स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ और इंटरनेट तक सस्ती पहुँच (जहाँ **भारत में दुनिया में प्रति स्मार्टफोन उपयोगकर्ता सबसे अधिक मोबाइल डेटा का उपभोग** किया जाता है) ने व्यवसायों के लिये श्रमिकों से सीधे जुड़ने के लिये एक मंच तैयार किया है।
- **बदलती कार्य प्राथमिकताएँ: आबादी का 'मिलेनियल्स' और 'जेन जेड' तबका कार्य-जीवन संतुलन और लचीलेपन** को अधिक प्राथमिकता देता है। गिग इकॉनमी उन्हें अपनी परियोजनाएँ चुनने, अपना शेड्यूल तय करने और कहीं से भी कार्य कर सकने की आज़ादी प्रदान करती है।
  - उदाहरण के लिये, दिल्ली की कोई ग्राफिक डिज़ाइनर 'अपवर्क' पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते हुए फोटोग्राफी के अपने शौक को पूरा कर सकती है। यह लचीलापन पारंपरिक 9 से 5 वाली नौकरी में संभव नहीं होता।
- **स्टार्टअप संस्कृति का उदय और ई-कॉमर्स विकास:** भारत ने स्टार्टअप और वित्तपोषण में उछाल का अनुभव किया है, जहाँ वर्ष 2020 में 16,000 से अधिक नई टेक कंपनियाँ शामिल हुईं।
  - भारत में फलता-फूलता स्टार्टअप पारितंत्र कंटेंट सृजन, वेब डेवलपमेंट और मार्केटिंग जैसे **विभिन्न कार्यों के लिये अनुबंधित श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।**
  - उभरती ई-कॉमर्स कंपनियों को भी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के लिये बड़े एवं लचीले कार्यबल की आवश्यकता होती है।
- **सुविधा की उपभोक्ता मांग:** भारतीय उपभोक्ताओं (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में) की ओर से फूड डिलीवरी, **ई-कॉमर्स जैसी सुविधाजनक एवं त्वरित सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।**
  - इस मांग ने गिग वर्कर्स के लिये एक बाज़ार सृजित किया है जहाँ वे डिलीवरी एक्जीक्यूटिव, कैब ड्राइवर जैसी भूमिकाओं को स्वीकार कर सकते हैं।
- **निम्न-लागत श्रम की प्रचुरता:** वर्तमान में **लगभग 47% गिग कार्य मध्यम-कुशल नौकरियों में, जबकि लगभग 31% गिग कार्य निम्न-कुशल नौकरियों** में पाए जाते हैं।
  - भारत में अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की एक विशाल संख्या पाई जाती है जो औपचारिक रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण गिग कार्य करने को तैयार होते हैं।
  - श्रम की यह अति आपूर्ति गिग प्लेटफ़ॉर्मों को कम वेतन एवं बदतर कार्य दशाओं की पेशकश करने की अनुमति देती है और एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म के विकास को बढ़ावा देती है।

नोट :

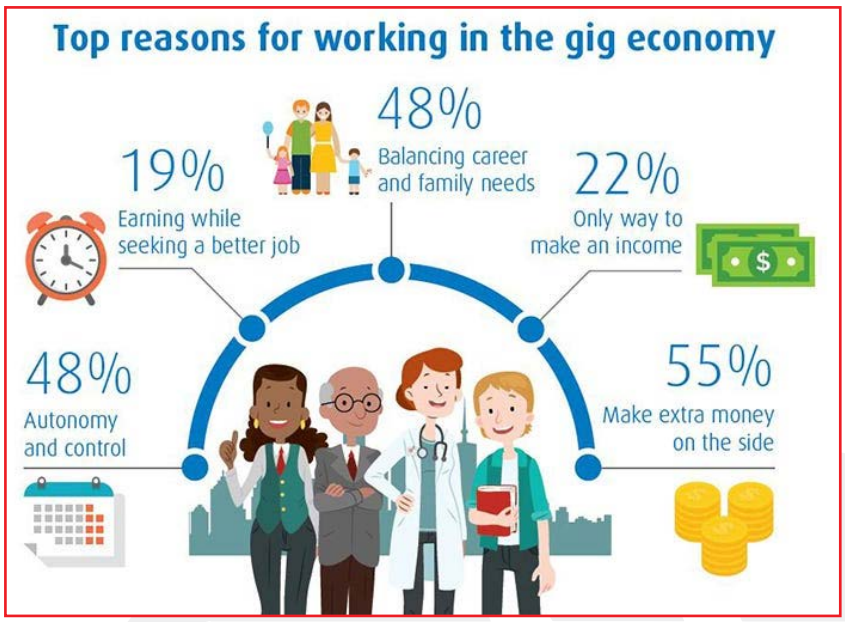

भारत में गिग श्रमिकों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **बुनियादी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का अभाव: गिग श्रमिकों** को आमतौर पर कर्मचारियों के बजाय **स्वतंत्र ठेकेदारों या 'भागीदारों' के रूप में** वर्गीकृत किया जाता है। इसके साथ ही, भारत में गिग कार्य से संबंधित कोई विनियमन मौजूद नहीं है।
  - इससे **वे उन बुनियादी अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित** हो जाते हैं जिनके नियमित कर्मचारी हक़दार होते हैं, जैसे **न्यूनतम वेतन, सवेतन अवकाश, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन।**
  - उदाहरण के लिये, ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर्स को कठोर कार्य दशाओं का सामना करने के बावजूद कोई लाभ या जोखिम भत्ता प्राप्त नहीं होता है।
- **अनिश्चित रोज़गार और आय असुरक्षा:** गिग कार्य स्वाभाविक रूप से अनिश्चित प्रकृति का होता है और इसमें **रोज़गार सुरक्षा का अभाव** होता है।
  - श्रमिकों को आसानी से प्लेटफ़ॉर्म से अलग किया जा सकता है, **जिससे उनकी आय और आजीविका का नुकसान हो सकता** है।
  - इसके अलावा, उनकी कमाई प्राय: अप्रत्याशित होती है और **इसमें मांग के आधार पर उतार-चढ़ाव होती रहती** है, जिससे वित्तीय योजना बनाना कठिन हो जाता है।
- **शोषण और अनुचित व्यवहार:** कानूनी संरक्षण का अभाव तथा श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्मों के बीच शक्ति असंतुलन **शोषण** के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।
  - श्रमिकों को अनुचित मांगों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उनसे यह 'शपथ' लेना कि जब तक वे लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते, तब तक वे पानी नहीं पीएँगे या शौचालय का उपयोग नहीं करेंगे।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम:** गिग कार्य में प्राय: शारीरिक रूप से कठिन कार्य शामिल होते हैं, जैसे **डिलीवरी या राइड-शेयरिंग, जिससे श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम** का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, वर्तमान परिदृश्य में देखा जा सकता है कि उत्तर भारत में हीट वेव के कहर के दौरान भी डिलीवरी पार्टनर्स बिना किसी जोखिम भत्ते के या संबद्ध कंपनियों की ओर से किसी सहायता के कार्य कर रहे हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **10 मिनट में डिलीवरी करने जैसी नीति** के अनुपालन से इन डिलीवरी श्रमिकों के जीवन के लिये खतरा उत्पन्न होता है।
    - बीमा कवरेज **के अभाव में दुर्घटना** या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।
- **सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का अभाव:** गिग श्रमिक आमतौर पर **अलग-थलग ढंग से कार्य करते हैं और उनमें बेहतर कार्य दशाओं एवं पारिश्रमिक के लिये यूनियन** का निर्माण करने या सामूहिक सौदेबाजी करने की क्षमता का अभाव होता है।
  - इस शक्ति असंतुलन के कारण उनके लिये अपने **अधिकारों की पैरोकारी करना या जिन प्लेटफॉर्म** के लिये वे कार्य करते हैं, उनके साथ **बेहतर शर्तों पर सौदेबाजी करना** कठिन हो जाता है।

भारत में गिग श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **विनियामक सुधार और कानूनी मान्यता:** व्यापक विनियामक सुधारों की आवश्यकता है जो **गिग श्रमिकों की रोज़गार स्थिति को कानूनी मान्यता और स्पष्ट परिभाषा** प्रदान करे।

नोट :

- इसमें मौजूदा श्रम संहिताओं में संशोधन करना या विशेष रूप से **गिग श्रमिकों के लिये नया कानून लाना शामिल हो सकता** है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे न्यूनतम मज़दूरी और अन्य श्रम सुरक्षाओं के हक़दार हैं।

- **त्रिपक्षीय शासन संरचना की स्थापना करना: सरकार, गिग प्लेटफ़ॉर्म और श्रमिक प्रतिनिधियों** को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय शासन संरचना स्थापित की जा सकती है।
  - इससे प्रभावी संवाद, सामूहिक सौदेबाजी और **उचित कार्य दशाओं, शिकायत निवारण तंत्र एवं श्रमिक कल्याण उपायों** के लिये उद्योग-व्यापी मानकों तथा दिशानिर्देशों का निर्माण संभव हो सकेगा।

- **कौशल विकास और कौशल उन्नयन संबंधी पहलें:** भारत को **वर्तमान बाज़ार परिदृश्यों के अनुरूप गिग श्रमिकों को कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन** के अवसर प्रदान करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें उच्च-भुगतान वाली भूमिकाओं की ओर संक्रमण करने या उद्यमशील उपक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।
  - इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और **सरकार समर्थित कार्यक्रमों के साथ सहकार्यता स्थापित करना शामिल हो सकता है।**

- **सामाजिक सुरक्षा समावेशन:** गिग श्रमिकों को **स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन** योजना प्रदान करने के लिये **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के प्रावधानों को लागू किया जाए।
  - इसे **प्लेटफ़ॉर्म योगदान, सरकारी सब्सिडी और श्रमिक कटौतियों** के संयोजन के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है।

- **उचित वेतन और एल्गोरिदम संबंधी पारदर्शिता: उचित वेतन संरचना और पारदर्शी एल्गोरिदम** (जिसके आधार पर वेतन दरों और कार्य आवंटन का निर्धारण होता है) **सुनिश्चित करने के लिये संबद्ध प्लेटफॉर्म को जवाबदेह ठहराया जाना** चाहिये। गिग श्रमिकों के पास अनुचित एल्गोरिदमिक निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार होना चाहिये।

- **'गिग वर्कर डेटा पोर्टेबिलिटी':** डेटा पोर्टेबिलिटी मानकों को लागू किया जाए जो गिग श्रमिकों को अपने **कार्य इतिहास, रेटिंग और कौशल प्रमाणपत्रों** को विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करने की अनुमति देगा। इससे प्लेटफ़ॉर्म विशेष पर निर्भरता कम हो जाएगी और श्रमिकों की गतिशीलता में सुधार होगा।
  - **डेटा सुरक्षा** और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान किया जाना भी आवश्यक है ताकि सुनिश्चित हो कि स्थानांतरण के दौरान डेटा सुरक्षित रहे।

- **ग्रीष्म संरक्षण नीतियाँ:** श्रम विभागों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, चरम हीट वेव के दौरान डिलीवरी कर्मचारियों के लिये **शीतलन सहायक उपकरण, अनिवार्य अवकाश और प्रतिपूरक वेतन प्रदान करने** हेतु प्लेटफॉर्मों के लिये आवश्यक विशिष्ट नीतियाँ प्रदान की जाएँ।
  - हीट वेव को देखते हुए ज़ोमैटो ने हाल ही में अपने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे दोपहर के समय भोजन का ऑर्डर देने से बचें (जब तक कि यह 'नितांत आवश्यक' न हो, जो इस दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है।

■■■

भारत में वृद्धजनों का सशक्तीकरण

वृद्धावस्था या आयु वृद्धि (ageing) की परिघटना इस सदी के सबसे महत्त्वपूर्ण अनुभवों में से एक है, जो ऐतिहासिक रूप से कम प्रजनन स्तर के साथ-साथ मानव दीर्घायुता में उल्लेखनीय प्रगति से चिह्नित होती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 104 मिलियन वृद्धजन (60+ वर्ष) मौजूद हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.6% हैं। वृद्धजनों (60+) में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश में 193 मिलियन वृद्धजन होंगे, जो कुल जनसंख्या के लगभग 13% होंगे। UNFPA रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2050 तक दोगुना होकर कुल जनसंख्या के 20% से अधिक होने का अनुमान है।

यद्यपि वृद्धजनों की बढ़ती संख्या चिंताजनक प्रतीत हो सकती है, लेकिन वृद्ध होती जनसंख्या को समर्थन देने हेतु प्रभावी नीतियाँ एवं कार्यक्रम विकसित करने के लिये दीर्घायुता और उभरती भेद्यताओं से संबद्ध चुनौतियों को समझना आवश्यक है।

वृद्धजन होने की पात्रता

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** 60-74 वर्ष की आयु वाले लोगों को वृद्धजन मानता है। वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या के वृद्धजन वर्ग के लिये संक्रमण की आयु 60 वर्ष निर्धारित की थी, जिसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:
  - **युवा वृद्ध** (Young Old): 60-75 वर्ष की आयु के बीच।
  - **वृद्ध-वृद्ध** (Old-Old): 75-85 वर्ष की आयु के बीच।

नोट :

- **अत्यंत वृद्ध** (Very Old): 85 वर्ष और उससे अधिक

- **विश्व जनसंख्या डेटा शीट-2002** में 65+ आयु वर्ग की जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या माना गया है।
- भारतीय संदर्भ में, किसी व्यक्ति को वृद्ध के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से भारत की जनगणना द्वारा 60 वर्ष की आयु को अपनाया गया है, जो सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की आयु के साथ भी संगत है।

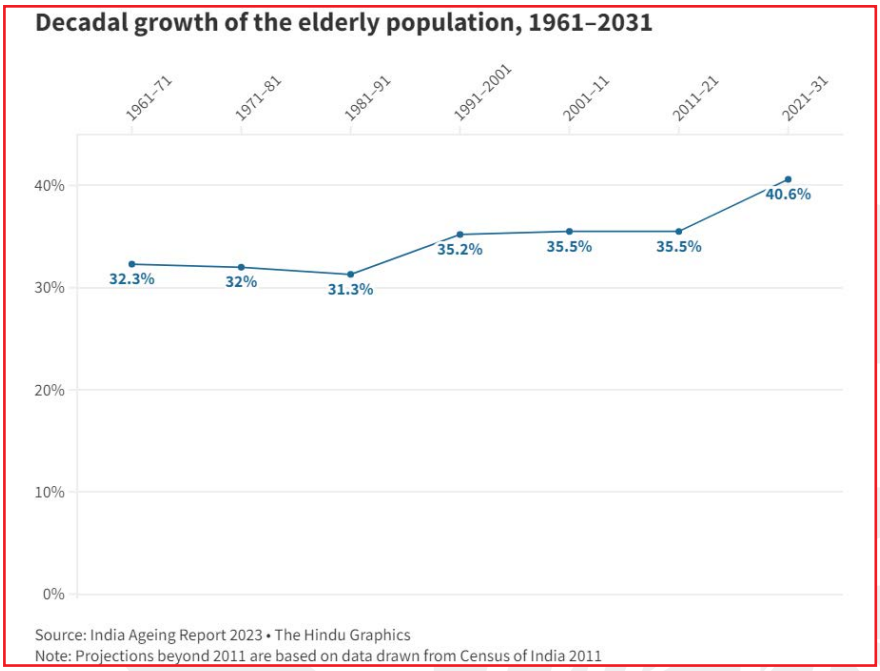

भारत में वृद्धावस्था की परिघटना में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक कौन-से हैं?

- **दीर्घायुता में वृद्धि:**
  - भारत में दीर्घायुता (Longevity) में वृद्धि का एक मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार है। पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उपचार और निवारक देखभाल में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।
    - **WHO** के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 में 62.1 वर्ष से 5.2 वर्ष बढ़कर वर्ष 2021 में 67.3 वर्ष हो गई।
- **बेहतर जीवन दशाएँ:**
  - स्वच्छ जल, स्वच्छता और बेहतर पोषण तक पहुँच सहित बेहतर जीवन दशाओं ने भी सुदीर्घ आयु में योगदान दिया है।
    - **'स्वच्छ भारत अभियान'** से स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे जलजनित रोगों की व्यापकता में कमी आई है।
- **प्रजनन दर में कमी :**
  - भारत ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किये हैं, जो प्रजनन दर को कम करने में सफल रहे हैं।
    - वर्ष 2019-21 के दौरान आयोजित NFHS के पाँचवें दौर के अनुसार, कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (प्रति महिला 2.1 बच्चे) से कम है।
- **सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन:**
  - सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि महिला शिक्षा एवं कार्यबल में उनकी भागीदारी में वृद्धि, ने भी प्रजनन दर को कम करने में भूमिका निभाई है।
  - महिलाओं में उच्च शिक्षा का स्तर देरी से विवाह और कम बच्चों को जन्म देने से जुड़ा हुआ है। शहरीकरण के कारण छोटे परिवार के मानदंड विकसित हुए हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बच्चों का पालन-पोषण अधिक महँगा और मांगपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
    - उच्च साक्षरता दर और उन्नत स्वास्थ्य सेवा के लिये प्रशंसित केरल राज्य भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा और सबसे कम प्रजनन दर प्रदर्शित करने वाले राज्यों में से एक है। वृद्ध आबादी के प्रबंधन में केरल अन्य राज्यों के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

वृद्धजन आबादी से संबंधित कानूनी प्रावधान

- अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 वृद्धजनों के लिये संवैधानिक प्रावधान प्रदान करते हैं। हालाँकि, नीति

नोट :

निर्देशक तत्व (directive principles) कानून के तहत प्रवर्तनीय नहीं होते, लेकिन यह किसी भी कानून के निर्माण के समय राज्य को एक सकारात्मक दायित्व सौंपते हैं।

- हिंदू विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1956 की धारा 20 में वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण को बाध्यकारी प्रावधान बनाया गया है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के अंतर्गत वृद्ध माता-पिता अपने बच्चों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
- 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007' बच्चों या उत्तराधिकारियों के लिये अपने माता-पिता या परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का उद्देश्य रखता है।

भारत में वृद्धजन आबादी से संबद्ध विभिन्न चुनौतियाँ

- **दैनिक जीवन संबंधी गतिविधियों में बाधा:**
  - लगभग 20% वृद्धजन दैनिक जीवन संबंधी गतिविधियों (Activities of Daily Living- ADL)— जिसमें नहाने-धोने, कपड़े बदलने, भोजन करने और चलने-फिरने जैसी बुनियादी स्व-देखभाल गतिविधियाँ शामिल हैं, में बाधाओं का अनुभव करते हैं।
  - अकेले रहने वाले या पर्याप्त पारिवारिक सहयोग के बिना रहने वाले वृद्धजन प्राय: ADL बाधाओं से जूझते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्वतंत्रता क्षीण होती हैं और देखभाल सेवाओं की आवश्यकता बढ़ जाती है।
- **बहु-रुग्णता (Multi-Morbidity):**
  - वृद्धजनों में अनेक दीर्घकालिक बीमारियों का एक साथ होना एक आम समस्या है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता बढ़ जाती है।
  - LASI (Longitudinal Ageing Survey of India) की रिपोर्ट के अनुसार 75% वृद्ध आबादी एक या एक से अधिक दीर्घकालिक बीमारियों (जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया एवं हृदय संबंधी रोग) से पीड़ित है।
- **गरीबी:**
  - आर्थिक असुरक्षा वृद्धजनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जिनके पास आय के स्थिर स्रोत नहीं हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवा के उपयोग को प्रभावित करते हैं।
  - इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में 40% से अधिक वृद्धजन निर्धनतम वर्ग वर्ग में शामिल हैं, जिनमें से लगभग 18.7% के पास आय का कोई साधन नहीं है।
- **बदलती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएँ:**
  - एक ऐसी जनसांख्यिकी, जहाँ वृद्धजनों की वृद्धि दर युवाओं की वृद्धि दर से कहीं अधिक है, वृद्धजनों को गुणवत्तापूर्ण, वहनीय और सुलभ स्वास्थ्य एवं देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है।
  - उन्हें घर पर विशेष चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें टेली या होम कंसल्टेशन, फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार और फार्मास्यूटिकल एवं डायग्नोस्टिक सेवाएँ शामिल हैं।
- **सामाजिक मुद्दे:**
  - पारिवारिक उपेक्षा, शिक्षा का निम्न स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाएँ एवं कलंक, संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं पर कम भरोसा जैसे कारक वृद्धजनों की स्थिति को और बदतर कर देते हैं।
  - सुविधाओं तक पहुँच में असमानता वृद्धजनों की समस्याओं को और बढ़ा देती है, जो पहले से ही शारीरिक, आर्थिक और कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसी सुविधाओं को समझने तथा उनका लाभ उठाने में सीमित पहुँच रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उनमें से अधिकांश उपेक्षा का जीवन जीने को विवश होते हैं।
- **अंतर्निहित रूप से लैंगिक आधार:**
  - जनसंख्या की आयु वृद्धि के उभरते मुद्दों में से एक 'आयु वृद्धि का नारीकरण' (Feminization of Ageing) भी है, जो इंगित करता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक संख्या में वृद्ध आबादी में शामिल हो रही हैं।
    - भारत की जनगणना से पता चलता है कि वर्ष 1951 में वृद्धजनों का लिंग अनुपात उच्च रहा था (1028) था, जो वर्ष 1971 तक घटकर लगभग 938 रह गया, लेकिन वर्ष 2011 तक पुन: बढ़कर 1033 हो गया।
  - वृद्धावस्था में गरीबी अंतर्निहित रूप से लैंगिक आधार रखती है जहाँ वृद्ध महिलाओं के विधवा होने, अकेले रहने, बिना आय के जीवनयापन करने एवं कम निजी संपत्ति रखने और सहायता के लिये पूरी तरह से परिवार पर निर्भर रहने की संभावना अधिक होती है।

नोट :

- **अपर्याप्त कल्याणकारी योजनाएँ:**
  - नीति आयोग की एक रिपोर्ट से प्रकट होता है कि 'आयुष्मान भारत' और विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बावजूद 400 मिलियन भारतीयों के पास स्वास्थ्य व्यय के लिये कोई वित्तीय कवर नहीं है।
  - केंद्र और राज्य स्तर पर पेंशन योजनाएँ मौजूद होने के बावजूद, कुछ राज्यों में मात्र 350 से 400 रुपए प्रति माह की मामूली राशि प्रदान की जाती है और वह भी सार्वभौमिक रूप से प्रदान नहीं की जाती है।

वृद्ध जनसंख्या के कल्याण के लिये विभिन्न पहलें

- **वैश्विक स्तर पर की गई पहलें:**
  - वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना
  - वृद्धजनों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत
  - 2021-2030 'स्वस्थ आयु वृद्धि दशक' के रूप में निर्दिष्ट
  - सतत विकास के लिये 2030 एजेंडा में किसी को भी पीछे न छोड़ने तथा यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है कि सभी आयु वर्गों के लिये सतत विकास लक्ष्य (SDGs) पूरे किये जाएँ, जहाँ वृद्धजनों सहित सबसे कमज़ोर/भेद्य लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- **भारत सरकार द्वारा की गई पहलें:**
  - SACRED पोर्टल
  - सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE)
  - एल्डर लाइन (Elder Line)
  - वृद्धजनों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)
  - राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
  - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
  - वयोश्रेष्ठ सम्मान
  - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007

भारत में वृद्ध आबादी के सशक्तीकरण के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये?

- **अभाव से सुरक्षा:**
  - वृद्धजनों के लिये सम्मानजनक जीवन की दिशा में पहला कदम यह होगा कि उन्हें अभाव और इससे उत्पन्न सभी वंचनाओं से बचाया जाए। पेंशन के रूप में प्रदत्त नकद राशि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और अकेलेपन से बचने में मदद कर सकती है। यही कारण है कि वृद्धावस्था पेंशन दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।
    - सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सुधार लाना एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, दिव्यांगता सहायता, दैनिक कार्यों में सहायता, मनोरंजन के अवसर और एक बेहतर सामाजिक जीवन जैसे अन्य सहयोग एवं सुविधाओं की भी आवश्यकता है।
- **अग्रणी राज्यों का अनुकरण करना:**
  - दक्षिणी राज्यों और ओडिशा एवं राजस्थान जैसे गरीब राज्यों ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति प्राप्त कर ली है। उनके कार्य अनुकरणीय हैं। यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) में सुधार करे तो सभी राज्यों के लिये ऐसा करना बहुत आसान हो जाएगा।
- **वृद्ध महिलाओं की चिंताओं को चिह्नित करना:**
  - नीति में इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाना चाहिये कि भारत में महिलाएँ औसतन पुरुषों की तुलना में तीन वर्ष अधिक जीती हैं। अनुमान है कि वर्ष 2026 तक वृद्धजनों का लिंग अनुपात बढ़कर 1060 हो जाएगा। चूँकि भारत में महिलाएँ आमतौर पर अपने पतियों से कम आयु की होती हैं, इसलिये वे प्राय: वृद्धावस्था में विधवा के रूप में जीवन बिताती हैं।
    - इसलिये, नीति में विशेष रूप से अधिक असुरक्षित और आश्रित वृद्ध एकल महिलाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये ताकि वे सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जी सकें।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित करना:**
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) को इस मामले में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इनके बीच बेहतर सहकार्यता से आवश्यक सुधारों की दिशा में कार्य शुरू हो सकता है।
    - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019, यह विधेयक वृद्धजनों के लिये गृह-आधारित देखभाल को विनियमित करने का उद्देश्य रखता है। यह

नोट :

घर पर देखभाल सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण और उनके लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है। हालाँकि वर्ष 2019 में संसद में पेश किये जाने के बाद से इसे पारित नहीं किया गया है।

- **वृद्धजन समावेशी समाज का निर्माण करना:**
  - वृद्धाश्रमों (Old-Age-Homes- OAHs) में सभी वृद्धजनों के लिये उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने के प्रभावी तरीकों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि इन आश्रमों में वृद्धों की संख्या कम या सीमित हो। वृद्धजन समाज के लिये एक संपत्ति हैं, न कि कोई बोझ और इस संपत्ति का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उन्हें वृद्धाश्रमों में अलग-थलग करने के बजाय मुख्यधारा की आबादी में शामिल किया जाए।
- **वृद्धजनों के प्रति धारणा में बदलाव लाना:**
  - वृद्धजनों को बोझ समझने की धारणा को नवोन्मेषी संस्थाओं और सामाजिक एजेंसियों द्वारा बदला जा सकता है, जो उन्हें सशक्त बनाती हैं और उन्हें उत्पादक सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करती हैं।
  - समाज वृद्धजनों के अनुभव, कौशल और ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी सक्रिय भागीदारी से लाभान्वित हो सकता है।
    - 'यूनिवर्सिटी ऑफ़ द थर्ड एज' (U3A) एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जो सेवानिवृत्त और अर्द्ध-सेवानिवृत व्यक्तियों को आजीवन अधिगम के अवसर प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी से लेकर कला तक, विभिन्न विषयों में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।
    - सिंगापुर की 'वरिष्ठजन रोज़गार योजना' (Senior Employment Scheme) नौकरी चाहने वाले वृद्धजनों को ऐसे नियोक्ताओं से मिलाने में मदद करती है जो उनके अनुभव और विश्वसनीयता को महत्त्व देते हैं।

निष्कर्ष

वृद्धजनों के बारे में लोगों की धारणा को बदलने और उन्हें दायित्व के बजाय संपत्ति के रूप में देखने में नवोन्मेषी संस्थाएँ और सामाजिक एजेंसियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नीतिगत पहलों को शिक्षा, रोज़गार, स्वयंसेवा, स्वास्थ्य एवं कल्याण और सामाजिक समावेशन के अवसर प्रदान करने के माध्यम से वृद्धजनों को सशक्त बनाना चाहिये तथा उन्हें उत्पादक सामाजिक भूमिकाओं में एकीकृत करना चाहिये।

■■■

भारतीय रेलवे प्रणाली की पुनर्कल्पना

सिलीगुड़ी के पास घटित दुखद रेल दुर्घटना—जहाँ एक मालगाड़ी **सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई**, ने एक बार फिर भारतीय रेलवे **से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं** की ओर गंभीर ध्यान आकृष्ट किया है। यह घटना पिछले दशकों में भारतीय रेलवे के लिये चिंताजनक घातक रेल दुर्घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है, जहाँ **वर्ष 1995 से अब तक सात बड़ी दुर्घटनाएँ** हुई हैं, जिनमें 1,600 से अधिक मौतें हुई हैं।

भारत जैसे सघन आबादी वाले देश के लिये परिवहन का एक महत्त्वपूर्ण साधन होने के बावजूद, भारतीय रेलवे **लगातार नीतिगत परिवर्तनों, नेटवर्क विस्तार की अधूरी योजनाओं** और दुर्घटनाओं को जन्म देने वाली **परिसंपत्ति संबंधी विफलता** की चिंताजनक प्रवृत्ति से ग्रस्त है।

इस संकट को संबोधित करने के लिये **भारतीय रेलवे** की प्राथमिकताओं की गहन समीक्षा करने, इसकी पुरानी हो चुकी अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और यात्रियों एवं माल दोनों के लिये परिवहन के एक **विश्वसनीय, कुशल एवं सुरक्षित साधन के रूप में इसकी स्थिति** की पुनर्बहाली के लिये एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है।

भारतीय रेलवे का वर्तमान संगठनात्मक ढाँचा

- **परिचय:** भारतीय रेलवे की स्थापना वर्ष **1853** में हुई थी और यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है।
  - भारतीय उपमहाद्वीप में पहला रेलमार्ग बंबई से **ठाणे तक (21 मील की दूरी)** विकसित किया गया था।
  - अनुमान है कि वर्ष 2050 तक रेल गतिविधि में **भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 40%** होगी।
    - भारतीय रेलवे ने एक आधुनिक रेलवे प्रणाली विकसित करने के लिये **'भारत के लिये राष्ट्रीय रेल योजना (NRP)- 2030'** तैयार की है।
- **राजस्व:** वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे ने अपने **आंतरिक राजस्व का 69% माल ढुलाई से** और **24% यात्री यातायात से** अर्जित किया।
  - शेष 7% आय अन्य विविध स्रोतों, जैसे पार्सल सेवा, कोचिंग रसीद और प्लेटफ़ॉर्म टिकटों की बिक्री से अर्जित की गई।

संरचना:

- **रेल मंत्रालय:**
  - **उत्तरदायित्व:**
    - समग्र रेलवे नीति तैयार करना और रणनीतिक दिशा निर्धारित करना।

नोट :

- भारतीय रेलवे के लिये बजटीय आवंटन की देखरेख करना।
- प्रमुख रेलवे परियोजनाओं और विस्तार योजनाओं को मंज़ूरी देना।
- रेलवे बोर्ड को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना।

◆ **बजट 2024-25 में** रेलवे के विकास के लिये रेल मंत्रालय को **2.52 लाख करोड़ रुपए (30.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर)** का पूंजीगत परिव्यय आवंटित किया गया है।
- सरकार ने रेलवे क्षेत्र में **100% FDI** की अनुमति प्रदान की है।

- **रेलवे बोर्ड:**
  - **उत्तरदायित्व:**
    - रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना।
    - भारतीय रेलवे के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करना।
    - नेटवर्क विकास, आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुधार के लिये दीर्घकालिक योजनाएँ तैयार करना।
    - क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश एवं दिशानिर्देश जारी करना।
- **क्षेत्रीय रेलवे (Zonal Railways):**
  - **संख्या:** 17 (जून 2024 तक); जबकि 18वाँ ज़ोन (दक्षिण तटीय रेलवे के रूप में) प्रस्तावित है
  - **संरचना:**
    - क्षेत्रीय रेलवे को आगे मंडल या डिवीजन में विभाजित किया गया है, जिनका प्रबंधन मंडल रेलवे प्रबंधकों (DRMs) द्वारा किया जाता है।
    - प्रत्येक मंडल को विशिष्ट कार्यों (जैसे- कार्यशालाएँ, यातायात प्रबंधन आदि) के लिये छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है।
  - **उत्तरदायित्व:**
    - प्रत्येक क्षेत्र या ज़ोन अपने भौगोलिक क्षेत्र के कुशल एवं सुरक्षित परिचालन के लिये ज़िम्मेदार है।
    - यह क्षेत्र के भीतर पटरियों, रोलिंग स्टॉक (डब्बे एवं इंजन) और रेलवे अवसंरचना के रखरखाव की देखरेख करता है।
    - सुरक्षा विनियमनों और प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करता है।
    - टिकट बिक्री और माल ढुलाई शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करता है।

भारतीय रेलवे से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **दुर्घटनाएँ और ट्रेनों का पटरी से उतरना:** अवसंरचना के कमज़ोर रखरखाव और पुरानी पड़ चुकी संपत्तियों के कारण **बार-बार दुर्घटना, ट्रेन के पटरी से उतरने और ट्रेनों के बीच टकराव** जैसी घटनाएँ सामने आती रहती हैं।
- **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट** में सिग्नल विफलताओं और रेल फ्रैक्चर (rail fractures) की चिंताजनक प्रवृत्ति के बारे में गंभीर चिंता जताई गई है, जो दुर्घटनाओं में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
  - **वर्ष 2023 की बालासोर ट्रेन दुर्घटना** मामले की गंभीरता की याद दिलाती है।
- **वित्तीय निष्पादन में चुनौतियाँ:** भारतीय रेलवे को अपने वित्तीय निष्पादन में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ विशेष रूप से **इसके लाभदायक माल ढुलाई खंड और घाटे में चल रहे यात्री खंड के बीच तीव्र अंतराल पाया जाता है।**
  - **CAG** की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में **यात्री सेवाओं में 68,269 करोड़ रुपए की भारी हानि** को उजागर किया गया था, जिसकी भरपाई माल यातायात से होने वाले मुनाफे से की जानी थी।
- **बेहद धीमी यात्रा:** मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति **50-51 किमी प्रति घंटा** बनी हुई है, जो '**मिशन रफ्तार**' के तहत किये गए वादे से कम है।
  - यह धीमी गति **समय को लेकर संवेदनशील यात्राओं** के लिये रेल यात्रा को अनाकर्षक बना देती है, विशेषकर **जब इसकी तुलना द्रुत सड़क एवं हवाई यात्रा विकल्पों से की जाती है।**
  - **सेमी-हाई स्पीड वाले** '**वंदे भारत**' रेलगाड़ियों के प्रवेश के साथ फिलहाल पर्याप्त गति सुधार की अपेक्षा आलीशान आंतरिक साज-सज्जा को प्राथमिकता दी गई है और यह **धीमी यात्रा अवधि के मूल मुद्दे को हल करने में विफल रही है।**
- **उभरती प्रौद्योगिकियों का धीमा एकीकरण:** भारतीय रेलवे उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनका लाभ उठाने में अपेक्षाकृत सुस्त रही है, जिससे इसकी **कार्यकुशलता, सुरक्षा और ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।**
  - **उदाहरण के लिये,** ट्रेनों की टक्कर को रोक सकने की संभावित क्षमता के बावजूद भारत में **कवच प्रणाली** की तैनाती की गति मंद रही है।

नोट :

- अब तक, इसे **दक्षिण मध्य रेलवे में केवल 1,465 किमी ट्रैक और 139 इंजनों पर स्थापित किया गया है।**
- अतिरिक्त 3,000 किमी के लिये अनुबंध प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन तैनाती अभी भी लंबित है।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में निहित चुनौतियाँ:** भारतीय रेलवे को अवसंरचना विकास, परिचालन और सेवा वितरण के लिये **PPP मॉडल का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में संघर्ष करना पड़ा** है, जिससे निजी पूंजी और विशेषज्ञता जुटाने में बाधा उत्पन्न हुई है।
  - '**भारत गौरव**' के माध्यम से निजी रेलगाड़ी परिचालन की शुरूआत को राजस्व-साझाकरण मॉडल, परिचालन स्वायत्तता और **नियामक अनिश्चितताओं से संबंधित चिंताओं के कारण पर्याप्त निजी भागीदारी आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना** करना पड़ा है।
  - **जटिल संविदात्मक ढाँचे, सीमित जोखिम-साझाकरण तंत्र और नौकरशाही बाधाओं** जैसे कारकों ने निजी क्षेत्र की पर्याप्त भागीदारी को हतोत्साहित किया है।
- **अप्रभावी परिसंपत्ति उपयोग और रखरखाव रणनीतियाँ:** भारतीय रेलवे को रोलिंग स्टॉक, अवसंरचना और भूमि संसाधनों सहित अपनी विशाल परिसंपत्ति आधार के उपयोग को अनुकूलित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप **अकुशलता एवं निम्न उपयोग की स्थिति बनी** है।
  - **उदाहरण के लिये**, बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज के अमियावर गाँव से **500 टन वजन के एक परित्यक्त रेलवे पुल** की चोरी की शर्मनाक घटना सामने आई।
    - बिहार के ही मधुबनी ज़िले में स्क्रैप डीलरों द्वारा कथित तौर पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) कर्मियों की मिलीभगत से **करोड़ों रुपए मूल्य की लगभग दो किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक चोरी कर ली** गई।

रेलवे सुरक्षा की वृद्धि के लिये विभिन्न समितियों ने क्या सिफ़ारिशें की हैं?

- **काकोदकर समिति (2012):**
  - एक संविधिक **रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण** की स्थापना करना।
  - सुरक्षा परियोजनाओं के लिये 5 वर्ष की अवधि के लिये 1 लाख करोड़ रुपए के साथ एक **गैर-व्यपगत राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK)** का गठन करना।
  - ट्रैक रखरखाव और निरीक्षण के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
  - मानव संसाधन विकास और प्रबंधन को बढ़ाना।
  - स्वतंत्र दुर्घटना जाँच सुनिश्चित करना।
- **बिबेक देबरॉय समिति (2014):**
  - रेल बजट को आम बजट से अलग करना।
  - गैर-प्रमुख गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करना।
  - '**भारतीय रेलवे अवसंरचना प्राधिकरण**' की स्थापना करना।
- **विनोद राय समिति (2015):**
  - सांविधिक शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र 'रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण' की स्थापना करना।
  - निष्पक्ष जाँच के लिये 'रेलवे दुर्घटना जाँच बोर्ड' का गठन करना।
  - रेलवे परिसंपत्तियों के स्वामित्व और रखरखाव के लिये एक पृथक रेलवे अवसंरचना कंपनी की स्थापना करना।
  - रेलवे कर्मचारियों के लिये प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना।
- **राकेश मोहन समिति (2010)**
  - भारतीय GAPP (Generally Accepted Accounting Principles) के अनुरूप बनाने के लिये लेखांकन प्रणाली में सुधार करना।
  - FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, कंटेनराइज्ड कार्गो और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में रेलवे की उपस्थिति का विस्तार करना।
  - लंबी दूरी एवं अंतर-शहर परिवहन, गति उन्नयन और यात्री सेवाओं के लिये हाई-स्पीड रेल गलियारों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - उद्योग संकुलों और प्रमुख बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना।
  - प्रमुख नेटवर्क केंद्रों पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना।

भारत में रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **एकीकृत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स समाधान:** माल और यात्रियों के कुशल डोर-टू-डोर आवागमन के लिये रेल, सड़क एवं हवाई परिवहन मोड को सहजता से संयोजित करने वाले एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधानों का विकास करना।

नोट :

- इंटरमॉडल कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने और लास्ट-माइल संबंधी अकुशलताओं को कम करने के लिये प्रमुख औद्योगिक संकुलों एवं शहरी केंद्रों के पास **लॉजिस्टिक्स पार्क और** मल्टीमॉडल हब **स्थापित** करना।

- **नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण:** भारतीय रेलवे को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों (जैसे सौर, पवन और बायोमास) की ओर ले जाने के लिये एक व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति विकसित करना।
  - ट्रैक्शन और गैर-ट्रैक्शन उद्देश्यों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु स्टेशनों की छतों, खाली भूमि खण्डों और रेलवे पटरियों के किनारे बड़े पैमाने पर सौर पैनलों की स्थापना करना।
  - रोलिंग स्टॉक्स और ऑक्जिलरी पावर यूनिट (APU) के लिये बैटरी-इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रौद्योगिकियों की तैनाती की संभावनाएँ तलाशना, ताकि रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।
- **इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (ITS):** 'कवच' के माध्यम से उन्नत आईटीएस समाधानों (जैसे रियल-टाइम यातायात प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली और इंटेलिजेंट सिग्नलिंग सिस्टम) को लागू करना, ताकि नेटवर्क क्षमता को इष्टतम किया जा सके और सुरक्षा में सुधार किया जा सके।
  - भारत जर्मनी के 'ड्यूश बान' (Deutsche Bahn) से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, जो अपनी समयनिष्ठता और परिचालन दक्षता के लिये प्रसिद्ध है।
- **भूमि विकास से मूल्य अधिग्रहण करना:** रेलवे स्टेशनों के निकट भूमि परिसंपत्तियों का उपयोग मॉल या कार्यालय स्थलों जैसी वाणिज्यिक विकास परियोजनाओं के लिये किया जाना, जिससे टिकट बिक्री से परे भी राजस्व के स्रोत उत्पन्न किये जा सकें।
- 'डिजिटल ट्विन्स' और 'प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स' का लाभ उठाना: सिमुलेशन, परीक्षण और अनुकूलन के लिये वर्चुअल प्रतिकृतियों के निर्माण के लिये अवसंरचना, रोलिंग स्टॉक और परिचालन प्रणालियों सहित संपूर्ण रेलवे नेटवर्क के डिजिटल ट्विन्स (Digital Twins) का विकास करना।
  - अग्रसक्रिय रखरखाव को सक्षम करने, परिसंपत्ति उपयोग को इष्टतम करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिये सेंसर, कैमरा एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त रियल-टाइम डेटा का विश्लेषण करने के लिये प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स (Predictive Analytics) और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को क्रियान्वित करना।
    - भारत इस संबंध में नीदरलैंड के नीदरलैंडसे स्पूर्वेगेन (Nederlandse Spoorwegen) से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।
- **डेटा-संचालित निर्णय-निर्माण और अग्रसक्रिय जोखिम प्रबंधन को सक्षम** करने के लिये डिजिटल ट्विन्स एवं प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स को निर्णय समर्थन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना।

■■■

जीवंत ग्रामीण भारत की ओर

वर्ष 2022-23 के लिये नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey- HCES) के अनुसार भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रगति और आय वृद्धि के आशाजनक संकेत दे रही है। सर्वेक्षण के सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक यह है कि ग्रामीण परिवारों में खाद्य व्यय का हिस्सा पहली बार मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के 50% से कम हो गया है। **महज बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति से दूर यह महत्त्वपूर्ण बदलाव ग्रामीण भारतीयों के बीच परिवहन, चिकित्सा व्यय और उपभोक्ता सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर व्यय कर सकने की बेहतर वित्तीय क्षमता** की ओर इशारा करता है। ग्रामीण और शहरी उपभोग पैटर्न के बीच कम होता अंतराल ग्रामीण इलाकों में अभिसरण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाता है।

हालाँकि, इन उत्साहजनक संकेतों के बावजूद **गरीबी, अवसंरचनागत कमी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा तक पहुँच** से संबंधित लगातार बनी रही चुनौतियाँ ग्रामीण भारत की प्रगति में बाधा बन रही हैं, जिससे इन गहन समस्याओं के समाधान के लिये केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता रेखांकित होती है।

"भारत की आत्मा इसके गाँवों में बसती है। जब 'भारत' सुदृढ़ होगा, तब 'इंडिया' सुदृढ़ होगा।"

भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित प्रावधान

- **संवैधानिक प्रावधान:** राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP) का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वशासी इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक शक्तियों से संपन्न करने का निर्देश देता है।

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण विकास को गति देने के लिये पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की स्थापना की गई ।
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें कृषि विस्तार, भूमि विकास और भूमि सुधार जैसे विषय शामिल हैं।

- **शासन:**
  - **केंद्र सरकार:** केंद्रीय स्तर पर **पंचायती राज मंत्रालय** भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिये नीतियाँ बनाने और कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - **राज्य सरकार:** प्रत्येक राज्य सरकार के पास एक **ग्रामीण विकास विभाग** होता है जो राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये ज़िम्मेदार होता है।
  - **स्थानीय सरकार: पंचायती राज संस्थाएँ** स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

हाल के समय में ग्रामीण भारत के विकास के प्रमुख चालक क्या रहे हैं?

- **बढ़ती प्रयोज्य आय:** HCES से उजागर हुआ है कि ग्रामीण परिवारों में खाद्य व्यय के हिस्से में ऐतिहासिक रूप से गिरावट आई है **(कुल व्यय का 46%)**। इससे इंगित होता है कि उनके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ विवेकाधीन व्यय के लिये अधिक धन उपलब्ध है।
  - यह **वाहन जैसी श्रेणियों पर व्यय में वृद्धि (7.55%)** को उजागर करता है, जो वाहन स्वामित्व में वृद्धि और संभावित रूप से **ग्रामीण रोज़गार के अवसरों में वृद्धि का संकेत** देता है।
- **कृषि सुधार और प्रौद्योगिकीय प्रगति:** कृषि सुधारों के कार्यान्वयन और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण ने ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - उदाहरण के लिये, उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों और उन्नत सिंचाई तकनीकों के प्रसार से फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी सरकार की पहलों ने भी इस विकास में योगदान दिया है।
- **ग्रामीण अवसंरचना का विकास:** ग्रामीण अवसंरचना के विकास में महत्त्वपूर्ण निवेश किया गया है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी, बाज़ारों तक पहुँच और समग्र आर्थिक गतिविधियाँ सुगम हुई हैं।
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने दूरदराज के गाँवों को निकटवर्ती क़स्बों और शहरों से जोड़ने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - इसके अतिरिक्त, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने सामुदायिक संसाधन केंद्रों और उत्पादन केंद्रों जैसे ग्रामीण अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा:** ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहलों ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया है तथा उन्हें आय सृजन के अवसर प्रदान किये हैं।
  - स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Startup Village Entrepreneurship Programme- SVEP) ने ग्रामीण स्टार्टअप्स और उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाया है।
- **वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुँच:** भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ऋण एवं बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये ठोस प्रयास किये हैं।
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लाखों लोगों के लिये बैंक खाते खोलने में सहायता की है, जबकि मुद्रा योजना ने लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय SMEs सहित) को किफायती ऋण उपलब्ध कराया है।
- **ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस:** भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच 'डिजिटल डिवाइड' को दूर करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
  - भारतनेट (BharatNet), **जिसे पहले 'राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क' के रूप में जाना जाता था**, जैसी पहलों का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना और इस प्रकार ग्रामीण समुदायों के लिये ई-गवर्नेंस सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बाज़ारों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना है।

नोट :

- सामान्य सेवा केंद्रों (Common Service Centers- CSCs) ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न G2C (Government-to-Citizen) सेवाएँ प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **ग्रामीण हस्तशिल्प और कारीगरी उत्पादों को बढ़ावा:** भारत सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से **पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प और कारीगरी उत्पादों को बढ़ावा** देने तथा संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - उदाहरण के लिये, हुनर हाट योजना (Hunar Haat scheme) ने ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं बिक्री करने के लिये एक मंच प्रदान किया है, जबकि भौगोलिक संकेत (GI) टैगिंग ने अनूठे क्षेत्रीय उत्पादों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद की है।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पहल:** ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता में सुधार ने ग्रामीण समुदायों के समग्र विकास एवं कल्याण में योगदान किया है।
  - आयुष्मान भारत योजना ने लाखों ग्रामीण परिवारों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और **खुले में शौच मुक्त (ODF) ग्रामों को बढ़ावा** देने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम एवं उत्पादकता प्राप्त हुई है।

वर्तमान में ग्रामीण भारत से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **कृषि संकट और किसान ऋणग्रस्तता:** भारत में ग्रामीण आबादी का एक महत्त्वपूर्ण भाग अभी भी अपनी आजीविका के लिये कृषि पर अत्यधिक निर्भर है।
  - **अनियमित मानसून, सिंचाई सुविधाओं की कमी, ऋण तक अपर्याप्त पहुँच और बाज़ार मूल्यों में उतार-चढ़ाव** जैसे कारकों ने कृषि संकट एवं किसान ऋणग्रस्तता में वृद्धि की है।
  - **ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों और परिवारों की भूमि जोत की स्थिति का आकलन, 2019'** (Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019) के अनुसार, **भारत के आधे से अधिक कृषक परिवार ऋणग्रस्त** हैं, जिन पर औसतन 74,121 रुपए बकाया है।
- **पंचायती राज संस्थाओं में FFF की कमी का मुद्दा:** वित्त, प्रकार्य एवं कर्मी (Funds, Functions, and Functionaries- FFF) की कमी पंचायती राज संस्थाओं के लिये लंबे समय से बनी रही चुनौती है, जिससे उनके प्रभावी ढंग से कार्य करने और अपने अधिदेश को पूरा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।
  - धन का अपर्याप्त हस्तांतरण, स्पष्ट कार्यात्मक उत्तरदायित्वों का अभाव और ज़मीनी स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण प्राय: ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अकुशलता तथा कार्यान्वयन में अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **अपर्याप्त ग्रामीण अवसंरचना:** ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के प्रयासों के बावजूद कई गाँवों में अभी भी **बारहमासी सड़कें, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच का अभाव** है।
  - वर्ष 2023 में एक संसदीय पैनल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित कई सड़कों की 'खराब गुणवत्ता' को उजागर किया।
- **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुँच:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँच का अभाव** पाया जाता है, जिसके कारण बदतर स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न होते हैं और रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
  - यद्यपि 65% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, फिर भी इन क्षेत्रों के लिये केवल 25-30% अस्पताल ही पहुँच में हैं।
    - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019-21 से उजागर हुआ कि केवल **65% ग्रामीण परिवारों के पास बेहतर स्वच्छता सुविधा तक पहुँच** थी।
  - चिकित्साकर्मियों की कमी, अवसंरचना का अभाव और किफायती दवाओं तक सीमित पहुँच कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- **शैक्षिक चुनौतियाँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ **अपर्याप्त अवसंरचना, शिक्षकों की कमी, उच्च ड्रॉपआउट दर और डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुँच** जैसी समस्याएँ पाई जाती हैं।
  - ASER रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में **सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के केवल 38.5% बच्चे** ही कम से कम ग्रेड II के स्तर पर 'रीडिंग' कर सकते हैं, जो अधिगम या 'लर्निंग' के अंतराल को उजागर करता है।

नोट :

- **भूमि स्वामित्व में लैंगिक अंतर:** कई ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक मानदंड और कानूनी बाधाएँ महिलाओं को भूमि का उत्तराधिकार या स्वामित्व पाने से वंचित करते हैं।
  - इससे वे **आर्थिक रूप से वंचित** हो जाती हैं और कृषि संबंधी निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है, जिससे कृषि की समग्र उत्पादकता पर असर पड़ता है।
- कृषि का नारीकरण **(Feminization of Agriculture):** रोज़गार के अवसरों की तलाश में **ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर पुरुषों के बढ़ते प्रवास** के साथ 'कृषि के नारीरण' की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
  - महिलाएँ कृषि गतिविधियों में वृहत भूमिका निभा रही हैं, जहाँ वे प्राय: **अकेले ही खेतों और कृषि कार्यों का प्रबंधन** करती हैं।

ग्रामीण भारत के विकास में तेज़ी लाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **ग्रामीण औद्योगीकरण और गैर-कृषि रोज़गार को बढ़ावा देना:** स्थानीय संसाधनों और कौशल का लाभ उठाते हुए **कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों** पर केंद्रित **ग्रामीण औद्योगिक पार्कों** और संकुलों की स्थापना करना।
  - कर लाभ, सब्सिडी और ऋण तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों **(MSMEs)** की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
  - **ग्रामीण युवाओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम** विकसित करना, उन्हें स्थानीय बाज़ार की मांगों के अनुरूप व्यावसायिक एवं उद्यमिता कौशल से संपन्न करना।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना और डिजिटल रूपांतरण: निम्न भू कक्षा (LEO)** उपग्रह नेटवर्क और समुदाय-संचालित पहलों जैसे नवोन्मेषी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना।
  - **पंचायतों में 'टेक मित्र' (Tech Mitras)** के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ताकि ग्रामीण समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा सके।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और निवारक देखभाल को संवृद्ध करना: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिये 'हब-एंड-स्पोक मॉडल'** को लागू करना, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेलीमेडिसिन और ई-हेल्थकेयर प्रणालियों के माध्यम से बड़े ज़िला अस्पतालों से जोड़ा जाए।
  - दूरदराज के क्षेत्रों में निवारक देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिये **मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के उपयोग** को बढ़ावा देना।
  - किफायती और नवोन्मेषी स्वास्थ्य देखभाल समाधानों पर केंद्रित **ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल स्टार्टअप** और सामाजिक उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- **सतत कृषि और जलवायु-कुशल अभ्यासों को बढ़ावा देना: सुदूर संवेदन, मृदा मानचित्रण और डेटा-संचालित निर्णय समर्थन** प्रणालियों जैसी परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।
  - कृषि वानिकी, **एकीकृत कृषि प्रणालियों** और कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **महिला नेतृत्व वाले कृषक उत्पादक संगठन (FPOs):** महिला कृषकों के नेतृत्व में FPOs के गठन को प्रोत्साहित करना।
  - ये संगठन **महिलाओं को ऋण, इनपुट और बाज़ार संपर्क तक बेहतर पहुँच** प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें कृषि संबंधी निर्णय लेने में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने तथा उच्च लाभ प्राप्त करने में सशक्त बनाया जा सकेगा।
- **ग्रामीण पर्यटन का विकास और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और प्राकृतिक आकर्षणों को उजागर करते हुए **ग्रामीण पर्यटन सर्किटों की पहचान करना तथा उनका विकास करना।**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में **'प्लक-कुक-ईट' रेस्तरां सुविधाओं (Pluck-Cook-Eat Restaurant Facilities) को बढ़ावा** देना, जहाँ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है और उन्हें पर्यटन गतिविधियों से लाभान्वित किया जा सकता है।
- **ग्रामीण शासन और विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ बनाना:** पर्याप्त वित्तीय संसाधन, क्षमता निर्माण और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान कर **पंचायती राज संस्थाओं** को सशक्त बनाना।
  - नियोजन एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से **भागीदारीपूर्ण ग्रामीण शासन** को प्रोत्साहित करना।
  - पारदर्शी और उत्तरदायी ग्रामीण शासन के लिये **ई-पंचायत** जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

नोट :

- **ग्रामीण-शहरी तालमेल और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना:** ऐसी क्षेत्रीय विकास योजनाएँ विकसित करना जो **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को एकीकृत करें**, आर्थिक संबंधों और **सहजीवी विकास** को बढ़ावा दें।
  - शहरी सुविधाओं और ग्रामीण परिवेश को संयुक्त करते हुए **स्मार्ट गाँवों और ग्रामीण-शहरी संकुलों (rurban clusters) के विकास को बढ़ावा** देना।
  - ग्रामीण विकास और अवसंरचना परियोजनाओं पर केंद्रित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** पहलों को प्रोत्साहित करना।
- **ग्रामीण जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** ग्रामीण क्षेत्रों में **विकेंद्रीकृत जैव रिफाइनरियों और अपशिष्ट-से-मूल्य सृजन शृंखलाओं** (waste-to-value chains) की स्थापना को प्रोत्साहित करना, जहाँ **जैव ईंधन, जैव रसायन और जैव उत्पाद के उत्पादन** के लिये कृषि अवशेषों एवं अपशिष्टों का उपयोग किया जाए।

■■■

भारत की इलेक्ट्रिक वाहन विकास यात्रा

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर जारी विमर्श जटिल है, जिसमें उत्सर्जन, लागत और नीति के बारे में विभिन्न विचार शामिल हैं। जबकि EVs को प्राय: शून्य-उत्सर्जन वाहन के रूप में प्रचारित किया जाता है, विशेषज्ञ ध्यान दिलाते हैं कि भारत में (जहाँ 75% बिजली कोयले से प्राप्त होती है) **EVs का जीवन चक्र उत्सर्जन वास्तव में आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों या कुछ मामलों में हाइब्रिड वाहनों से भी अधिक** हो सकता है।

कुछ लोगों का तर्क है कि हाइब्रिड वाहन, अपने छोटे बैटरी पैक और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ, वर्तमान में भारतीय संदर्भ में उत्सर्जन में कमी और लागत-प्रभावशीलता का बेहतर संतुलन प्रदान कर सकते हैं। विमर्श में **ऑटोमोटिव बाज़ार को आकार देने में सरकारी सब्सिडी और नीतियों की भूमिका** की भी चर्चा की गई है।

आगे देखें तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है, क्योंकि **दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इसकी स्वीकार्यता बढ़** रही है, बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है और सरकार स्वच्छ परिवहन के लिये विभिन्न प्रयास कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles- EVs):

- **परिचय:** इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले **पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE)** के बजाय प्रणोदन के लिये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करते हैं।
  - यद्यपि इलेक्ट्रिक वाहनों की अवधारणा लंबे समय से चली आ रही है, ईंधन आधारित वाहनों के **बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों के कारण पिछले दशक में इसमें व्यापक रूप से रुचि** बढ़ी है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकार:**
  - **बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEVs):** ये प्रणोदन के लिये पूरी तरह बैटरी शक्ति पर निर्भर होते हैं तथा शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।
  - **प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV):** इनमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ही गैसोलीन इंजन मौजूद होता है। इन्हें बाह्य रूप से चार्ज किया जा सकता है और सीमित दूरी तक बैटरी पावर पर चलाया जा सकता है, जबकि लंबी यात्राओं के लिये गैसोलीन इंजन का उपयोग किया जा सकता है।
  - **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEVs):** इनमें इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन दोनों का उपयोग होता है, लेकिन बैटरी को सीधे प्लग-इन कर चार्ज नहीं किया जा सकता।
    - बैटरी को गैसोलीन इंजन या पुनर्योजी ब्रेकिंग (regenerative braking) के माध्यम से चार्ज किया जाता है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ:**
  - **उत्सर्जन में कमी:** ये शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार स्वच्छ वायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में योगदान देते हैं।
  - **निम्न परिचालन लागत:** बिजली गैसोलीन की तुलना में सस्ती हो सकती है, जिससे प्रति किलोमीटर ईंधन लागत कम हो सकती है ।
  - **शोररहित संचालन:** इलेक्ट्रिक मोटर गैसोलीन इंजन की तुलना में व्यापक रूप से कम शोर उत्पन्न करते हैं।
  - **बेहतर दक्षता:** इलेक्ट्रिक मोटर गैसोलीन इंजन की तुलना में अधिक प्रतिशत ऊर्जा को उपयोगी शक्ति में रूपांतरित करते हैं।
- **भारत में इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी नीतियाँ:**
  - **वर्ष 2010:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नोट :

(MNRE) द्वारा 95 करोड़ रुपए की योजना (जहाँ **एक्स-फैक्ट्री कीमतों पर 20% तक के प्रोत्साहन की पेशकश** की गई) के माध्यम से भारत ने EVs को प्रोत्साहन प्रदान किया। हालाँकि, मार्च 2012 में यह योजना वापस ले ली गई।

- **वर्ष 2013:** EVs के अंगीकरण को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा को संबोधित करने और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिये **'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020''** का शुभारंभ किया गया। हालाँकि इस योजना का व्यापक क्रियान्वयन नहीं हो सका।
- **वर्ष 2015:** स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी कारों को प्रोत्साहित करने के लिये (**वर्ष 2020 तक 7 मिलियन EVs के लक्ष्य** के साथ) केंद्रीय बजट में 75 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ **FAME योजना** की घोषणा की गई।
- **वर्ष 2017:** भारतीय परिवहन मंत्रालय ने **वर्ष 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक कारों** का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्योग की चिंताओं के बाद 100% के लक्ष्य को घटाकर 30% कर दिया गया।
- **वर्ष 2019:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्रिम खरीद प्रोत्साहन और चार्जिंग अवसंरचना के साथ **इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेज़ी लाने के लिये 10,000 करोड़ रुपए** की **FAME-II योजना** को मंज़ूरी प्रदान की।
- **वर्ष 2023:** जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार को बढ़ावा देने के लिये **इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5%** और चार्जर या चार्ज स्टेशनों पर 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया।
- **वर्ष 2024:** केंद्र ने हाल ही में एक **नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति** प्रस्तावित की है जो वर्तमान में परामर्श के अधीन है।

इलेक्ट्रिक वाहन अंगीकरण के पर्यावरणीय लाभ

- **वायु प्रदूषण में कमी:** भारत में वाहन यातायात कुल वायु प्रदूषण के 27% के लिये ज़िम्मेदार है और हर साल 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के अंगीकरण से आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों से जुड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों में वृहत रूप से कमी आएगी।
- **ध्वनि प्रदूषण में कमी:** भारत में ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जो द्रुत शहरीकरण तथा वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण और भी गंभीर हो गई है। वर्ष 2022 के एक UNEP रिपोर्ट के अनुसार, पाँच भारतीय शहर दुनिया के सबसे शोरपूर्ण शहरों में शामिल हैं। हालाँकि रिपोर्ट में विभिन्न स्रोतों का हवाला दिया गया है, लेकिन EVs शोर के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं क्योंकि उनमें ICE वाहनों में पाए जाने वाले मैकेनिकल वाल्व, गियर एवं फैन नहीं होते हैं।
- **परिचालन दक्षता में सुधार:** ईंधन दक्षता के मामले में, पेट्रोल या डीजल कारें संग्रहित ऊर्जा का केवल 17 से 21% ही परिवर्तित करती हैं, जबकि EVs ग्रिड से प्राप्त 60% विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर सकती हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर यह संक्रमण ईंधन उपयोग की दक्षता एवं अनुकूलन को बढ़ाएगा, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिये परिचालन लागत को कम करेगा और EVs की मांग को प्रोत्साहित करेगा।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अंगीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- **EVs की उच्च लागत:** एक **आंतरिक दहन इंजन कार** की तुलना में एक समान स्तर की इलेक्ट्रिक कार व्यापक रूप से अधिक महँगी हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **टाटा नेक्सन की कीमत लगभग 8.10 लाख रुपए** से शुरू होती है, जबकि इसके इलेक्ट्रिक मॉडल नेक्सन ईवी की कीमत **14.74 लाख रुपए से शुरू** होती है।
  - यह उच्च अग्रिम लागत कई संभावित EVs खरीदारों के लिये एक बड़ी बाधा है, विशेष रूप से भारत जैसे मूल्य-संवेदनशील बाज़ार में। सरकारी सब्सिडी इस अंतराल को दूर करने में मदद कर सकती है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित सिद्ध हो सकती है।
- **सीमित चार्जिंग अवसंरचना:** भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये **चार्जिंग अवसंरचना अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण** में है।
  - यद्यपि चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वे मुख्य रूप से बड़े शहरों में ही केंद्रित हैं।
  - व्यापक चार्जिंग सुविधाओं का अभाव **संभावित EV मालिकों के लिये 'रेंज एंग्जायटी' उत्पन्न करता** है, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि कहीं चार्जिंग स्टेशन तक पहुँचने से पहले ही चार्ज समाप्त न हो जाए।
- **सुदृढ़ स्थानीय बैटरी विनिर्माण पारितंत्र का अभाव:** भारत आयातित **लिथियम-आयन बैटरी** पर बहुत अधिक निर्भर है, जो एक महत्त्वपूर्ण एवं महँगा EV घटक है।

नोट :

- भारत इन्हें **चीन, जापान और दक्षिण कोरिया** से आयात करता है। वर्ष 2022 में भारत ने **1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य** के 617 मिलियन यूनिट लिथियम-आयन बैटरी आयात किये।

- **ग्रिड निर्भरता और उत्सर्जन:** भारत का बिजली **ग्रिड कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर** है।
  - यद्यपि इलेक्ट्रिक वाहन **शून्य टेलपाइप उत्सर्जन** उत्पन्न करते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली से उन्हें चार्ज करने से समग्र उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों का पर्यावरणीय लाभ **बिजली ग्रिड की स्वच्छता** पर निर्भर करता है। जब तक भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं करता, तब तक **इलेक्ट्रिक वाहनों का वास्तविक पर्यावरणीय लाभ सीमित** ही सिद्ध सकता है।
- **EV रखरखाव में कौशल अंतराल:** EVs को पारंपरिक ICE वाहनों की तुलना में रखरखाव और मरम्मत के लिये अलग तरह के कौशल की आवश्यकता होती है।
  - **वर्तमान भारतीय मोटर वाहन कार्यबल** EVs प्रौद्योगिकी की जटिलताओं से निपटने के लिये पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है।
- **भारतीय परिवेश में अनुकूलन के संबंध में आशंकाएँ:** भारत का अत्यधिक तापमान, जो गर्मियों में कई क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, **इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित** कर सकता है।
  - अध्ययनों से पता चला है कि 35°C से अधिक तापमान पर EV रेंज 17% तक कम हो सकती है।
- **पुनर्चक्रण और संवहनीयता संबंधी चिंताएँ:** EVs में प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों को दुर्लभ मृदा तत्वों और अन्य संभावित खतरनाक सामग्रियों की उपस्थिति के कारण उचित निपटान या पुनर्चक्रण की आवश्यकता होती है।
  - भारत में वर्तमान में **इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनर्चक्रण के लिये सुदृढ़ प्रणाली का अभाव** है। बैटरी का अनुचित निपटान पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकता है।
- **'रेंज एंग्जाइटी':** यह ड्राइविंग के दौरान बैटरी चार्ज खत्म होने के भय या अनिश्चितता को संदर्भित करता है। कई उपभोक्ता EVs की सीमित रेंज और लंबी यात्राओं के लिये चार्जिंग स्टेशन खोजने की संभावित असुविधा के बारे में चिंता रखते हैं।
  - यद्यपि EVs की रेंज में सुधार हो रहा है, फिर भी भारत जैसे विशाल दूरी वाले देश में यह उपभोक्ताओं के लिये चिंता का विषय बना हुआ है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेज़ी लाने के लिये आवश्यक उपाय:

- **'बैटरी लीज-टू-ओन' (Battery Lease-to-Own) कार्यक्रम:** एक सरकार समर्थित योजना का क्रियान्वयन किया जाए, जहाँ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार केवल वाहन का चेसिस खरीदें जबकि **बैटरी को दीर्घकालिक पट्टे या लीज पर प्राप्त किया जाए।**
  - जैसे-जैसे बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार होगा, पट्टेदार **कम लागत पर नए मॉडल में अपग्रेड** कर सकेंगे।
  - लीज अवधि के अंत में उपयोगकर्ता द्वारा **बैटरी की खरीद की जा सकती या उसे पुनर्चक्रण के लिये वापस कर सकते** हैं।
  - इससे EV की प्रारंभिक लागत 40% तक कम हो सकती है, जिससे वे ICE वाहनों के साथ अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाएँगे।
- **बैटरी प्रौद्योगिकी में निवेश करना:** वर्तमान बैटरियाँ आकार में छोटी हैं और उनकी वोल्टेज क्षमता कम है, जिससे EVs प्रणोदन को बढ़ाने तथा यात्रा दूरी का विस्तार कर सकने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  - इस समस्या से निपटने के लिये निजी कंपनियों को उच्च ऊर्जा घनत्व वाले हल्के पदार्थों से बनी बैटरियों, जिन्हें नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके चार्ज किया जा सके, का विकास करने के रूप में नवाचार की आवश्यकता है।
  - सरकार भी 'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन, 2019' के साथ भारत में बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है।
    - बैटरी क्षेत्र में तकनीकी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये ऐसी योजनाओं का लाभ उठाया जाना चाहिये।
- **चार्जर घनत्व में वृद्धि करना:** भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक 1.3 मिलियन से अधिक चार्जर्स की आवश्यकता होगी। EVs अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये हमें चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी।
  - **'चार्ज एज यू पार्क':** शहरी क्षेत्रों में **पार्किंग मीटर को EVs चार्जिंग पॉइंट में बदलना** होगा। यह मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाएगा और बिना किसी अतिरिक्त निवेश के चार्जिंग विकल्पों के एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करेगा।

नोट :

- **मानकीकरण:** सरकार को EVs पारितंत्र के खिलाड़ियों और ऑटो OEMs के साथ सहयोग करते हुए मानकीकरण प्रोटोकॉल स्थापित करने, अंतर-संचालन (interoperability) सुनिश्चित करने और फास्ट-चार्जिंग प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- **EVs ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम:** ग्रामीण व्यक्तियों को अपने गाँव से या छोटे व्यवसायों से छोटे पैमाने पर EVs चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने तथा इसे संचालित करने में सक्षम बनाया जाए।
  - मानकीकृत चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिये सूक्ष्म ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।
  - उपयोगकर्ताओं के लिये इन **चार्जिंग पॉइंट्स का पता लगाने और बुकिंग करने हेतु एक मोबाइल ऐप क्रियान्वित** किया जाए।
  - ऑपरेटर शुल्क वसूल कर आय अर्जित कर सकते हैं, जिससे नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे।
- **हाईवे बैटरी स्वैप कॉरिडोर:** प्रमुख राजमार्गों पर मानकीकृत बैटरी स्वैप स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाए।
  - इन चार्जिंग स्टेशनों के संचालन के लिये **ढाबा मालिकों के साथ साझेदारी** की जा सकती है, जिससे उन्हें भी अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
  - व्यस्ततम यात्रा अवधि के दौरान प्रतीक्षा समय को न्यूनतम करने के लिये स्वैप स्लॉट हेतु **ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली** का निर्माण किया जा सकता है।
- **EVs और हाइब्रिड के लिये एकसमान सब्सिडी:** सरकार को **EVs और हाइब्रिड के लिये एकसमान सब्सिडी** देने पर विचार करना चाहिये, क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियाँ महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती हैं।
  - नीतियाँ गतिशील और उभरते परिदृश्य के अनुकूल होनी चाहिये तथा इन्हें **जीवनचक्र उत्सर्जन और स्वामित्व की कुल लागत पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये।
  - यह दृष्टिकोण संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करेगा और जलवायु एवं ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करते हुए भारत को हरित परिवहन प्रणाली की ओर संक्रमण में सहायता प्रदान करेगा।
- **सेकंड-लाइफ बैटरी बाज़ार:** एक जीवंत **'सेकंड-लाइफ बैटरी बाज़ार'** का निर्माण किया जाए। यह ऑनलाइन या भौतिक बाज़ार व्यक्तियों और व्यवसायों को **निम्न-शक्ति वाले अनुप्रयोगों (जैसे कि रिक्शा, सौर भंडारण या यहाँ तक कि गाँव के माइक्रोग्रिड को बिजली देने के लिये) के लिये 'यूज्ड' बैटरियों के उपयोग में सक्षम बनाएगा।**
  - **नवोन्मेषी 'अर्बन माइनिंग' (urban mining) तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश** किया जाए। ये तकनीकें पुरानी बैटरियों, फोन और लैपटॉप सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से मूल्यवान लिथियम, कोबाल्ट एवं निकेल को पुन: प्राप्त कर सकती हैं।
  - इससे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में कमी आएगी, नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और **चक्रीय EV पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा** मिलेगा।

भारत अन्य देशों की सफलता से क्या सीख सकता है?

- **यूरोप (EU, EFTA, UK):**
  - **वित्तीय प्रोत्साहन:** इन देशों ने कर कटौती और छूट के माध्यम से EVs अंगीकरण में सफलता प्राप्त की है। भारत में इसी तरह की नीतियाँ आशाजनक सिद्ध होंगी, जो अगले कुछ वर्षों में EVs के प्रवेश को और तेज़ कर सकती हैं।
  - **भारत के लिये सबक:** वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से निरंतर समर्थन से इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में व्यापक वृद्धि हो सकती है।
- **चीन:**
  - **सरकारी सहायता और घरेलू प्रतिस्पर्द्धा:** इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में चीन का दबदबा एक शक्तिशाली संयोजन का परिणाम है। चीन में उदार सरकारी सहायता ने नवाचार को बढ़ावा दिया, जबकि तीव्र घरेलू प्रतिस्पर्द्धा ने कीमतों को कम किया, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक सुलभ हो गए हैं।
  - **भारत के लिये सबक:** जबकि भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, इसके घरेलू EVs बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा का वैसा स्तर मौजूद नहीं है। प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने और निरंतर सरकारी सहायता से भारतीय EVs उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अमेरिका:**
  - **सरकारी निवेश और निजी नवाचार:** सरकारी निवेश, सहायक नीतियों और टेस्ला एवं जीएम जैसी अग्रणी कंपनियों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के कारण अमेरिका के इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार ने व्यापक प्रगति की है। हालाँकि, हाल के समय में बिक्री में गिरावट ने सतर्क नीति डिज़ाइन की आवश्यकता को उजागर किया है।

नोट :

- **भारत के लिये सबक:**
  - **नवाचार और तकनीकी विशेषज्ञता:** भारत को शिक्षा के उत्कृष्टता केंद्रों को बढ़ावा देकर नवाचार में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अमेरिकी अनुभव से सीखते हुए और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए समय के साथ EVs के लिये सरकारी वित्तपोषण को रणनीतिक रूप से समाप्त किया जाना चाहिये।

■■■

शरणार्थियों की सुरक्षा और भारत

20 जून को मनाया जाने वाला विश्व शरणार्थी दिवस (World Refugee Day) शरणार्थियों से संबद्ध मानवता की मार्मिक याद दिलाता है। **दुनिया भर में 43.4 मिलियन से अधिक शरणार्थी** मौजूद हैं और वैश्विक स्तर पर जारी संघर्षों के साथ उनकी संख्या बढ़ ही रही है।

शरणार्थियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण ने उसके **ऐतिहासिक अनुभवों, मानवीय विचारों और पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंधों** के आधार पर आकार ग्रहण किया है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अपने पड़ोसी देशों से **बलात पलायन** की कई लहरों का सामना किया है, जिसने देश को एक जटिल एवं विकसित शरणार्थी नीति अपनाने के लिये प्रेरित किया गया है।

भारत की शरणार्थी नीति मुख्य रूप से **किसी व्यापक राष्ट्रीय कानून या ढाँचे के बजाय विशिष्ट संकटों के लिये तदर्थ प्रतिक्रियाओं द्वारा आकार** लेती रही है। देश ने विभिन्न शरणार्थी समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **प्रशासनिक नीतियों, न्यायिक घोषणाओं और संवैधानिक प्रावधानों के संयोजन पर भरोसा** किया है।

भारत की शरणार्थी नीति की व्यापक समीक्षा और शरणार्थी संकट के प्रबंधन में एक कुशल देश बनने के लिये रणनीतिक रोडमैप पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

भारत में शरणार्थी संकट:

- **परिचय:**
  - शरणार्थी (Refugees) वे व्यक्ति हैं जो **अपने जीवन, शारीरिक सुरक्षा या स्वतंत्रता के प्रति गंभीर खतरों के कारण अपने देश से पलायन** को बाध्य हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता रखते हैं।
  - ये खतरे उनके मूल देश में **उत्पीड़न, सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या गंभीर सार्वजनिक अशांति** से उत्पन्न हो सकते हैं।
- **भारत के शरणार्थी संकट के प्रमुख कारण:**
  - **भारत 'शरणार्थी अभिसमय 1951' का हस्ताक्षरकर्ता नहीं:** भारत में शरणार्थी या 'रिफ्यूजी' शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि देश वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय **या वर्ष 1967 के इसके प्रोटोकॉल** का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
    - चूँकि भारत ने शरणार्थी अभिसमय में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं और मानकों को नहीं अपनाया है, इसलिये **भारतीय कानून के तहत शरणार्थियों के लिये कोई विशिष्ट कानूनी ढाँचा या परिभाषा मौजूद नहीं** है।
    - इस अभाव के कारण आर्थिक प्रवासियों और शरण की मांग रखने वाले वास्तविक शरणार्थियों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
  - **पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष:** भारत ऐसे कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, जहाँ **राजनीतिक उथल-पुथल,** गृह युद्ध और जातीय संघर्ष की स्थिति रही है, जिसके कारण लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ा है।
    - उदाहरण के लिये, **वर्ष 1947 में भारत का विभाजन, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1983 से 2009 तक श्रीलंका का गृह युद्ध और फिर म्यांमार जारी रोहिंग्या संकट** के परिणामस्वरूप भारत में शरणार्थियों की बड़ी संख्या में आमद हुई है।
  - **जातीय एवं धार्मिक उत्पीड़न और मानवीय पहलू:** मानवीय सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उत्पीड़न एवं संघर्ष से भाग रहे लोगों को शरण प्रदान करने की इसकी परंपरा भी शरणार्थियों को समायोजित करने में एक प्रमुख रही है।
    - उदाहरण के लिये, **वर्ष 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बती बौद्धों ने भारत में शरण** ली।
  - **प्राकृतिक आपदाएँ और पर्यावरणीय कारक:** बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी पड़ोसी देश के लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, जिसके कारण उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी है।
    - **वर्ष 2015 में नेपाल** में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके कारण हज़ारों नेपाली नागरिकों को सुरक्षा एवं सहायता के लिये खुली सीमा पार कर भारत में प्रवेश करना पड़ा था। इनमें कई शरणार्थियों ने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे भारतीय राज्यों में शरण ली।

नोट :

- **पारगम्य सीमाएँ और व्यापक शरणार्थी नीति का अभाव:** पड़ोसी देशों के साथ भारत की लंबी और पारगम्य सीमाएँ और व्यापक शरणार्थी नीति का अभाव शरणार्थियों के आगमन के प्रभावी ढंग प्रबंधन एवं विनियमन को चुनौतीपूर्ण बना देता है।
  - अतीत में बांग्लादेश में उत्पीड़न से बचने के लिये आर्थिक प्रवासी और शरणार्थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे **असम और पश्चिम बंगाल** में आकर बसते रहे हैं।

शरणार्थियों को शरण देने का भारत का इतिहास

- **यहूदी शरणार्थी:** प्राचीन काल से भारत अन्य क्षेत्रों के लोगों को शरण देता रहा है। **यहूदियों ने यरूशलेम में अपने हेरोदे मंदिर (Herod's Temple) के विनाश के बाद भारत में शरण** ली थी।
  - इस मंदिर को **70 ई. में प्रथम यहूदी-रोमन युद्ध** के दौरान रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण यहूदियों का अपनी मातृभूमि से पलायन शुरू हो गया और अनेक यहूदियों ने भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में शरण ली।
- **तिब्बती शरणार्थी:** वर्ष 1959 में भारत ने तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद भाग रहे तिब्बती शरणार्थियों के लिये अपने दरवाज़े खोलते हुए उन्हें शरण दी और उनके पुनर्वास के लिये बस्तियाँ स्थापित कीं।
- **विभाजन शरणार्थी:** वर्ष 1947 में देश विभाजन के दौरान सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक का सामना करते हुए भारत ने नवगठित पाकिस्तान राज्य से आए लाखों शरणार्थियों को शरण दी।
- **चकमा और हाजोंग शरणार्थी:** 1960 के दशक के प्रारंभ में भारत ने चकमा और हाजोंग समुदायों को प्रवेश दिया जो वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र में अपने पैतृक घरों से विस्थापित हो गए थे।
- **पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के शरणार्थी:** वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद भारत ने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी और संकट के समय उन्हें आश्रय एवं सहायता प्रदान की।
- **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी:** 1980 के दशक से भारत श्रीलंका में गृहयुद्ध और जातीय हिंसा से भाग कर आए श्रीलंकाई तमिलों के लिये शरणस्थली के रूप में कार्य कर रहा है।
- **रोहिंग्या शरणार्थी:** हाल के वर्षों में भारत को रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय देने की चुनौती का सामना करना पड़ा है। रोहिंग्या म्यांमार के उत्पीड़ित मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह हैं, जो म्यांमार के रखाइन राज्य में व्यापक हिंसा और मानवाधिकारों के हनन से बचकर सुरक्षा की तलाश में भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए हैं।

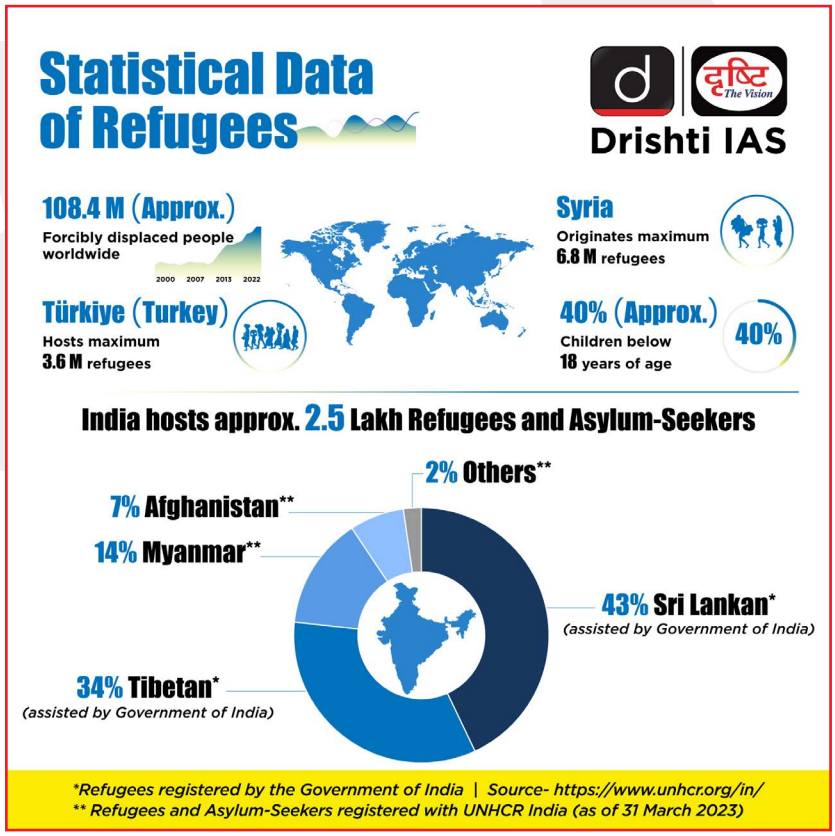

भारत ने वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किये?

- **शरणार्थी की भेदभावपूर्ण परिभाषा:**
  - **वर्ष 1951 के कन्वेंशन में शरणार्थियों** को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया

नोट :

गया है जिन्हें उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया है, लेकिन उनके आर्थिक अधिकारों से नहीं।

- भारत का मानना है कि यह परिभाषा **बहुत संकीर्ण** है, क्योंकि इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो **आर्थिक अभाव या आजीविका के अवसरों की कमी** के कारण अपने देश से पलायन को विवश हुए हैं।
- शरणार्थी की परिभाषा में आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को शामिल करने से विकसित देशों पर भारी बोझ पड़ सकता है, जिसे उठाने के लिये संभवत: भारत भी तैयार न हो।

- **यूरोप-केंद्रीयता:**
  - **भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय** को काफी हद तक यूरोप-केंद्रित मानता है, जो मुख्य रूप से इसके प्रारूपण के समय यूरोप में व्याप्त चिंताओं एवं परिदृश्यों पर केंद्रित रहा था।
  - यह अभिसमय शरणार्थियों की आमद एवं सीमा पार आवागमन के मामले में भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के समक्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों और संदर्भों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।
- **संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
  - भारत आशंका रखता है कि इस अ**भिसमय पर हस्ताक्षर करने से उसकी संप्रभुता और क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के प्रवेश एवं प्रवास को विनियमित** करने की उसकी क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है।
  - इस अभिसमय में शामिल होने से जुड़ी कुछ चिंताएँ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण से **संबंधित घरेलू कानूनों एवं नीतियों को प्रभावित** कर सकती हैं।
- **संसाधन और अवसंरचना की कमी:**
  - भारत ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने के पीछे अपने **सीमित संसाधनों और अपर्याप्त अवसंरचना को एक प्रमुख कारण** बताया है, क्योंकि उसे बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों को आवश्यक स्तर की सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
- **संभावित दुरुपयोग संबंधी चिंताएँ:**
  - ऐसी आशंकाएँ मौजूद हैं कि इस अभिसमय के प्रावधानों का आर्थिक **प्रवासियों या गुप्त उद्देश्य रखने वाले व्यक्तियों** द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - रोहिंग्या समुदाय के कुछ व्यक्तियों के चरमपंथी संगठनों से संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि **श्रीलंकाई गृहयुद्ध** के दौरान ऐसी चिंताएँ प्रकट की गई थीं कि **LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम)** के सदस्य शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश कर सकते हैं।

भारत में शरणार्थियों से संबंधित कानूनी ढाँचा

- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** यह अधिनियम भारतीय नागरिकता के त्याग, समाप्ति और वंचना के प्रावधान प्रदान करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) को पूर्व के नागरिकता अधिनियम में एक विवादास्पद संशोधन के रूप में देखा गया है।
  - CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए उत्पीड़ित हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी , सिख एवं बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता का मार्ग प्रदान करने का ध्येय रखता है। हालाँकि, इन दोनों देशों से आए मुस्लिम प्रवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- **विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939:** यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि **दीर्घकालिक वीज़ा** (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों (भारत के प्रवासी नागरिकों को छोड़कर) को देश में आने के **14 दिनों** के भीतर पंजीकरण अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा।
- **विदेशी विषयक अधिनियम, 1946:** इस **अधिनियम की धारा 3** के तहत केंद्र सरकार को देश में मौजूद अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार प्राप्त है।
- **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** इस अधिनियम की **धारा 5** अधिकारियों को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 258(1)** का अनुपालन करते हुए अवैध विदेशियों को भारत से बलपूर्वक निकालने की अनुमति देती है।
  - **अनुच्छेद 258(1)** में कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे विषय से संबंधित कृत्य सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है।

नोट :

भारत में शरणार्थी संकट से निपटने के लिये भविष्य की रणनीति:

- **'नॉन-रिफाउलमेंट' (Non-refoulement) को कायम रखना:**
  - 'नॉन-रिफाउलमेंट' अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून का एक **मौलिक सिद्धांत** है, जो **राज्यों को शरणार्थियों को ऐसे देश में वापस भेजने से रोकता** है, जहाँ उन्हें उत्पीड़न एवं यातना का सामना करना पड़ सकता है।
  - हालाँकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसने **नॉन-रिफाउलमेंट के सिद्धांत का सम्मान** किया है । इस सिद्धांत को सीमाओं से परे भी बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **उन्नत राजनयिक संलग्नता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में रोहिंग्याओं की स्थिति में सुधार के लिये सहायता प्रदान करने हेतु **भारत का 'ऑपरेशन इंसानियत'** इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।
  - भारत ने **म्यांमार के रखाइन राज्य के लिये 25 मिलियन डॉलर की विकास सहायता की घोषणा** की है, जहाँ से हज़ारों रोहिंग्या मुसलमान हिंसा की घटनाओं के बाद पलायन को विवश हुए थे।
  - भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के साथ अपने सहयोग का विस्तार कर सकता है, जिस तरह उसने 1960 के दशक में तिब्बती शरणार्थी संकट के दौरान किया था।
- **सुरक्षा संबंधी और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन लाना:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन** के अनुरूप, भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और मानवीय दायित्वों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा।
  - उदाहरण के लिये, **भारत और म्यांमार** के बीच सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत वहाँ से आए शरणार्थियों के लिये एक अस्थायी पहचान प्रणाली लागू कर सकता है।
    - सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों को **स्वास्थ्य सेवा**, खाद्य और अस्थायी आश्रय जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं।
- **महिला एवं बाल संरक्षण:**
  - कमज़ोर समूहों के लिये विशिष्ट कार्यक्रम लागू किये जाएँ। **इथियोपिया में UNHCR का 'Safe from the Start' कार्यक्रम** (जो शरणार्थी शिविरों में यौन एवं लिंग आधारित हिंसा को रोकने पर केंद्रित है) एक ऐसा उदाहरण है जिस पर भारत भी विचार कर सकता है।
- **दीर्घकालिक क्षेत्रीय रणनीति:**
  - एक क्षेत्रीय रणनीति की दिशा में कार्य किया जाए। **1980 के दशक में क्रियान्वित 'इंडोचाइनीज शरणार्थियों के लिये व्यापक कार्ययोजना',** जिसमें कई दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश शामिल थे, शरणार्थी संकट के स्थायी समाधान के लिये एक प्रारूप के रूप में कार्य कर सकती है।

उपर्युक्त रणनीतियों ने भारत में शरणार्थियों के लिये विधिक एवं सामाजिक परिदृश्य को नया आकार प्रदान किया है, जो मानवीय चिंताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय पहलुओं के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करता है। बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ आतिथ्य की अपनी परंपराओं को संतुलित करना भारत के नीति-निर्माताओं और वृहत रूप से समाज के लिये एक महत्त्वपूर्ण कार्य बना हुआ है।

■■■

भारतीय कृषि का रूपांतरण

हाल ही में शिवराज सिंह चौहान को नवगठित सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है।

उनकी नियुक्ति उनके सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और कृषि एवं ग्रामीण विकास की गहरी समझ के कारण रणनीतिक महत्त्व रखती है। उन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में राज्य ने वर्ष 2005-06 से 2023-24 तक प्रतिवर्ष 7% की जीडीपी वृद्धि और 6.8% प्रतिवर्ष की कृषि-जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही।

MoA&FW को भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष विद्यमान उन दबावपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है जो ग्रामीण विकास एवं समग्र आर्थिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसकी सबसे प्रमुख प्राथमिकता 5% से अधिक की वार्षिक कृषि-जीडीपी वृद्धि हासिल करना और किसानों की आय में तेज़ी से वृद्धि करना होना चाहिये।

भारत में कृषि का महत्त्व:

- **जीडीपी में योगदान:**
  - पिछले कुछ दशकों में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है लेकिन यह क्षेत्र अभी भी एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।

नोट :

- अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 1990-91 के 35% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15% रह गई है। यह गिरावट कृषि GVA में गिरावट के कारण नहीं बल्कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र GVA में तेज़ी से विस्तार के कारण आई है।

- **रोज़गार:**
  - कृषि क्षेत्र, देश में सबसे बड़ा नियोक्ता होने की स्थिति रखता है।
  - **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न था।

- **खाद्य सुरक्षा:**
  - भारत मुख्य खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से चावल और गेहूँ के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश अपनी बढ़ती आबादी को खाद्य प्रदान कर सकता है।
    - भारत दूध, दाल और मसालों का **विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक** है, जबकि यहाँ विश्व की सबसे बड़ी मवेशी आबादी (भैंस) पाई जाती है। इसके साथ ही भारत में गेहूँ, चावल और कपास की खेती के लिये कुल भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र मौजूद है।
    - भारत **चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ एवं बकरी का माँस, फल, सब्जियाँ और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलें सभी नागरिकों को किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिये कृषि उत्पादन पर निर्भर करती हैं।
    - PDS के तहत वर्तमान में गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी वस्तुओं को लाभार्थियों के बीच वितरण हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित किया जा रहा है।
    - कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेश PDS आउटलेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपभोग की अन्य वस्तुएँ (जैसे दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि) भी वितरित करते हैं।

- **भूमि उपयोग:**
  - भारत में कृषि भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से कुछ अधिक है। यह विश्व के किसी भी देश में कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है।
  - देश में लगभग 195 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जिसमें से लगभग 63 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है (लगभग 125 मिलियन हेक्टेयर) जबकि 37 प्रतिशत सिंचित (70 मिलियन हेक्टेयर) है।

- **विदेशी मुद्रा:**
  - कृषि निर्यात भारत की विदेशी मुद्रा आय अर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। चावल, मसाले, कपास, फल और सब्जियों जैसी वस्तुओं का वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जाता है, जिससे राजस्व प्राप्त होता है और व्यापार घाटे को संतुलित किया जाता है।
  - अप्रैल-जनवरी 2024 में कृषि उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य 38.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वर्ष 2022-23 में भारत से कृषि निर्यात 52.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रहा।

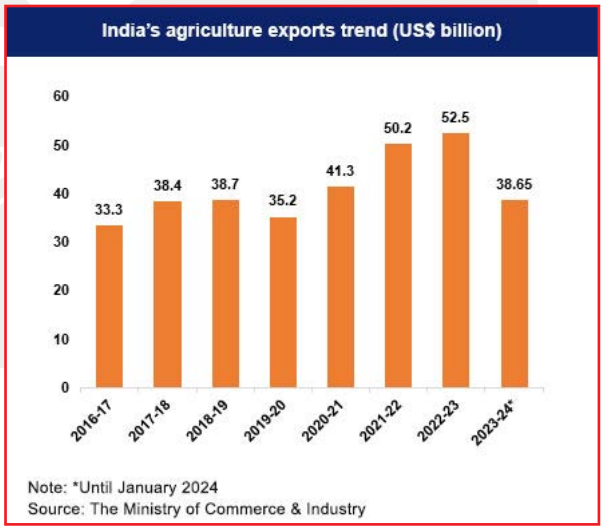

- **सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संवहनीयता:**
  - कृषि भारत की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक ताने-बाने से गहराई से संबंधित है। यह ग्रामीण परंपराओं, त्योहारों और सामुदायिक जीवन को आकार देती है तथा यह सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण सामंजस्य को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - मृदा की उर्वरता, जल और जैवविविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिये संवहनीय कृषि पद्धतियाँ

नोट :

महत्त्वपूर्ण हैं। पारंपरिक खेती के तरीके और आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और दीर्घकालिक संवहनीयता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं।

भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- **छोटी भूमि जोत:**
  - भारत मे कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग छोटी जोतों में विभाजित है, जो किसानों की सम्मानजनक आजीविका कमाने की क्षमता को सीमित करता है।
  - कृषि जनगणना से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, परिचालन जोतों का औसत आकार वर्ष 1970-71 के 2.28 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 1980-81 में 1.84 हेक्टेयर, वर्ष 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर और वर्ष 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया है।
  - भारत की कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, 86.1 प्रतिशत भारतीय किसान **छोटे और सीमांत किसान (SMF)** हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।
- **आर्थिक कठिनाइयाँ:**
  - भारत में एक किसान की औसत मासिक आय अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जो कृषि क्षेत्र में उन लोगों के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है।
    - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, मज़दूरी, फसल उत्पादन और पशुधन सहित सभी स्रोतों से प्राप्त एक किसान परिवार की औसत मासिक आय लगभग 10,218 रुपए थी।
  - छोटे और सीमांत किसानों को प्राय: ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किफायती ऋण की सीमित उपलब्धता आधुनिक कृषि उपकरण, गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों में निवेश करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है, जिससे उनकी उत्पादकता में बाधा आती है।
    - वर्ष 2019 में आयोजित NSS सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में आधे से अधिक कृषक परिवार ऋणग्रस्त हैं।
- **मृदा क्षरण और जल की कमी:**
  - कृषि के लिये जल का अत्यधिक दोहन जलभृतों में जल स्तर को कम कर रहा है, जिससे प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में सिंचाई करना असंभव होता जा रहा है।
    - भारत के लगभग 90 प्रतिशत भू-जल का उपयोग कृषि के लिये किया जाता है
  - अनुचित भूमि उपयोग प्रथाएँ, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अपर्याप्त मृदा संरक्षण उपाय मृदा क्षरण एवं कटाव में योगदान करते हैं।
    - इनके कारण मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, कीटों एवं बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और अंतत: कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है।
- **अपर्याप्त कृषि अवसंरचना:**
  - अपर्याप्त भंडारण एवं कोल्ड चेन सुविधाएँ, अपर्याप्त ग्रामीण सड़कें और बाज़ारों तक सीमित पहुँच, उत्पादन के बाद होने वाली हानि (post-harvest losses) में योगदान करती हैं।
  - इन अवसंरचना अंतरालों के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और किसानों की अपनी उपज के लिये उचित मूल्य प्राप्त करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **कृषि अनुसंधान में निम्न निवेश:**
  - कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में निवेश मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, जिससे वास्तविक वित्तपोषण में कमी आई है।
  - इस निम्न निवेश के कारण नवोन्मेषी और कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **पुरानी पड़ चुकी कृषि पद्धतियाँ:**
  - भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक और पुरानी पड़ चुकी कृषि पद्धतियों पर निर्भर है।
  - सूचना तक सीमित पहुँच, आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी और बदलाव के प्रति प्रतिरोध, उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
  - कृषि अनुसंधान में निम्न निवेश के कारण नवोन्मेषी और कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **बाजार की अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव:**
  - भारत में किसानों को प्रभावी बाज़ार संपर्कों, बिचौलियों और मूल्य सूचना की कमी के कारण मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इससे वे मूल्य शोषण और अपने निवेश पर अनिश्चित रिटर्न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - भारतीय नीति निर्माता प्राय: प्रतिकूल WTO निर्णयों के प्रभावों को समझने और उसे कम करने के लिये संघर्ष करते हैं।
  - उपभोक्ताओं के लिये खाद्य कीमतों को कम रखने की वैश्विक प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से फार्म-गेट मूल्यों में कमी आती है, जिससे खेती आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और पर्यावरणीय रूप से असंवहनीय हो जाती है।

नोट :

- **विषम नीतिगत चुनौतियाँ:**
  - नीतिगत चुनौतियाँ इसलिये सामने आती हैं क्योंकि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराती है। इससे किसानों को उनकी फसलों के लिये मिलने वाली कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे उनके लिये पर्याप्त आय अर्जित करना कठिन हो जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, विषम उर्वरक सब्सिडी इसके अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संवहनीयता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:**
  - बढ़ते हुए अनियमित मौसम पैटर्न ने कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया है।
  - अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और बाढ़, चक्रवात एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भारत के कृषि उद्योग के लिये गंभीर चुनौतियाँ पेश करती हैं। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप फसल की हानि, पशुधन की मौत और किसानों के लिये भेद्यता बढ़ सकती है।
  - जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन के अनुसार, अनुकूलन उपायों को अपनाए बिना, भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार वर्ष 2050 तक 20% और वर्ष 2080 तक 47% कम हो जाने का अनुमान है।

कृषि से संबंधित प्रमुख पहलें:

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM)
- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFAP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGP-A)
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये?

- **समग्र कृषि दृष्टिकोण:**
  - कृषि को उत्पादन, विपणन और उपभोग को शामिल करते हुए एक व्यापक खाद्य प्रणाली के रूप में देखा जाए।
  - संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऋण, इनपुट और किसान-केंद्रित सलाह तक पहुँच में सुधार लाया जाए।
  - **जैविक खेती**, एकीकृत कीट प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए।
  - सामूहिक सौदेबाजी के लिये कृषक-उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाया जाए।
- **मूल्य श्रृंखला विकास:**
  - उच्च मूल्य वाली फसलों, डेयरी उत्पादों, मत्स्य पालन और मुर्गीपालन के लिये मज़बूत मूल्य श्रृंखला का निर्माण किया जाए। इसे प्राप्त करने के लिये निजी क्षेत्र, सहकारी समितियों और किसान-उत्पादक कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए।
  - मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ाने के लिये उद्योग में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के समान **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** और योजनाओं को लागू किया जाए।
- **प्रौद्योगिकियाँ और बाज़ारों तक पहुँच:**
  - उत्पादकता और आय में सुधार के लिये किसानों के लिये सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।
  - निर्यात प्रतिबंधों, व्यापारियों पर स्टॉक सीमा एवं बाज़ार मूल्य दमन की रणनीति को कम कर किसानों की तुलना में उपभोक्ताओं के पक्ष में नीतिगत पूर्वाग्रहों को संबोधित किया जाए।
  - कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D) और विस्तार सेवाओं पर व्यय को कृषि-जीडीपी के कम से कम 1% तक बढ़ाया जाए, जिसका वर्तमान स्तर 0.5% से कम है।
- **उर्वरक सब्सिडी में सुधार:**
  - उर्वरक सब्सिडी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाए। वर्तमान में सब्सिडी का प्रबंधन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसका किसानों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क सीमित है।
  - नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के उपयोग में असंतुलन को दूर करने के लिये उर्वरक सब्सिडी वितरण को तर्कसंगत बनाया जाए।
  - उर्वरक सब्सिडी के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में परिवर्तन किसानों को रासायनिक और जैव-उर्वरकों या प्राकृतिक खेती के तरीकों के बीच चयन कर सकने की अनुमति देगा।

नोट :

- **समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा:**
  - व्यापक फसल बीमा योजनाओं और आय सहायता कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
  - कृषि आय को स्थिर करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद सुनिश्चित किया जाए।
- **जलवायु-प्रत्यास्थी कृषि:**
  - जलवायु-प्रत्यास्थी या जलवायु-कुशल कृषि के लिये निवेश संसाधनों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि ग्रीष्म एवं बाढ़ प्रतिरोधी बीजों में अधिक निवेश किया जाए।
    - जल संसाधनों में अधिक निवेश न केवल उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिये बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये भी आवश्यक है कि जल का अधिक विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
    - 'प्रति बूँद अधिक फसल' केवल एक नारा नहीं रहे, बल्कि वास्तविक रूप से साकार हो। परिशुद्ध कृषि के एक भाग के रूप में ड्रिप, स्प्रिंकलर और संरक्षित खेती को आज की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर अपनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

कृषि विकास के लिये अनुकूल माहौल का निर्माण करने वाले नीतिगत सुधारों को अपनाने से भारत अपने कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता को साकार कर सकने में सक्षम होगा, जिससे यह राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बन जाएगा। यह परिवर्तन लाखों किसानों के लिये स्थायी आजीविका को सुरक्षित करेगा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएगा, समावेशी विकास को बढ़ावा देगा और भारत को कृषि नवाचार एवं संवहनीयता में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करेगा।

■■■

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत् विकास

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (Indian Himalayan Region- IHR) को व्यापक रूप से भारत के **'वॉटर टॉवर' (water tower)** और आवश्यक पारितंत्र वस्तुओं एवं सेवाओं के एक महत्त्वपूर्ण प्रदाता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस महत्त्वपूर्ण समझ के बावजूद, इस क्षेत्र की विशिष्ट विकास आवश्यकताओं और वर्तमान में अपनाए जा रहे विकास मॉडल के बीच एक गंभीर अंतराल बना हुआ है।

IHR की अर्थव्यवस्था आंतरिक रूप से इसके प्राकृतिक संसाधनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण से जुड़ी हुई है। विकास की आड़ में इन संसाधनों का दोहन एक गंभीर खतरा पैदा करता है, जो संभावित रूप से IHR को अपरिहार्य आर्थिक गिरावट की ओर ले जा सकता है। ऐसे विनाशकारी परिणाम से बचने के लिये प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबंधन के साथ ही विकास अभ्यासों को उचित रूप से संरेखित करना महत्त्वपूर्ण है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR):

- **परिचय:**
  - यह भारत के उस पर्वतीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जो देश के भीतर संपूर्ण हिमालय पर्वतमाला को सम्मिलित करता है।
  - **भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों** (अर्थात् जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल) में **2500 किलोमीटर** तक विस्तृत है।
- **महत्त्व:**
  - IHR में विश्व के कुछ सबसे उच्च शिखर (जैसे कंचनजंगा) शामिल हैं।
  - भारत के 'जल मीनार' के रूप में जाना जाने वाला IHR गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों सहित कई प्रमुख नदियों का स्रोत है।
  - यह क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन को विनियमित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की समृद्ध विविधता का घर है, जिसमें कई स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
  - इसमें कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिज़र्व शामिल हैं, जैसे **फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान**।
  - IHR भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिये एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है और मानसून पैटर्न को प्रभावित करता है।
  - इस क्षेत्र में विविध जातीय समुदाय निवास करते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ, भाषाएँ और परंपराएँ हैं।
  - इसमें विभिन्न धर्मों के महत्त्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि।
  - चीन, नेपाल और भूटान के साथ भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित होने के कारण IHR रणनीतिक/सामरिक महत्त्व भी रखता है।

नोट :

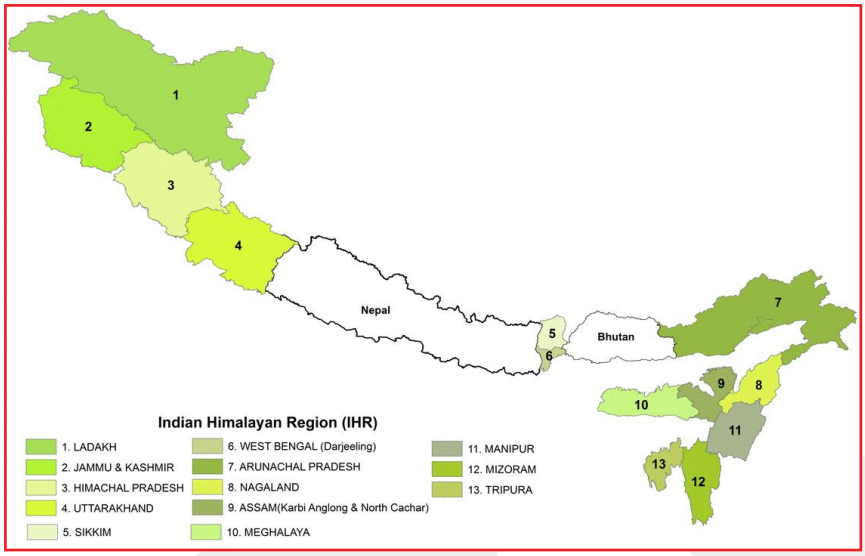

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख पर्यावरणीय चिंताएँ:

- **जलवायु परिवर्तन और हिमनद का पिघलना:**
  - ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे अनुप्रवाह क्षेत्र में जल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
  - तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन से स्थानीय जलवायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे कृषि और आजीविका पर प्रभाव पड़ता है।
  - IHR में प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ रही हैं, जैसे अचानक आने वाली बाढ़ या 'फ्लैश फ्लड', **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (glacial lake outburst floods-GLOFs)**, और चरम मौसमी घटनाएँ।
    - IHR में ग्लेशियर प्रति वर्ष औसतन 10 से 60 मीटर की दर से पीछे हट रहे हैं। पिछले 70 वर्षों में **गंगोत्री ग्लेशियर** 1500 मीटर से अधिक पीछे खिसक गया है।
    - **वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा** ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने के कारण और भी भयानक हो गई थी, जिसके कारण विनाशकारी बाढ़ आई और भारी विनाश हुआ।
- **मृदा अपरदन और भूस्खलन:**
  - वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण कार्य और अत्यधिक चराई मृदा क्षरण में योगदान करते हैं।
  - यह क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान, जिससे संपत्ति, अवसंरचना और जान-माल की हानि होती है।
    - वर्ष 2021 में **उत्तराखंड के चमोली ज़िले** में हिमनदों के फटने से आई बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और अवसंरचना को अभूतपूर्व क्षति पहुँची।
- **जल की कमी और प्रदूषण:**
  - IHR के कई क्षेत्रों में झरनों और नदियों के सूख जाने के कारण जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
  - कृषि अपवाह, अनुपचारित मलजल और औद्योगिक अपशिष्टों से होने वाला प्रदूषण जल स्रोतों को दूषित करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।
    - **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** के एक अध्ययन से उजागर हुआ है कि IHR में 50% से अधिक झरने सूख रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के लिये जल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
- **विकासात्मक परियोजनाएँ:**
  - जलविद्युत स्टेशनों के निर्माण से नदी पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है, मत्स्य आबादी प्रभावित होती है तथा स्थानीय समुदाय विस्थापित होते हैं।
  - अवसंरचना परियोजनाओं में प्राय: पर्यावरणीय मानदंडों की अनदेखी की जाती है, जिससे पारिस्थितिकी क्षति होती है और आपदा जोखिम बढ़ जाता है।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** द्वारा हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में आई बाढ़ के आपदा-पश्चात आकलन में इस आपदा के लिये नदी तलों और बाढ़ के मैदानों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को ज़िम्मेदार ठहराया गया।
- **वायु प्रदूषण:**
  - वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियाँ और बायोमास का जलाया जाना वायु की गुणवत्ता को खराब करने में योगदान करते हैं।

नोट :

- पहाड़ी इलाके इन प्रदूषकों को जब्त या ट्रैप कर सकते हैं, जिससे यहाँ के निवासियों के लिये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं और दृश्यता घट सकती है।
  - लद्दाख के लेह शहर में वाहनों की बढ़ती आवाजाही और निर्माण गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे निवासियों और पर्यटकों के स्वास्थ्य पर समान रूप से असर पड़ रहा है।

- **वनों की कटाई और पर्यावास की क्षति:**
  - IHR में 10,000 से अधिक पादप प्रजातियाँ, 300 स्तनपायी प्रजातियाँ और 1,000 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल हैं।
  - कृषि, शहरी विकास और अवसंरचना परियोजनाओं के लिये बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से पर्यावास विनाश और जैव विविधता की हानि होती है।
    - वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 में पाया गया है कि देश के पहाड़ी ज़िलों में वन क्षेत्र में वर्ष 2019 की तुलना में 902 वर्ग किलोमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। हिमालयी राज्यों में यह क्षति कहीं अधिक है, जहाँ कुल मिलाकर 1,072 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की हानि हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय IHR में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का किस प्रकार समर्थन करते हैं?

- **जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार की मान्यता:**
  - **एम.के. रंजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षण का अधिकार (right to be free from the adverse climate change) है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 द्वारा मान्यता दी जानी चाहिये।
  - जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दिया जाना, पर्यावरण और मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो सरकार के लिये प्रभावी उपायों को लागू करने के दायित्व का निर्माण करता है।
- **पर्यावरण के प्रति पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना:**
  - **तेलंगाना राज्य एवं अन्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समय की मांग है कि **पर्यावरण के प्रति पारिस्थितिक-केंद्रित दृष्टिकोण (Ecocentric View of the Environment) अपनाया जाए**, जहाँ प्रकृति सर्वोपरि होती है।
  - न्यायालय ने कहा, "मनुष्य एक प्रबुद्ध प्रजाति है, जिससे पृथ्वी के संरक्षक या 'ट्रस्टी' के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है... समय आ गया है कि मानव जाति संवहनीय जीवन जिए और नदियों, झीलों, समुद्र तटों, मुहाने, पर्वतमालाओं, पेड़ों, पहाड़ों, समुद्रों एवं वायु के अधिकारों का सम्मान करे.... मनुष्य प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है।"
- **हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता पर निर्देश:**
  - **अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघ शीर्षक जनहित याचिका (PIL)** में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता से आगे की राह सुझाने को कहा ताकि न्यायालय **हिमालयी राज्यों और शहरों की वहन क्षमता के संबंध में निर्देश पारित कर सके**।

IHR की सुरक्षा के लिये प्रमुख सरकारी पहलें

- **नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम (NMSHE)**
- भारतीय हिमालयी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम (IHCAP)
- सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट (SECURE Himalaya Project)
- एकीकृत हिमालयी विकास कार्यक्रम (IHDP)
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)

IHR में सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु उपाय:

- **जलवायु-प्रत्यास्थी अवसंरचना:**
  - ऐसे भवन निर्माण संहिताएँ एवं प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँ जो भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ के प्रति प्रत्यास्थी हों।
  - वर्षा जल के प्रबंधन और अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने के लिये पारगम्य फुटपाथ, ग्रीन रूफ और बायोस्वेल जैसे हरित अवसंरचना में निवेश किया जाए।
    - मिश्रा समिति, 1976 के सुझाव के अनुरूप आपदा-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
- **एकीकृत भूमि उपयोग योजना:**
  - ऐसी भूमि उपयोग योजनाएँ विकसित करें जो संरक्षण, कृषि, आवासीय और औद्योगिक गतिविधियों के लिये क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करें।

नोट :

- प्रभावी भूमि उपयोग योजना और पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी के लिये GIS एवं रिमोट सेंसिंग का उपयोग करें।
  - उदाहरण के लिये, **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP)**, जिसे गाडगिल समिति के रूप में भी जाना जाता है, ने संरक्षण और विकास आवश्यकताओं के बीच संतुलन के निर्माण के लिये पश्चिमी घाटों के लिये एक ज़ोनिंग प्रणाली की सिफ़ारिश की थी।

- **जल संसाधन प्रबंधन:**
  - शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा देदिया जाए।
  - स्थानीय समुदायों के लिये जल स्रोतों की संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिये स्प्रिंगशेड का जीर्णोद्धार एवं प्रबंधनकिया जाए।
    - **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA)** ने गंगा नदी को स्वच्छ एवं जीवंत करने, प्रदूषण स्रोतों को दूर करने और संवहनीय अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की सिफ़ारिश की।
- **वन एवं जैवविविधता संरक्षण:**
  - क्षरित भूमि को पुन:बहाल करने तथा जैव विविधता के संवर्द्धन के लिये बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण परियोजनाएँ शुरू की जाएँ।
  - संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से वन संसाधनों के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिये स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जाए।
    - **चिपको आंदोलन** एक ज़मीनी स्तर का वन संरक्षण प्रयास था, जहाँ स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिये उन्हें आलिंगन में लिया और सामुदायिक कार्रवाई की शक्ति का प्रदर्शन किया।
  - लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिये कार्यक्रम विकसित करना तथा उनका कार्यान्वयन करना।
    - **नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम (NMSHE)** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने, संवहनीय आजीविका को बढ़ावा देने और भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण करने पर केंद्रित है।
- **सतत्/संवहनीय कृषि:**
  - रासायनिक खादों का प्रयोग कम करने तथा मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये जैविक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाए।
  - ऐसी सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनाएँ विकसित की जाएँ जिनका बड़े बांधों की तुलना में पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
  - जैव विविधता को बढ़ाने, कटाव को कम करने और फसल की पैदावार में सुधार करने के लिये पेड़ों एवं झाड़ियों को कृषि प्रणालियों में एकीकृत किया जाए।
    - **सिक्किम** भारत का पहला पूर्णत: जैविक राज्य बन गया है जहाँ रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग को कम करते हुए सतत् कृषि को बढ़ावा दिया गया।
- **पर्यावरण अनुकूल पर्यटन:**
  - पर्यटकों की संख्या को विनियमित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये वहन क्षमता का आकलन किया जाए।
  - ऐसे पारिस्थितिकी-पर्यटन पहलों का विकास किया जाए जो संवहनीय अभ्यासों को बढ़ावा दें तथा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करें।
  - जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दें और प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करें।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** ने नियमों की एक शृंखला की सिफ़ारिश की है, जिसके तहत एक बफ़र जोन बनाया जाएगा तथा **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs)**-प्रवण क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को प्रतिबंधित किया जाएगा, ताकि उन क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।
- **निगरानी और अनुसंधान:**
  - परिवर्तनों पर नज़र रखने और विकास गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिये सुदृढ़ पर्यावरण निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करें।
  - सतत् विकास अभ्यासों, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित अनुसंधान पहलों का समर्थन किया जाए।
    - **हिमालयी हिमनद विज्ञान पर उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह (HLEG) की रिपोर्ट** में हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी, उनके स्वास्थ्य का आकलन और क्षेत्रीय जल संसाधनों में उनकी भूमिका को समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नोट :

- **शिक्षा और जागरूकता:**
  - भारत और अन्य प्रभावित देशों को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में हिमालय के भूविज्ञान एवं पारिस्थितिकी के बारे में आधारभूत ज्ञान को शामिल करना चाहिये। यदि छात्रों को उनके पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाए तो वे भूमि से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और उसकी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
  - यदि हिमालय के लोग अपने पर्वतीय घर की भूवैज्ञानिक भेद्यता और पारिस्थितिकीय भंगुरता के बारे में अधिक जागरूक होते तो वे निश्चित रूप से इसकी सुरक्षा के लिये कानूनों और नियमों का अधिक अनुपालन करते।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा के मूल अधिकार की मान्यता के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि लोग, विशेषकर भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लोग, एक ऐसे सतत् विकास मॉडल के हक़दार हों जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी वहन क्षमता के अनुरूप हो।

आगे की राह यह होनी चाहिये कि न केवल पर्यावरण की सुरक्षा की जाए बल्कि IHR में समुदायों की दीर्घकालिक समृद्धि एवं कल्याण को भी सुनिश्चित किया जाए, जहाँ विकास और पर्यावरणीय संवहनीयता के बीच संतुलन पर बल दिया जाना चाहिये।

■■■

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा के लिये *अंडमान और निकोबार द्वीप समूह* रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इस द्वीप समूह को रक्षा उद्देश्यों के लिये और इसकी आर्थिक क्षमता में सुधार के लिये विकसित किया जाना आवश्यक है। इस विकास कार्य में इन द्वीपों की अनूठी पारिस्थितिकी और स्वदेशी जनजातियों के हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

'*निकोबार द्वीप का समग्र विकास*' **(Holistic Development of Great Nicobar Island) नामक प्रस्तावित मेगा-प्रोजेक्ट** ने एक बहस छेड़ दी है। पर्यावरणविदों को भय है कि यह द्वीप की अनूठी पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकता है और **शोम्पेन (Shompen)** जनजाति को हानि पहुँचा सकता है। द्वीप के दूरस्थ अवस्थित होने के कारण परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस प्रकार, ऐसी समग्र विकास योजनाओं की आवश्यकता है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रगति तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता देती हों।

भारत के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्त्व है?

- **पूर्व का संरक्षक ('Guardian of the East'):** ये द्वीप भारतीय मुख्य भूमि से लगभग **1,300 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं,** जो भारत को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में अत्यंत महत्त्वपूर्ण अग्रिम उपस्थिति प्रदान करता है।
  - यह अवस्थिति भारत को प्रमुख समुद्री चेकपॉइंट **(विशेष रूप से मलक्का जलडमरूमध्य)** की निगरानी करने और संभावित नियंत्रण रखने की अनुमति देती है।
    - इन द्वीपों की अवस्थिति भारत को क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों, नौवहन यातायात और संभावित सुरक्षा संबंधी खतरों पर नज़र रखने में सक्षम बनाती है, जिससे समुद्री क्षेत्र जागरूकता की वृद्धि होती है।
- **नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन:** ये द्वीप पूर्व से संभावित खतरों के विरुद्ध भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं ।
  - ये द्वीप भारत को पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिये आधार प्रदान करते हैं, जो इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति (जैसे श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह में) के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।
- **आर्थिक क्षेत्र का विस्तार:** ये द्वीप UNCLOS के तहत भारत के *विशेष आर्थिक क्षेत्र* और **महाद्वीपीय शेल्फ का उल्लेखनीय विस्तार** करते हैं, जिससे विशाल समुद्री संसाधनों और समुद्र के नीचे के खनिजों तक पहुँच प्राप्त होती है।
- **स्वदेशी जनजातियों का घर:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शोम्पेन जैसी विभिन्न स्वदेशी जनजातियों का घर है, जो हज़ारों वर्षों से इन द्वीपों पर निवास कर रहे हैं।
  - उनकी अनूठी संस्कृति एवं जीवनशैली द्वीप की पहचान का अभिन्न अंग हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिये।
- **त्रि-सेवा कमान:** वर्ष 2001 में स्थापित अंडमान और निकोबार कमान (ANC) वर्तमान में भारत की एकमात्र त्रि-सेवा थियेटर कमान है।
  - यह एकीकृत परिचालन के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र में भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- **पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण:** इन द्वीपों के अछूते समुद्र तट, प्रवाल भित्तियाँ और **अद्वितीय वन्य जीवन पारिस्थितिकी पर्यटन (eco-tourism)** के लिये अपार संभावनाएँ प्रदान करते हैं। इससे राजस्व उत्पन्न हो सकता है, रोज़गार सृजित हो सकते हैं और समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।

नोट :

- **समुद्री व्यापार के लिये क्षमताशील केंद्र:** ग्रेट निकोबार द्वीप में **गैलेथिया खाड़ी का एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह** के रूप में विकास किया जा रहा है जो इन द्वीपों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र में बदल सकता है और ये सिंगापुर जैसे बंदरगाहों को प्रतिस्पर्द्धा दे सकते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास:** ये द्वीप अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के घर हैं।
  - **पर्यावरण संरक्षण के साथ सामरिक एवं आर्थिक विकास** की आवश्यकता को संतुलित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
  - उदाहरण के लिये, गैलेथिया खाड़ी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के विकास से लेदरबैक कछुओं के नेस्टिंग स्थलों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **स्वदेशी जनजातियों के लिये खतरा:** विकास कार्य के साथ-साथ जारवा, ओंज और सेंटिनली जैसी स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति एवं अधिकारों को संरक्षित करना जटिल है।
  - **आलोचकों का तर्क है कि द्वीपों का विकास प्राय:** इन जनजातियों की सुरक्षा करने वाले कानूनों [जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956] के साथ टकराव में रहता है।
- **अवसंरचना विकास में बाधाएँ:** इन द्वीपों की दूरस्थ स्थिति, कठिन भूभाग और नियमित रूप से भूकंपीय गतिविधियाँ अवसंरचना के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती हैं।
  - इसमें स्रोत सामग्री, कुशल श्रम की खोज और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध अवसंरचनात्मक प्रत्यास्थता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और समुद्र का बढ़ता स्तर: निम्नस्थ द्वीप (low-lying islands)** होने के कारण ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
  - समुद्र का बढ़ता स्तर अवसंरचना और स्वदेशी समुदायों दोनों के लिये खतरा उत्पन्न करता है, जिसके लिये दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है।
- **निगरानी नेटवर्क में अंतराल:** द्वीपों की महत्त्वपूर्ण सामरिक/रणनीतिक स्थिति के बावजूद, इस ओर निगरानी नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण अंतराल मौजूद हैं।
  - विशाल समुद्री विस्तार (उत्तर से दक्षिण तक 780 किमी) के लिये रडार स्टेशनों, UAVs और समुद्री गश्ती विमानों के एक परिष्कृत नेटवर्क की आवश्यकता है, जो वर्तमान में अपर्याप्त है।
  - इस परिदृश्य से 'सिक्स डिग्री चैनल' जैसे महत्त्वपूर्ण चेकपॉइंट्स की निगरानी में भेद्यताएँ उत्पन्न होती हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहलें

- **ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास**
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तक सबमेरिन केबल कनेक्टिविटी (CANI)
- पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट सिटी परियोजना

कौन-सी रणनीतियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संतुलित विकास सुनिश्चित कर सकती हैं?

- **स्वदेशी ज्ञान एकीकरण केंद्र:** स्वदेशी ज्ञान एकीकरण केंद्र (Indigenous Knowledge Integration Center) के रूप में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाए जो स्वदेशी जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ता हो।
  - इससे हर्बल औषधि, संवहनीय वानिकी और जलवायु-प्रत्यास्थी कृषि जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है, साथ ही स्वदेशी संस्कृतियों का संरक्षण एवं सम्मान भी हो सकता है।

नोट :

- **'मेरीटाइम स्टार्टअप इनक्यूबेटर':** समुद्री प्रौद्योगिकियों, महासागर संरक्षण और सतत द्वीप विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप के लिये एक विशेष इनक्यूबेटर का सृजन किया जाए।
  - इससे प्रतिभा एवं निवेश आकर्षित हो सकता है और समुद्री **रोबोटिक्स, महासागर सफाई प्रौद्योगिकियों एवं संवहनीय मत्स्यग्रहण** विधियों जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **राजनयिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के द्वीप समूह:** राजनयिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये कुछ द्वीपों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
  - क्षेत्रीय सहयोग के लिये एक अनूठे **'आइलैंड-हॉपिंग' (island-hopping) शिखर** सम्मेलन प्रारूप का निर्माण किया जाए, जिसमें उच्चस्तरीय बैठकों को गहन सांस्कृतिक अनुभवों के साथ संयोजित करना शामिल है।
- **ब्लॉकचेन-आधारित संसाधन प्रबंधन:** मत्स्यग्रहण कोटे से लेकर भूमि उपयोग तक, द्वीपों के संसाधनों के प्रबंधन के लिये ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली को लागू किया जाए।
  - इससे पारदर्शी, कुशल और संवहनीय संसाधन आवंटन सुनिश्चित हो सकेगा, साथ ही अन्य द्वीपीय देशों के लिये एक मॉडल प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- **स्वायत्त समुद्री रक्षा नेटवर्क:** रक्षा और निगरानी के लिये जल के नीचे एवं सतह पर चलने वाले स्वायत्त वाहनों का नेटवर्क विकसित किया जाए। यह बिना किसी बड़ी मानवीय उपस्थिति के सुरक्षा को उन्नत बना सकता है और AI-संचालित समुद्री रक्षा प्रणालियों के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।
- **जनजातीय विरासत संरक्षक: एक 'सांस्कृतिक अभयारण्य क्षेत्र' (Cultural Sanctuary Zones)** का शुभारंभ किया जाए जहाँ जनजातियाँ निर्बाध रूप से रह सकें।
  - संपर्क को न्यूनतम करते हुए आय उत्पन्न करने के लिये कड़ाई से विनियमित पारिस्थितिकी पर्यटन के साथ 'बफ़र ज़ोन' का विकास किया जाए।
  - स्वदेशी समुदायों के कल्याण के समर्थन हेतु विकास राजस्व से एक 'जनजातीय विरासत कोष' (Tribal Heritage Fund) का निर्माण किया जाए।
  - स्वदेशी क्षेत्रों के निकट किसी भी परियोजना के लिये 'जनजातीय सहमति प्रोटोकॉल' (Tribal Consent Protocol) को लागू किया जाए।
- **अपशिष्ट प्रबंधन के लिये चक्रीय अर्थव्यवस्था:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को लागू किया जाए, जहाँ अपशिष्ट नए उत्पादों के लिये संसाधन बन जाता है।
  - इसमें जैविक कचरे को उर्वरक में बदलने के लिये कम्पोस्ट सुविधाएँ स्थापित करना, प्लास्टिक कचरे को निर्माण सामग्री में बदलना और कचरे को जैव ईंधन में बदलने के लिये अभिनव जैव रूपांतरण प्रौद्योगिकियों की खोज करना शामिल हो सकता है।
- **सतत् पाककला पहल (Sustainable Gastronomy Initiative):** द्वीपों में खाद्य के लिये **'फार्म टू टेबल' दृष्टिकोण की तर्ज पर 'ओशन टू टेबल'** दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए।
  - यह पहल न केवल पर्यटन अनुभव को बढ़ाएगी बल्कि सतत खाद्य अभ्यासों को भी बढ़ावा देगी और स्थानीय आजीविका का समर्थन करेगी।
- **अंडरवाटर रिसर्च और इनोवेशन हब:** इन द्वीपों को विश्वस्तरीय समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र में रूपांतरित किया जाए।
  - गहन समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने, **नील जैव प्रौद्योगिकी (Blue Biotechnology)** का विकास करने और संवहनीय जलकृषि तकनीकों में अग्रणी बनने के लिये अंडरवाटर अनुसंधान केंद्र एवं प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँ।
  - इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आकर्षित हो सकता है और भारत समुद्री विज्ञान में अग्रणी स्थिति प्राप्त कर सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केंद्र:** अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये परीक्षण केंद (Testbed) के निर्माण हेतु इन द्वीपों की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाया जाए।
  - ज्वारीय ऊर्जा, अपतटीय पवन फार्मों और समुद्री सौर पैनलों के साथ प्रयोग से न केवल ये द्वीप ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि मुख्य भूमि भारत और पड़ोसी देशों को स्वच्छ ऊर्जा का निर्यात भी कर सकेंगे।
- **पारिस्थितिकी पर्यटन अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल:** एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा विकसित की जाए जो पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में भी कार्य कर सके।
  - इन द्वीपों की भूमध्यरेखीय अवस्थिति उपग्रह प्रक्षेपण के लिये आदर्श है, जबकि यह सुविधा पर्यटकों को प्रक्षेपण देखने, अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशालाओं में भाग लेने और द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का भी अवसर प्रदान कर सकती है।

■■■

नोट :

भारत में राजकोषीय संघवाद

केरल राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर किये गए मुक़दमे में न्यायालय से केंद्र सरकार को राज्य द्वारा उधार ली जा सकने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया, जिसने भारतीय **संविधान के अनुच्छेद 293** की व्याख्या की आवश्यकता उत्पन्न की है। यह अनुच्छेद राज्यों द्वारा धन उधार लेने की शक्ति और ऐसे उधार को विनियमित करने के संघ के अधिकार को नियंत्रित करता है। जबकि केरल राज्य ने उधार ले सकने में अधिक स्वायत्तता का तर्क दिया है, **केंद्र सरकार ऋण विनियमन के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता** की आवश्यकता पर बल देती है।

चूँकि यह पहला अवसर है जब **अनुच्छेद 293** की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी है, मामले को **अनुच्छेद 145 के तहत संविधान पीठ** को सौंप दिया गया है जहाँ पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसका निर्णय किया जाना है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आगामी निर्णय का भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ना तय है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के उपबंध और सीमाएँ

- **उपबंध:**
  - **राज्य द्वारा उधार लेने की शक्ति:** राज्य अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर, **भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार** ले सकते हैं।
    - केंद्र सरकार संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर राज्य ऋणों के लिये प्रत्याभूति/गारंटी दे सकती है।
  - **सहमति की आवश्यकता:** यदि किसी राज्य पर संघ का कोई बकाया ऋण है या संघ द्वारा गारंटीकृत ऋण है, तो उसे **कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार की** सहमति लेनी होगी।
    - संघ ऐसी सहमति पर शर्तें अधिरोपित कर सकता है।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अस्थायी ओवरड्राफ्ट या अन्य ऐसी व्यवस्था के लिये सहमति की आवश्यकता नहीं है।
  - **पिछले ऋणों की निरंतरता:** किसी राज्य द्वारा लिये गए ऋण, जो संविधान के प्रारंभ होने पर बकाया थे, उन्हीं नियमों और शर्तों के अधीन लागू रहेंगे।
- **सीमाएँ:**
  - **अनुच्छेद 293** के तहत राज्यों के उधार को विनियमित करने का अधिकार राज्यों द्वारा केंद्र सरकार से लिये गए ऋण से संबद्ध है।
    - यदि राज्य अपने संघीय ऋणों का भुगतान कर देते हैं तो इससे एक संभावित संवैधानिक अंतराल पैदा हो सकता है, क्योंकि इस अनुच्छेद में बकाया ऋणों के बिना राज्य द्वारा लिये जाने वाले उधार को विनियमित करने के लिये कोई उपबंध नहीं है।
    - इससे आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य संघीय ऋणों का भुगतान करने और फिर संघीय निगरानी के बिना उधार लेने में सक्षम हो सकते हैं।
  - इसके अलावा, राज्यों द्वारा **अनुच्छेद 293** की सीमाओं से बचने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।
    - उदाहरण के लिये, **नवीन मामले में केरल** ने तर्क दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त ऋणों को राज्य के ऋण की गणना में नहीं गिना जाना चाहिये।
    - चूँकि राज्य अन्य स्रोतों से उधार ले रहे हैं, इसलिये संभावना है कि कुछ राज्यों पर जल्द ही केंद्र का कोई बकाया नहीं रह जाएगा, जिससे **अनुच्छेद 293 अप्रासंगिक** हो जाएगा।
  - इस प्रवृत्ति की पहचान सबसे पहले 14वें वित्त आयोग ने की थी।
    - यह **खामी (loophole) राज्यों को उधार लेने की सीमा** को पार कर सकने की अनुमति देती है, राज्य की वास्तविक ऋणग्रस्तता को अस्पष्ट करती है और राजकोषीय पारदर्शिता एवं जवाबदेही को जटिल बनाती है, जिससे प्रच्छन्न वित्तीय जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिये मुख्य प्रश्न:**
  - **राज्य का उधार लेने का अधिकार:** क्या राज्य को **अनुच्छेद 293** के तहत उधार लेने का 'अधिकार' है और क्या संघ इस अधिकार को विनियमित कर सकता है?
  - **PSUs के ऋण:** क्या राज्य सरकार के PSUs द्वारा लिया गया ऋण अनुच्छेद 293 के दायरे में आता है?

नोट :

राज्य द्वारा संघ से उधार लेने के नवीनतम रुझान क्या हैं?

- RBI के हाल के आँकड़े दिखाते हैं की राज्य ऋणों में केंद्र की हिस्सेदारी में व्यापक कमी आई है, जो वर्ष **1991 में 57% से घटकर वित्त वर्ष 2020 में मात्र 3% रह** गई।
  - यह बदलाव राज्यों की बाज़ार उधारी और वित्त के अन्य स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
  - इसके अलावा, राज्यों को दिए जाने वाले संघ के ऋणों में यह कमी प्रत्यक्ष रूप से **अनुच्छेद 293 की प्रयोज्यता को प्रभावित** करती है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति संघ से ऋण प्राप्त करने वाले राज्यों से जुड़ी हुई है।
- कोविड-19 महामारी ने संघ से राज्य के उधार में गिरावट की प्रवृत्ति को अस्थायी रूप से उलट दिया, जहाँ आर्थिक दबाव और राजस्व की कमी के कारण वित्त **वर्ष 2020 में यह 3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 8.6%** हो गया।
  - हालाँकि इसे अल्पकालिक प्रवृत्ति माना जा रहा है और अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राज्य फिर से महामारी से पहले के उधार पैटर्न पर लौट सकते हैं जहाँ उनकी उधारी में केंद्र से प्राप्त ऋण की मामूली हिस्सेदारी होगी।

राज्य के निर्बाध उधार लेने के अधिकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क

- **पक्ष में तर्क:**
  - **राजकोषीय स्वायत्तता:** उधारी राज्यों को स्वतंत्र रूप से अपने वित्त का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है, जो संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है।
    - यह राज्यों को विकास परियोजनाओं के लिये धन जुटाने तथा संघीय अनुदान पर पूर्ण निर्भर हुए बिना स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जिससे आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा मिलता है।
    - यह राज्यों को अपने क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक चुनौतियों या अवसरों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिये लचीलापन भी प्रदान करता है, जिससे समग्र शासन प्रभावकारिता में वृद्धि होती है।
  - **आर्थिक विकास:** राज्य द्वारा लिया गया उधार वृहत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुगम बनाता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
    - राजस्व की अस्थायी कमी को पूरा करने के रूप में इन उधारियों से आवश्यक सेवाओं और विकास कार्यक्रमों में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलती है।
    - इसके अलावा, यह राज्यों को निजी निवेश आकर्षित करने और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** के निर्माण लिये अपनी उधार लेने की क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जिससे आर्थिक प्रगति में तेज़ी आ सकती है।
    - **उदाहरण:** महाराष्ट्र की 46,000 करोड़ रुपए की मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना, जो बड़े पैमाने पर उधार के माध्यम से वित्तपोषित है, यह दर्शाती है कि राज्य किस प्रकार वृहत अवसंरचना को वित्तपोषित करने के लिये उधार का उपयोग कर सकते हैं, जो आर्थिक विकास एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है।
  - **वित्तीय प्रबंधन में लचीलापन:** उधार लेने से राज्यों को आर्थिक आघातों और राजस्व में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे उनकी वित्तीय प्रत्यास्थता बढ़ती है।
    - यह लचीलापन करों में वृद्धि करने का एक विकल्प भी प्रदान करता है, जो विशेष रूप से आर्थिक तनाव की अवधि के दौरान राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण या आर्थिक रूप से अवांछनीय सिद्ध हो सकता है।
  - **स्थानीय निर्वाचक के प्रति जवाबदेही:** उधार लेने की शक्ति राज्य सरकारों को अपने निर्वाचक के प्रति अधिक प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह बनाती है, क्योंकि उन्हें अपने उधार लेने के निर्णयों को उचित ठहराना होता है तथा धन के प्रभावी उपयोग को प्रदर्शित करना होता है।
    - मतदाता उधार ली गई धनराशि के उपयोग के आधार पर सरकार के प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक सूचित चुनावी विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।
    - यह समीकरण अधिक संलग्न और वित्तीय रूप से जागरूक नागरिकों के उभार में योगदान दे सकता है, जिससे राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
  - **प्रतिस्पर्द्धी संघवाद (Competitive Federalism):** उधार लेने की क्षमता राज्यों को निवेश एवं व्यवसाय आकर्षित करने में प्रतिस्पर्द्धा कर सकने की अनुमति देती है, जिससे संभावित रूप से नवोन्मेषी विकास रणनीतियों को बढ़ावा मिलता है।

नोट :

- इस तरह के प्रतिस्पर्द्धी संघवाद से राज्यों में सर्वोत्तम अभ्यासों की पहचान और प्रसार की स्थिति बन सकती है, जिससे समग्र राष्ट्रीय विकास में योगदान मिलेगा।

- **विपक्ष में तर्क:**
  - **राजकोषीय अनुशासनहीनता का जोखिम:** उधार लेने की अप्रतिबंधित शक्ति के कारण राज्य अधारणीय स्तर तक ऋण एकत्रित कर सकते हैं, जिससे उनका दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है।
    - अल्पकालिक चुनावी लाभ जैसे राजनीतिक पहलू उधार लेने के निर्णय में आर्थिक विवेक की उपेक्षा कर सकते हैं, जिससे संसाधनों के गलत आवंटन की स्थिति बन सकती है।
    - अत्यधिक राज्य ऋण का **'स्पिलओवर'** प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है तथा अन्य राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं।
    - **उदाहरण:** पंजाब का उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात (debt-to-GSDP ratio), जो **वर्ष 2021-22 में 53.3%** तक पहुँच गया, आंशिक रूप से लोकलुभावन योजनाओं के लिये उधार लेने के कारण है।
  - **वृहद आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** असमन्वित और अत्यधिक राज्य उधारी राष्ट्रीय मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे संघ स्तर पर आर्थिक प्रबंधन जटिल बन सकता है।
    - इसके अलावा, इससे देश की समग्र क्रेडिट रेटिंग और **अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों** में उधार लेने की लागत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे पूरे देश की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी।
    - **उदाहरण:** वर्ष 2020-21 में जब राज्यों के सकल बाज़ार उधारी में 55% की वृद्धि हुई तो इससे राज्य विकास ऋणों पर अधिक लाभ हुआ, जिससे संभावित रूप से समग्र ब्याज दरें और केंद्र सरकार की उधारी लागत प्रभावित हुई।
  - **अंतर-राज्यीय असमानताएँ:** राज्यों के अलग-अलग आर्थिक सामर्थ्य उनकी उधार लेने की क्षमता में महत्त्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकते हैं, जिससे मौजूदा क्षेत्रीय असमानताएँ और भी बढ़ सकती हैं।
    - आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्यों को अधिक अनुकूल शर्तों पर ऋण प्राप्त हो सकता है, जबकि गरीब राज्यों को अधिक उधार लागत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।
    - परिणामस्वरूप, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बनाए रखने के लिये संघीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे संघीय संबंध संभवत: जटिल बन सकते हैं।
  - **ऋण प्रबंधन में जटिलता:** कई राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से उधार लेने से राष्ट्रीय स्तर पर समग्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन व्यापक रूप से जटिल बन सकता है।
    - विविध राज्य उधारों की निगरानी और विनियमन प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है, जिसके लिये परिष्कृत निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता होगी।
    - राज्यों और संघ के बीच ऋण दायित्वों के 'ओवरलैपिंग' या परस्पर विरोधी होने का भी जोखिम है, जिससे कानूनी और वित्तीय जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं।
    - उदाहरण: वर्ष 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) की शुरूआत, जिसके तहत राज्यों ने बिजली वितरण कंपनियों के ऋणों को अपने ऊपर ले लिया, से समग्र ऋण प्रबंधन जटिल हो गया तथा राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उधारों के बीच की रेखाएँ धुंधली हो गईं।
  - **डिफॉल्ट और बेलआउट की संभावना:** गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्य अपने ऋणों का भुगतान करने में डिफॉल्ट कर सकते हैं, जिसका ऋणदाताओं और व्यापक वित्तीय प्रणाली के लिये दूरगामी परिणाम उत्पन्न हो सकता है।
    - प्राय: यह अंतर्निहित अपेक्षा रहती है कि केंद्र सरकार ऋण चूक की स्थिति में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी, जिससे एक नैतिक संकट पैदा होता है जो फिर गैर-उत्तरदायी उधारी को बढ़ावा दे सकता है।
    - राज्य द्वारा ऋण न चुकाने या राहत पैकेज की संभावना से भी भारतीय बाज़ार में निवेशकों का भरोसा घट सकता है, जिससे समग्र आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

उप-राष्ट्रीय ऋणों (Subnational Debts) के प्रबंधन की अन्य संघीय प्रणालियाँ कौन-सी हैं?

- **ब्राज़ील:** ब्राज़ील का राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून सरकार के सभी स्तरों पर सख्त उधार सीमाएँ अधिरोपित करता है, जिससे राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित होता है।

नोट :

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** राज्यों को उधार लेने में उच्च स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन वे बाज़ार अनुशासन के अधीन हैं और स्वतंत्रता को वित्तीय जवाबदेही के साथ संतुलित करते हैं।
- **जर्मनी:** संघीय और राज्य सरकारों के बीच साझा राजकोषीय ज़िम्मेदारी रखने वाला सहकारी संघवाद मॉडल समन्वित एवं संतुलित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

इन अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का अध्ययन करने से भारत को अपने संघीय ढाँचे के भीतर राज्य ऋणों के प्रबंधन के लिये अधिक सुदृढ़ एवं अनुकूलनीय प्रणाली के निर्माण में मदद मिल सकती है।

राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **प्रोत्साहन-आधारित राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचा:** यह दृष्टिकोण व्यापक राजकोषीय प्रदर्शन मापन के आधार पर उधार सीमा की एक स्तरीकृत प्रणाली को लागू कर सकेगा।
  - यह ढाँचा ऋण-जीएसडीपी अनुपात **जैसे पारंपरिक संकेतकों** तक सीमित नहीं होगा और इसमें राजस्व सृजन दक्षता, विकास परिणाम एवं राजकोषीय पारदर्शिता जैसे उपायों को शामिल किया जाएगा।
  - उदाहरण के लिये, यदि कोई राज्य अपने कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि करता है तो उसे **जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.5%** उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है।
  - यह प्रणाली एक सकारात्मक फीडबैक लूप तैयार करेगी जो राज्यों को अपने राजकोषीय प्रबंधन में निरंतर सुधार के लिये प्रोत्साहित करेगी।
- प्रौद्योगिकी-संचालित राजकोषीय निगरानी प्रणाली: सभी राज्यों के लिये रियल-टाइम, AI-संचालित राजकोषीय निगरानी प्रणाली विकसित करने से राजकोषीय प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।
  - यह प्रणाली राजस्व, व्यय और उधार पैटर्न पर नज़र रखेगी तथा राजकोषीय तनाव की पूर्व चेतावनी देगी।
  - ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन से राजकोषीय आँकड़ों की पारदर्शिता एवं अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित होगी, हेरफेर को रोका जा सकेगा और विश्वास का निर्माण होगा।
- **राजकोषीय बीमा पूल:** राज्य अपने राजकोषीय स्वास्थ्य के आधार पर सामूहिक बीमा कोष में योगदान कर सकते हैं। यह कोष आर्थिक आघातों के दौरान अस्थायी राहत प्रदान करेगा, जिससे अत्यधिक उधार लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
  - यह प्रणाली राजकोषीय विवेकशीलता को प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि योगदान और भुगतान राज्य के दीर्घकालिक राजकोषीय प्रदर्शन से जुड़े होंगे।
- **'क्रॉस-स्टेट फिस्कल मेंटरशिप प्रोग्राम' (Cross-State Fiscal Mentorship Programs):** वित्तीय रूप से सुदृढ़ राज्यों को मेंटरशिप प्रोग्राम में कमज़ोर राज्यों के साथ संबद्ध किया जाए। मेंटर राज्य वित्तीय प्रबंधन पर विशेषज्ञता एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जबकि बदले में स्वयं पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त उधार अधिकार अर्जित कर सकता है।
  - यह **पीयर-टू-पीयर लर्निंग अंतर-राज्यीय सहयोग** को बढ़ावा दे सकता है और सर्वोत्तम अभ्यासों का नैसर्गिक रूप से प्रसार कर सकता है।
- **स्वतंत्र राजकोषीय परिषदें:** राज्य स्तर पर स्वतंत्र राजकोषीय परिषदों की स्थापना की जाए।
  - ये गैर-पक्षपातपूर्ण निकाय राज्य बजट का विश्लेषण कर सकते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकते हैं और संवहनीय ऋण प्रबंधन अभ्यासों के लिये अनुशंसाएँ दे सकते हैं।

■■■

नोट :

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. मरुस्थलीकरण से निपटने में भारत के समक्ष विद्यमान प्राथमिक चुनौतियों पर विचार कीजिये और इन चुनौतियों का समाधान करने में भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) लक्ष्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।
2. पर्यटन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। भारत में दूरदराज के पर्यटन स्थलों तक अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी में सुधार के लिये कौन-सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं?
3. हरित ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन-सी पहलें की गई हैं? इन पहलों को लागू करने की राह की संभावित बाधाओं पर चर्चा कीजिये और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये।
4. भारत का कृषि क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। हालाँकि, यह कई बाधाओं से जूझ रहा है। इन चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और ऐसे समाधानों के सुझाव दीजिये जो मौजूदा सरकारी नीतियों की सीमाओं से परे जाकर प्रभावी सिद्ध हों।
5. हाल के आर्थिक आकलनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस सकारात्मक अनुमान या अवेक्षण को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिये।
6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ी से बदलाव ला रही है। उन नैतिक एवं विनियामक विचारों का विश्लेषण कीजिये जिन पर उत्तरदायी AI परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिये ध्यान दिया जाना चाहिये।
7. भारत में स्वास्थ्य सेवा नियामक ढाँचे के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। समतामूलक एवं कुशल स्वास्थ्य सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये भारत में समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
8. सभी नागरिकों के लिये समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और किन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है?
9. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष विद्यमान सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और इन मुद्दों के समाधान के लिये आवश्यक व्यापक सुधारों के सुझाव दीजिये।
10. भारत के जल संकट के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिये और सतत् जल प्रबंधन के लिये प्रभावी समाधान का प्रस्ताव कीजिये।
11. हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और रणनीतिक अनिवार्यताओं के परिप्रेक्ष्य में, भारत के लिये अपने हितों को पश्चिमी देशों के साथ संरेखित करने में निहित चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन कीजिये।
12. भारत के समक्ष विभिन्न उभरते आतंकवादी खतरों की चर्चा कीजिये। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर इन चुनौतियों के प्रभाव के शमन के लिये कौन-से उपाय कर सकता है?
13. भारत में संघवाद की अवधारणा और विकास पर चर्चा कीजिये। भारत के संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिये प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिये और समाधान प्रस्तावित कीजिये।
14. भारत के लिये विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर सकने की संभावना का मूल्यांकन कीजिये। इस संक्रमण को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कीजिये।
15. भारत में गिग श्रमिकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर विचार कीजिये और इन मुद्दों के समाधान के लिये प्रभावी उपाय सुझाइये।
16. भारत में वृद्धावस्था की परिघटना में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक कौन-से हैं? वृद्ध होती जनसंख्या के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उनकी भेद्यताओं को दूर करने के लिये समाधान सुझाइये।
17. हाल के वर्षों में भारतीय रेलवे के समग्र प्रदर्शन और चुनौतियों पर विचार कीजिये तथा इसके सुधार के लिये प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइये।
18. विभिन्न सरकारी पहलों और योजनाओं के बावजूद ग्रामीण भारत के विकास को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी प्रमुख बाधाओं पर विचार कीजिये और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी एवं सतत विकास में तेज़ी लाने के लिये नवोन्मेषी उपाय सुझाइये।

नोट :

19. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों की चर्चा कीजिये। पर्यावरणीय एवं आर्थिक पहलुओं को संतुलित करते हुए EVs में एक संवहनीय संक्रमण का समर्थन करने के क्रम में सरकारी नीतियों को किस प्रकार अनुकूलित किया जा सकता है?
20. भारत में शरणार्थियों की स्थिति किस प्रकार मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों के व्यापक मुद्दों के साथ गहराई से जुड़ गई है? इसके संबंधों एवं निहितार्थों का परीक्षण कीजिये।
21. धारणीय आजीविका सुनिश्चित करने, खाद्य सुरक्षा को उन्नत करने तथा देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में भारत के कृषि क्षेत्र में तत्काल नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिये।
22. भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों की चर्चा कीजिये। इस क्षेत्र में विकास हेतु पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने के उपाय बताइये।
23. भारत के समुद्री सुरक्षा ढाँचे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्त्व की चर्चा कीजिये। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन निर्माण से संबद्ध चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन कीजिये।
24. संवैधानिक बाध्यताएँ और राज्य उधारी अभ्यास भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राज्यों की राजकोषीय स्थिरता बढ़ाने के लिये संभावित सुधारों के सुझाव दीजिये।

दृष्टि The Vision

नोट :